[2022] 19 एस. सी. आर. 620

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांस्मिशन

वी.

महाराष्ट्र विद्युत विनियमन

आयोग और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2022 की 1933)

नवंबर 23,2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई,

ए. एस. बोपन्ना और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003-एस. 61-63 , 86 , 125 , 181 - महाराष्ट्र

विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी.) ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड (ए. ई. एम. आई. एल.) को हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एच. वी. डी. सी.) प्रौद्योगिकी पर आधारित आरे-कुडुस पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए पारेषण लाइसेंस देने का आदेश जारी किया, जहां शुल्क विनियमित शुल्क तंत्र (आर. टी. एम.) दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित किया जाना था। धारा 62-विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.) के समक्ष अपीलार्थी द्वारा चुनौती दिए गए आदेश-ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा खारिज की गई अपील-आयोजितः विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान शुल्क निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख विधि निर्धारित नहीं करते हैं। 62 और 63 शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को निर्धारित करते हैं-एस में गैर-बाधा खंड। 63 इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि एस। 63 एस पर प्राथमिकता लेंगे। 62 शुल्क निर्धारित करने के लिए साधन चुनने के चरण में-शुल्क निर्धारण के साधन के निर्धारण के लिए मानदंड या दिशानिर्देश उपयुक्त राज्य द्वारा अधिसूचित किए जाने चाहिए।

विनियमन यू/एस के माध्यम से कमीशन। 181 अधिनियम या

दिशानिर्देश यू/एस। 61 अधिनियम-वर्तमान मामले में, एम. ई. आर. सी. ने न तो नियम बनाए हैं और न ही मानदंड निर्धारित करने वाले दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।

या शुल्क निर्धारित करने के लिए तौर-तरीकों को चुनने के लिए दिशानिर्देश-इस प्रकार, एम. ई. आर. सी. अपने सामान्य नियामक का प्रयोग करके शुल्क निर्धारित करेगा।

शक्तियाँ यू/एस। 86 (1) (क) अधिनियम-एम. ई. आर. सी. की अपनी सामान्य नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 86 (1) (ए) राष्ट्रीय शुल्क द्वारा निर्देशित होगी।

नीति 2016, जो एक भौतिक विचार होगी-इसके अलावा, एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. आरे-कुडुस परियोजना एक मौजूदा परियोजना है।

जीओएम के जीआर 2019 की प्रयोज्यता का उद्देश्य-सुप्रीम कोर्ट यू/एस के तहत एक वैधानिक अपील का फैसला करना। 125 अधिनियम तथ्य के प्रश्न पर समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है-फिर भी,

तथ्यों के एक स्वतंत्र मूल्यांकन पर भी, एचवीडीसी परियोजना

620 टाटा पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

एक मौजूदा परियोजना है-बिजली अधिनियम, 2003 या नीतिगत ढांचे ने एम. ई. आर. सी. को केवल टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी. बी. सी. बी.) मार्ग के माध्यम से एच. वी. डी. सी. परियोजना आवंटित करने के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया-इसलिए, एच. वी. डी. सी. परियोजना को यू/एस. देने का नियामक आयोग का निर्णय। 62 इसके एक उचित अभ्यास के भीतर था

शक्तियाँ।

विद्युत अधिनियम, 2003-एस. 61 , 181 – विनियामक आयोगों द्वारा लागू करने के लिए आवश्यक विनियमों का निर्माण

अधिनियम के तहत निर्धारित सिद्धांत-सभी राज्य नियामक आयोगों को विनियमन बनाने का निर्देश दिया गया है। शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों पर अधिनियम का <आईडी1-उपयुक्त आयोग एस में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 61 , जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन. ई. पी.) और

राज्य-विनियामक आयोग इन विनियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बनाए गए विनियम बिजली अधिनियम 2003 के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए, जो बिजली नियामक क्षेत्र में निजी हितधारकों के निवेश को बढ़ाना है ताकि शुल्क निर्धारण की एक स्थायी और प्रभावी प्रणाली बनाई जा सके जो लागत कुशल हो ताकि इस तरह के लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. उपयुक्त आयोग बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाने के लिए अनिवार्य नहीं है

वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद। आयोग बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अस्वीकार कर सकता है यदि शुल्क प्रक्रिया (i) पारदर्शी नहीं है और (ii) केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है। इस प्रकार, यदि आयोग बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क को नहीं अपनाता है, और यदि निर्णय को चुनौती दी जाती है, तो बोली प्रक्रिया की पर्याप्त रूप से (पारदर्शिता के आधार पर) और प्रक्रियात्मक रूप से (केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर) समीक्षा की जा सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या आयोग धारा 63 के तहत निर्धारित शुल्क को अस्वीकार करते हुए धारा 62 के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता था।

इसलिए, धारा 63 को शुल्क [2022] 19 एस. सी. आर. होने के बाद ही लागू किया जा सकता है।

बोली के माध्यम से निर्धारित किया गया। धारा 61 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा अधिसूचित नियमों और शर्तों को शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को चुनने के उद्देश्य से संदर्भित करना होगा जो आयोग को करना चाहिए। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी का यह तर्क कि धारा 61,62 और 63 को पढ़ने से संकेत मिलता है कि टी. बी. सी. बी. मार्ग प्रशुल्क निर्धारण का प्रमुख मार्ग है, योग्य नहीं है। [पैरा 77] [677-एफ-एच; 678-ए-बी]

2.1 धारा के तहत निर्धारित टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों का मूल्य

अधिनियम की धारा 63 के तहत यह निर्धारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है कि आर. टी. एम. मार्ग या टी. बी. सी. बी. मार्ग का पालन किया जाना चाहिए या नहीं। [पैरा 78] [678-बी-सी] 2.2 13 अप्रैल 2006 को, एमओपी ने अधिनियम की धारा 63 के तहत टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश तैयार किए। दिशा-निर्देशों के खंड 2.2 में कहा गया है

कि यह तंत्र के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए आवेदन करेगा

अधिसूचना में वर्णित। [पैरा 79] [678-डी]

2.3 खंडों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश (i) संचरण की खरीद के लिए लागू होंगे।

सेवाएं, जिनमें एच. वी. डी. सी. लिंक शामिल होंगे; और (ii) एक नई पारेषण लाइन के लिए पारेषण प्रदाता का चयन करना। टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश एक बोली प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन देते हैं जो आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा। द.

टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश अन्य सेवाओं के अलावा पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बोलियां आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। खंड 3 में कहा गया है कि अंतर-राज्य संचरण के लिए आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए, राज्य सरकार संगठन या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में अधिसूचित कर सकती है। खंड 2.2 और 2.4 को पढ़ने से यह संकेत नहीं मिलता है कि सभी टाटा पावर कंपनी के लिए शुल्क।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

नई पारेषण परियोजनाओं का निर्धारण प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा किया जाएगा। यह प्रतिस्पर्धा के लिए प्रक्रियात्मक तंत्र को अधिसूचित करता है।

बोली लगाते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के लिए धारा 63 में संदर्भ यह निर्धारित करने के लिए सीमित सीमा तक किया गया है कि बोली लगाने की प्रक्रिया उसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार थी या नहीं, जो कि टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश हैं। [पैरा 80] [678-जी-एच; 679-ए-सी]

3.1 उपयुक्त की सामान्य विनियामक शक्ति

आयोग

राज्य के भीतर बिजली के संचरण के मामले में, राज्य आयोग निम्नलिखित दिशा-निर्देशों से बाध्य होगाः

धारा 63. अधिनियम की धारा 63 के तहत दिशानिर्देशों के अलावा, राज्य आयोग धारा 61 के साथ पठित धारा 181 (जेडडी) के तहत उसके द्वारा बनाए गए विनियमों से भी बाध्य होगा, जबकि वह अधिनियम की धारा 86 के तहत शुल्क निर्धारित करने के अपने कार्य का निर्वहन करता है। हालाँकि, यदि धारा 63 के तहत जारी दिशा-निर्देश या अधिनियम की धारा 181 (जेडडी) के तहत बनाए गए विनियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है या यदि दिशानिर्देश किसी दी गई स्थिति से नहीं निपटते हैं, तो आयोग अपनी सामान्य नियामक शक्ति का प्रयोग करेगा।

शुल्क को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 86 (1) (ए) के तहत। [पैरा 85] [681 ई-एफ]

3.2 केंद्र द्वारा जारी टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश

वैकल्पिक मार्गों के बीच चयन के लिए दिशा-निर्देश अधिनियम की धारा 62 और 63। एम. ई. आर. सी. ने न तो धारा 181 के तहत किसी विनियम को अधिसूचित किया है और न ही अधिनियम की धारा 61 के तहत नियमों और शर्तों को अधिसूचित किया है। इस मामले में, आयोग धारा 86 के तहत सामान्य नियामक शक्ति का सहारा लेकर शुल्क निर्धारण का तरीका चुन सकता है। [पैरा 87] [683-जी-एच; 684-ए]

4.1 एन. टी. पी.-बाध्यकारी या भौतिक विचार की प्रकृति

धारा 61 या धारा 181 (जेड. डी.) के तहत विनियमों के तहत दिशानिर्देशों के अभाव में भी, आयोग के पास चुनाव करते समय बेलगाम शक्ति या विवेक नहीं है।

शुल्क निर्धारित करने का तरीका। धारा 86 की उप-धारा (3) और (4) में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग अपनी [2022] 19 एस. सी. आर. का निर्वहन करते समय।

कार्यों को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और एन. टी. पी. और एन. ई. पी. द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। [पैरा 88] [684-बी-सी]

अधिनियम के उद्देश्य को लागू किया, जो एक अच्छा संतुलन बनाना है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के बीच। एन. टी. पी. 2006 को बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी भागीदारों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। द सेंट्रल

सरकार ने 2006 में सभी नई पारेषण परियोजनाओं के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया, लेकिन राज्य परियोजनाओं में इसके आवेदन को शामिल नहीं किया। हालांकि, बोली के माध्यम से शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से राज्य और निजी पक्षों के बीच अंतर को हटा दिया गया था

बोली लगाते हैं। हालांकि, एम. ई. आर. सी. ने सीमा को अधिसूचित नहीं किया था जिस तारीख को इसने ए. ई. एम. एल.-टी. को पारेषण लाइसेंस देने का आदेश पारित किया था। एम. ई. आर. सी. ने अधिनियम की धारा 181 के तहत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम 2019 को अधिसूचित किया। एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियम शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को चुनने के लिए दिशानिर्देश या मानदंड प्रदान नहीं करते हैं। टाटा पावर कंपनी चुनने के लिए दिशानिर्देश।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) (पहला संशोधन) विनियम 2022 द्वारा तौर-तरीकों को लागू करने की मांग की गई है। एम. ई. आर. सी. ने टिप्पणियों, सुझावों और आपत्तियों के लिए 19 अगस्त 2022 को एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. संशोधन विनियमों का मसौदा प्रसारित किया। [पारस 90-92] [684-GH; 685-A-G] 4.3 जब एच. वी. डी. सी. कुडस-आरे पारेषण परियोजना के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया गया था, और जब इसे एम. ई. आर. सी. द्वारा प्रदान किया गया था, तो एन. टी. पी. 2016 द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक सीमा को एम. ई. आर. सी. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, सवाल यह है कि क्या एम. ई. आर. सी. द्वारा सीमा की किसी भी अधिसूचना के अभाव में, क्या एम. ई. आर. सी. को अभी भी एन. टी. पी. 2016 को देखते हुए टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से पारेषण परियोजना के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। केवल इसलिए कि सीमा को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि एम. ई. आर. सी. को केवल आर. टी. एम. मार्ग के माध्यम से शुल्क निर्धारित करना था। एम. ई. आर. सी. धारा 63 या धारा 62 मार्ग के माध्यम से शुल्क निर्धारित करने के लिए खुला है। जब एम. ई. आर. सी. शुल्क निर्धारित करने के लिए धारा 86 के तहत अपनी सामान्य नियामक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो एन. टी. पी. एक भौतिक विचार है। इस प्रकार, एक सीमा सीमा की अनुपस्थिति उस शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी जो एम. ई. आर. सी. के पास शुल्क (और इसके तौर-तरीकों) को निर्धारित करने के लिए है। चूँकि एम. ई. आर. सी. के पास अंतर-राज्य शुल्क को विनियमित करने और निर्धारित करने की शक्ति है।

बिजली के संचरण, एम. ई. आर. सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और विनियमों, यदि कोई हों, का विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या एम. ई. आर. सी. को शुल्क के निर्धारण के लिए दो मार्गों में से एक का चयन करने के लिए अनिवार्य किया गया था या क्या वह तौर-तरीके का चयन करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। [पारस 93,100] [687-डी; 691-एच; 692-ए-सी]

एनर्जी वॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2017) 14 एस. सी. सी. 80 [2017] 3 एस. सी. आर. 153; पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010) 4 एससीसी 603: [2010] 3 एस. सी. आर. 609; रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 3 एससीसी 352: [2019] 1 एस. सी. आर. 886-संदर्भित।

5.1 नई-पुरानी पहेली

ए. ई. एम. आई. एल. की 1000 मेगावाट की आरे-कुडुस एच. वी. डी. सी. परियोजना एक मौजूदा या पुरानी परियोजना है।

निम्नलिखित कारणों से जीओएम जीआरः

जी. आर. वाक्यांश 'नई' परियोजनाओं का अर्थ प्रदान या व्याख्या नहीं करता है। अतः एम. ई. आर. सी. के पास इसे तैयार करने का विवेकाधिकार है।

वाक्यांश 'नई' परियोजनाओं की समझ जब तक है उचित है और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता है। इस न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा की गई

उपरोक्त और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एम. ई. आर. सी. के पास शुल्क निर्धारण को विनियमित करने की शक्ति है। एम. ई. आर. सी. ने नियमों के माध्यम से 'नई' परियोजनाओं को परिभाषित नहीं किया है। इस स्थिति में, एम. ई. आर. सी. के पास 'नई' परियोजनाओं की व्याख्या करने का विवेकाधिकार है जो उसने ए. ई. एम. आई. एल. को संचरण लाइसेंस देने के अपने फैसले के दौरान की थी। एम. ई. आर. सी. ने माना कि आम तौर पर अनुमोदन को रद्द कर दिया जाता है। यह परियोजना को बंद करने के बराबर होगा, जब तक कि तथ्यों की विशिष्ट प्रकृति एक वैकल्पिक निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती (जैसा कि इस मामले में है); दूसरा, 'नई' परियोजना वाक्यांश की व्याख्या के लिए तथ्यों को लागू करने पर, एम. ई. आर. सी. ने कहा कि एच. वी. डी. सी.

आरे परियोजना कोई नई परियोजना नहीं है। ए. पी. टी. ई. एल. ने अपील पर एम. ई. आर. सी. की टिप्पणियों को बरकरार रखा कि यह एक मौजूदा परियोजना है। ए. पी. टी. ई. एल. के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील

अधिनियम की धारा 125 केवल सी. पी. सी. की धारा 100 में उल्लिखित आधारों पर हो सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 में कहा गया है कि दूसरी अपील केवल तभी होगी जब अदालत (इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय) संतुष्ट हो कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। यह तय कानून है कि नीचे दिए गए मंचों (एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल.) द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। [पैरा 106-106.2] [695-F H; 696-A-C, F-G]

डीएसआर (स्टील) प्रा. लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य (2012) 6 एससीसी

782 [2012] 5 एस. सी. आर. 583-संदर्भित।

5.2 12 नवंबर 2007 को, MSETCL ने एक

मुंबई के भार केंद्रों के लिए बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कदमों को निर्धारित करने के लिए सी. ई. ए. को संचार। संचार में कहा गया है कि टी. पी. सी. ने स्थापना का प्रस्ताव दिया था

जबकि आर. ई. एल. ने प्रस्ताव दिया था, ओवरहेड लाइनें और भूमिगत केबल

एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) तकनीक का उपयोग करके आरे से संपर्क। एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने 2009-10 से 2013-14 के लिए एक पंचवर्षीय योजना अधिसूचित की। एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना। इस योजना में विशेष रूप से नागोथाने और टाटा पावर

कंपनी के बीच एच. वी. डी. सी. आधारित संपर्क सहित नई योजनाओं के साथ आर-इन्फ्रा की चल रही योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

आरे। टी. पी. सी. की चल रही और नई योजनाओं के संबंध में भी इसी तरह के विवरण प्रदान किए गए थे। टी. पी. सी. और आर-इन्फ्रा दोनों शुरुआत से ही मैदान में थे। जबकि टी. पी. सी. मुख्य रूप से ओवरहेड में था पारेषण लाइन खंड, आर-इन्फ्रा ने एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर पारेषण लाइनों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। की आलोचना

नवंबर 2010 में मुंबई में ग्रिड की विफलता के बाद एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण हो जाती है। आई. आई. टी. के एक प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली समिति ने एच. वी. डी. सी. की सिफारिश की

एस. टी. यू. की वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए पंचवर्षीय योजना। एम. ई. आर. सी. ने 5 अप्रैल 2013 को सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी। प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए ग्रिड संपर्क के अनुदान के लिए आवेदन को 21 अगस्त 2013 को अनुमति दी गई थी। जब मामले इस तरह आगे बढ़ रहे थे, नवंबर 2013 में एमएसईटीसीएल ने आर-इन्फ्रा के साथ एक बैठक में प्रस्ताव दिया था कि आर-इन्फ्रा का लाभ उठाया जा सकता है। कुडुस उप-स्टेशन से संपर्क जो नागोथाने के उप-स्टेशन की तुलना में आरे उप-स्टेशन के करीब था। आर-इन्फ्रा ने संपर्क के बिंदु पर प्रस्तावित संशोधन पर अपनी चिंता व्यक्त की। 10 अप्रैल 2014 को एम. ई. आर. सी. ने एच. वी. डी. सी. योजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। जनवरी 2015 में, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने एक संशोधित योजना का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा 400 केवी कुडस-आरे एच. वी. ए. सी. योजना प्रस्तावित की गई थी। 2 मई 2016 को एम. ई. आर. सी. द्वारा नागोथाने आरे एच. वी. डी. सी. योजना को दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया गया था। [पारस 106.2। 1 , 106.2. 2] [697 - जी-एच; 698-ए-एच; 699-ए]

5.3 हालाँकि, चूंकि एम. एस. ई. टी. सी. एल. की एच. वी. ए. सी. योजना शुरू नहीं हुई, इसलिए ए. ई. एम. एल.-टी. ने एच. वी. डी. सी. योजना के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। 23 नवंबर 2018 को आरे से कुडुस के बीच जहां एम. ई. आर. सी. द्वारा जारी पत्र में ग्रिड प्रदान करने के लिए एक संशोधन किया गया था

नागोथाने से आरे तक 2 x 500 एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) योजना से संपर्क की मांग की गई थी। तथ्यों का विवरण इंगित करता है कि ए. ई. एम. एल.-टी. (या इसके पूर्ववर्ती हित में) एच. वी. डी. सी. योजना के निष्पादन में [2022] 19 एस. सी. आर. की स्थापना के बाद से शामिल रहा है।

योजना। एम. ई. आर. सी. द्वारा ए. ई. एम. एल.-टी. को दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करना इस मामले की विशिष्ट पृष्ठभूमि को देखते हुए परियोजना को समाप्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इसके कारण यह एच. वी. डी. सी. और एच. वी. ए. सी. प्रौद्योगिकियों पर एम. एस. ई. टी. सी. एल. की अनिर्णायकता कि ए. ई. एम. एल.-टी. की मंजूरी रद्द कर दी गई थी। एचवीडीसी

योजना का श्रेय 2009 से आर-इन्फ्रा या, जैसा भी मामला हो, ए. ई. एम. एल. टी. को दिया गया था। बिजली नियामक क्षेत्र में, जहां राज्य नियामक आयोग और एसटीयू कई लूपों में काम कर रहे हैं, यह सवाल कि क्या परियोजना पुरानी है या नई, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के समग्र दायरे के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एच. वी. डी. सी. योजना एक पुरानी परियोजना है और नागोथाने से कुडुस तक इंजेक्शन बिंदु के स्थान में बदलाव से पुरानी परियोजना बंद नहीं होगी।

परियोजना। [पारस 106.2। 3 , 106.2. 4] [699 - बी-एफ]

6. एम. ई. आर. सी. के निर्णय के लिए जीओ. एम. जी. आर. की प्रासंगिकता

शुल्क का निर्धारण स्वतंत्र वैधानिक के अंतर्गत आता है।

विनियामक आयोग का क्षेत्र। राज्य सरकार

अधिनियम। यह कहते हुए कि राज्य सरकार जारी कर सकती है लोक हित से संबंधित नीति के मामलों में निर्देश, अनुभाग

108 (2) यह बताता है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा निर्देश लोक हित से संबंधित नीति के मामलों से संबंधित है,

कार्य। धारा 108 "लोक हित से संबंधित नीति के मामलों में निर्देश जो राज्य सरकार उसे लिखित रूप में दे सकती है" से संबंधित है। प्रावधान में 'इट' शब्द राज्य आयोग को संदर्भित करता है। जीओएम के जीआर में राज्य का उल्लेख नहीं है आयोग और धारा 108 में परिकल्पित एम. ई. आर. सी. को निर्देश के रूप में जारी नहीं किया गया है। इसलिए, एच. वी. डी. सी. परियोजना है,

पहला, जी. ओ. एम. जी. आर. के संदर्भ में एक मौजूदा परियोजना, और दूसरा, राज्य आयोग को निर्देश के रूप में धारा 108 के संदर्भ में जी. ओ. एम. जी. आर. जारी नहीं किया गया है। [पारस 111,112] [701-डी-ई, जीएच; 702-ए]

7.1 एम. एस. ई. टी. सी. एल. के निर्णय टाटा पावर कंपनी की तुलना में जी. ओ. एम. जी. आर. की प्रासंगिकता।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

खंड के संदर्भ में राज्य उपयोगिता के कार्यों के साथ पढ़े गए विकास दिशानिर्देशों को पढ़ने से यह स्पष्ट है

39 (2) अधिनियम के अनुसार अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता शीर्ष प्राधिकारी होगी, लेकिन अधिकार प्राप्त समिति को टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करनी है। [पैरा 120] [704-जी-एच]

7.2 यह स्पष्ट है कि एच. वी. डी. सी. परियोजना को टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत संदर्भित नहीं किए जाने के संबंध में एम. एस. ई. टी. सी. एल. का निर्णय था

अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुरूप जो जी. ओ. एम. जी. आर. के संदर्भ में स्थापित किए गए हैं और जिन्हें टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का चयन करने का अधिकार दिया गया है। [पैरा 127] [707-डी-ई]

8.1 निष्कर्ष

विद्युत अधिनियम, 2003 राज्यों को अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है।

जेराव आरजाथाव रायजो आय 'गफोरा गोहो दं। शुल्क निर्धारित करना और विनियमित करना। विद्युत अधिनियम 2003 राज्य सरकारों को शुल्क के निर्धारण और विनियमन से दूर रखने का प्रयास करता है, इस तरह की शक्ति को पूरी तरह से उपयुक्त आयोगों के दायरे में रखता है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान शुल्क निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख विधि निर्धारित नहीं करते हैं। धारा 63 बोली प्रक्रिया आयोजित होने के बाद संचालित होती है। जहां बोली के माध्यम से शुल्क पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, उपयुक्त आयोग को ऐसे शुल्क को अपनाना होगा जो निर्धारित किया जा चुका है। उपयुक्त आयोग ऐसा नहीं कर सकता है

धारा 62 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके बोली के माध्यम से निर्धारित ऐसे शुल्क को अस्वीकार करें। बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क

उपयुक्त आयोग द्वारा प्रक्रिया को केवल तभी नहीं अपनाया जा सकता है जब बोली प्रक्रिया पारदर्शी न हो।

मूल समीक्षा) या धारा 63 के तहत केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

(एक प्रक्रियात्मक समीक्षा करना)। धारा 62 और 63 शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को निर्धारित करती हैं। धारा 63 में अबाधित खंड की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि शुल्क निर्धारित करने के लिए तौर-तरीके चुनने के चरण में धारा 63 को धारा 62 पर प्राथमिकता दी जाएगी। शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों के निर्धारण के लिए मानदंड या दिशानिर्देश [2022] 19 एस. सी. आर. होने चाहिए।

उपयुक्त राज्य आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 181 के तहत विनियमों या अधिनियम की धारा 61 के तहत दिशानिर्देशों के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। एम. ई. आर. सी. ने शुल्क निर्धारित करने के लिए तौर-तरीकों को चुनने के लिए न तो नियम बनाए हैं और न ही मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इस प्रकार, एम. ई. आर. सी. अपनी सामान्य नियामक शक्तियों का प्रयोग करके शुल्क का निर्धारण करेगा। अधिनियम की धारा 86 (1) (ए) के तहत। एम. ई. आर. सी. धारा 86 (1) (ए) के तहत अपनी सामान्य नियामक शक्तियों का प्रयोग करते समय एन. टी. पी. 2016 द्वारा निर्देशित होगा, जो एक भौतिक विचार होगा।

तदनुसार, जबकि एन. टी. पी. 2016 के लिए टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से आवंटित की जाने वाली सीमा से अधिक अंतर-राज्य संचरण परियोजनाओं की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखा जाने वाला एक भौतिक विचार है। महाराष्ट्र के मामले में सीमा मूल्य अभी तक एम. ई. आर. सी. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। एम. ई. आर. सी. द्वारा सीमा को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण, एम. ई. आर. सी. के लिए एच. वी. डी. सी. परियोजना को आर. टी. एम. या टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत आवंटित करने के लिए खुला था। एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. आरे-कुडुस परियोजना मंत्री समूह के जी. आर. 2019 को लागू करने के उद्देश्य से एक मौजूदा परियोजना है। यह न्यायालय

अधिनियम की धारा 125 के तहत एक वैधानिक अपील पर निर्णय नहीं ले सकते हैं।

8.2 विद्युत अधिनियम 2003 या नीतिगत ढांचा, विशेष रूप से एन. टी. पी. 2016 को दिनांक 4 जनवरी के जी. ओ. एम. जी. आर. के साथ पढ़ा जाता है। 2019 , केवल टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से एच. वी. डी. सी. परियोजना को आवंटित करने के लिए एम. ई. आर. सी. को बाध्यकारी नहीं बनाया।

नियामक टाटा पावर कंपनी। वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

धारा 62 के तहत एच. वी. डी. सी. परियोजना को अनुदान देने का आयोग का निर्णय अपनी शक्तियों के उचित प्रयोग के भीतर था। [पैरा 129] [709 ई.

8.3 इस मामले ने एस. टी. यू. के कामकाज की तदर्थ प्रकृति को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया है। एमएसईटीसीएल ने बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर अपना रुख बदल रहा है। एम. एस. ई. टी. सी. एल. के उलटफेर हुए हैं

इससे समय और निवेश का नुकसान हुआ है जबकि बिजली क्षेत्र में मांग तेजी से बढ़ रही है। बिजली विनियमन से संबंधित मामलों में, नियामक आयोग और पारेषण उपयोगिताएं आमतौर पर तकनीकी अनिश्चितता, भारी बिजली की आवश्यकता जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।

निवेश और रास्ते के अधिकार के मुद्दे। पारेषण उपयोगिताओं की तदर्थ कार्यप्रणाली भी उनके कार्यों के अभ्यास का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में खामियों के कारण है। विद्युत अधिनियम 2003 को राज्यों को अंतर-राज्य विद्युत प्रणाली को विनियमित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था और साथ ही नियामक आयोगों को शुल्क निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। हालांकि केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार ने बिजली क्षेत्र को विनियमित करने के लिए वैधानिक नीतियां और दिशानिर्देश तैयार किए हैं, लेकिन नियामक आयोगों ने आवश्यक दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं। अधिनियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने के लिए विनियम। सभी राज्य नियामक आयोगों को इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों पर अधिनियम की धारा 181 के तहत विनियम बनाने का निर्देश दिया जाता है। शुल्क निर्धारण पर इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय, उपयुक्त आयोग को धारा 61 में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें एनईपी और एन. टी. पी. भी शामिल हैं। जहाँ उपयुक्त है

आयोग (ओं) ने पहले ही विनियम तैयार कर लिए हैं, शुल्क निर्धारित करने के लिए तौर-तरीकों को चुनने के मानदंडों पर प्रावधानों को शामिल करने के लिए उनमें संशोधन किया जाएगा, यदि उन्हें पहले से शामिल नहीं किया गया है। आयोग धारा 61 में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हुए एक संतुलन को प्रभावी करेंगे जो राज्यों में बिजली विनियमन का एक स्थायी मॉडल बनाएगा। विनियामक आयोग इन विनियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा, बनाए गए विनियम [2022] 19 एस. सी. आर. के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए।

विद्युत अधिनियम 2003, जो विद्युत नियामक क्षेत्र में निजी हितधारकों के निवेश को बढ़ाने के लिए है ताकि शुल्क निर्धारण की एक स्थायी और प्रभावी प्रणाली बनाई जा सके जो लागत कुशल हो ताकि इस तरह के लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें। [पारस 130,131] [709-एफ-एच; 710-ए-ई]

गोविंदराजू बनाम। मरियम्मन (2005) 2 एससीसी 500: [2005]

1 एससीआर 1100; हरि सिंह बनाम। कन्हैया लाल (1999) 7 एससीसी

288 [1999] 2 पूरक। एससीआर 216; रामास्वामी कलिंगरयार बनाम। मथायन पदयाची (1992) 1 पूरक एस. सी. सी.

712 ; केहर सिंह बनाम। यश पाल (2015) 7 एससीसी 769;

बिस्मिल्लाह बेगम बनाम। रहमतुल्लाह खान (1998) 2 एससीसी

226 [1998] 1 एस. सी. आर. 284-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 3 एससीआर 153

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2010] 3 एससीआर 609

संदर्भित किया गया है

पैरा 86

[2019] 1 एससीआर 886

संदर्भित किया गया है

पैरा 94

[2012] 5 एससीआर 583

पैरा 106.2

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 एससीआर 1100

संदर्भित किया गया है

पैरा 106.2

[1999] 2 पूरक। एससीआर 216

संदर्भित किया गया है

पैरा 106.2

[1998] 1 एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 106.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1933

2022 तक।

अपीलीय के 18.02.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की अपील No.280 में विद्युत न्यायाधिकरण।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्री वेंकटेश, सुश्री कनिका चुघ, नितिन

सलुजा, सुहेल बटान, सिद्धार्थ जोशी, विनीत कुमार, अनंत सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री दीपा चव्हाण,

महेश अग्रवाल, हेमंत सिंह, अर्शित आनंद, सुश्री गीतिका शर्मा, हर्षित सिंह, मृदुल चक्रवर्ती, बीजू मट्टम, लक्ष्यजीत सिंह बागडवाल, सुश्री लावण्या पंवार, सुश्री रेशमा नथानी, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री दीपिका कालिया, कपीश सेठ, सुश्री प्रियंका खोसला, बडी

रंगनाथन, सुश्री प्रीति रूंगटा, सुमित परगल, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, सुधांशु एस. चौधरी, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, टाटा पावर कंपनी।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, दुर्गेश गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

निर्णय में उपयोग किए गए परिभाषित शब्दों की एक शब्दावली प्रदान की गई है

नीचेः

शर्तों की शब्दावली

परिभाषा

परिभाषित अवधि

विद्युत अधिनियम, 2003

अधिनियम ए. ई. एम. आई. एल /

अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड

दूसरा उत्तरदाता

अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड-पारेषण

एइएमएल-टी तीसरा उत्तरदाता

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

एपीटीईएल

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

सी. ई. ए

विकास दिशा-निर्देश

प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश

पारेषण परियोजनाओं का विकास

विस्तृत प्रगति रिपोर्ट

डीपीआर

ईसी/पाँचवाँ उत्तरदाता

अधिकार प्राप्त समिति

नियामकों का मंच

के लिए

महाराष्ट्र सरकार, सरकार

जीओएम का जीआर

संकल्प दिनांक 04.01.2019

उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा

एचवीडीसी एचवीडीसी परियोजना

1000 400 केवी एम. एस. ई. टी. सी. एल. कुडस और 220 केवी ए. ई. एम. एल. आरे ई. एच. वी. के बीच एम. डब्ल्यू. एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) लिंक

स्टेशन

एम. ई. आर. सी./प्रथम प्रतिवादी

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. नियम

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

(बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम 2019

एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. संशोधन

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

(बहु-वर्षीय शुल्क) (पहला संशोधन) विनियम

नियम-कानून

2022

विद्युत मंत्रालय

एमओपी

महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक

एम. एस. ई. टी. सी. एल./चौथा प्रतिवादी

आयोग

राष्ट्रीय विद्युत नीति

एनईपी एन. टी. पी. 2006

राष्ट्रीय शुल्क नीति 2006

राष्ट्रीय शुल्क नीति 2016

एन. टी. पी. 2016

रिलायंस एनर्जी लिमिटेड

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

आरइन्फ्रा

विनियमित शुल्क तंत्र

आर टी एम

राज्य पारेषण उपयोगिता

एसटीयू

शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली

टीवीएसवीवी टीबीसीबी दिशानिर्देश

शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश दिनांकित एमओपी द्वारा जारी पारेषण सेवा

13.04.2006

टी. पी. सी.-टी/अपीलार्थी

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड पारेषण वोल्टेज स्रोत कनवर्टर

वीएससी

इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है -

विश्लेषण को सुविधाजनक बनानाः

A. तथ्य।

..... 5 *

बी. एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष कार्यवाही। 27 * C. प्रस्तुतियाँ

34 *

..37 *

D. विनियामक ढांचा

घ. 1 विद्युत अधिनियम 2003। ... .

37 *

डी. 2 नीतिगत ढांचा।

42 *

D. 2 केंद्रीय नीतियाँ

42 *

D. 2. राज्य नीतियाँ।

. 47 *

ई. विश्लेषण

48 *

ई. 1 धारा 63: प्रमुख मार्ग या वैकल्पिक

49 *

मार्ग।

ई. 1.1। निर्धारित टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों का मूल्य

धारा 63 के तहत।

54 *

E. 2 उपयुक्त की सामान्य विनियामक शक्ति आयोग।

56 *

ई. 2 एन. टी. पी. की प्रकृति-बाध्यकारी या एक

भौतिक विचार।

. 61 *

* एड नोटः पेजिनेशन मूल निर्णय के अनुसार है।

टाटा पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

ई. 3 जीओएम जीआर का मूल्य।

..... 72 *

ई. 3. 1 नई-पुरानी पहेली

73 *

ई. 3. 2 एम. ई. आर. सी. के लिए जी. ओ. एम. जी. आर की प्रासंगिकता

... . 80 *

निर्णय।

ई. 3. 3 जी. ओ. एम. जी. आर. की प्रासंगिकता बनाम

एम. एस. ई. टी. सी. एल. का निर्णय

..... 83 *

एफ निष्कर्ष।

..... 89 *

1. ए. पी. टी. ई. एल. ने 18 फरवरी 2022 के अपने फैसले में एक

21 मार्च 2021 के एम. ई. आर. सी. के फैसले के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा स्थापित अधिनियम की धारा 111 के तहत अपील।

2. 21 मार्च 2021 को, एम. ई. आर. सी. ने प्रसारण लाइसेंस प्रदान किया

400 केवी एम. एस. ई. टी. सी. एल. कुडस और 220 केवी. ए. ई. एम. एल. आरे ई. एच. वी. स्टेशन के बीच 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) लिंक स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत ए. ई. एम. आई. एल.

3. अपीलार्थी ने एपीटीईएल के समक्ष एमईआरसी के आदेश को चुनौती दी।

अन्य रूप से, इस आधार पर कि लाइसेंस का अनुदान टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया से पहले नहीं था। टी. पी. सी.-टी. ने तर्क दिया कि धारा 63 के अनुसार टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया का पालन करने में विफलता जनहित

और वैधानिक जनादेश के विपरीत थी। ए. पी. टी. ई. एल. ने याचिका खारिज कर दी। इसने अधिनियम की धारा 125 के तहत एक वैधानिक अपील को जन्म दिया है।

A. तथ्य 4. 12 नवंबर 2007 को, MSETCL ने एक संचार जारी किया

सी. ई. ए. ने कहा कि बाधाओं के कारण मुंबई के भार केंद्रों तक बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक नए 400 केवी उप-स्टेशन से बिजली लाने के लिए ऊपर की एसी लाइनें बिछाना मुश्किल था। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया कि वी. एस. सी. आधारित एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी का उपयोग नए उप-स्टेशन को प्रमुख स्टेशनों से जोड़ने के लिए किया जा सकता है।

डी. सी. केबलों के माध्यम से मुंबई में भार केंद्र। इस संदर्भ में पत्र में कहा गया हैः

" एम/एस। रिलायंस एनर्जी (आर. ई. एल.) और मेसर्स. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड

(टी. पी. सी.) ने आवश्यक सर्वेक्षण किया है और तदनुसार मेसर्स. आर. ई. एल. ने मुंबई के नए स्थान को घोडबंदर से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।

आंशिक रूप से ओवरहेड लाइन द्वारा और आंशिक रूप से भूमिगत केबलों द्वारा।

इसके

अलावा, [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम/एस। आर. ई. एल. ने मुंबई को नए स्थान से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा

एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित प्रौद्योगिकी) द्वारा आरे तक।

एम/एस। टी. पी. सी. ने विक्रोली में 220 केवी का सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।

और मौजूदा सालसेट, धारावी और ट्रॉम्बे सबस्टेशन हैं। ये 400 केवी प्रस्तावित सबस्टेशन से सबस्टेशनों को पानी दिया जाएगा।

घाटकोपर।

इस प्रकार मुंबई के प्रमुख भार केंद्रों को नीचे दिए गए अनुसार भोजन दिया जाएगा। कोलाबा क्षेत्र को 220 केवी धारावी एस/एस (टाटा) द्वारा पानी दिया जाएगा।

अंधेरी क्षेत्र को 220 केवी वर्सोवा और आरे एस/एस (आरईएल) द्वारा पानी दिया जाएगा।

बांद्रा क्षेत्र को 220 केवी आरे एस/एस द्वारा पानी दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य पारेषण कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल) ने

400 केवी मुंबई नए स्थान को इसके साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

400 प्रणाली को मजबूत करने के लिए केवी न्यू मुंबई (पनवेल)।

राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) कार्यालय एक सलाहकार की नियुक्ति करेगा। जिसे वीएससी आधारित एचवीडीसी में पर्याप्त ज्ञान हो

योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी, मेसर्स आर. ई. एल. की सहमति के अधीन

उसी की लागत वहन करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

आरईएल ने एचवीडीसी (वीएससी) को तैनात करके एक पारेषण परियोजना की परिकल्पना की

प्रौद्योगिकी आधारित, जहां मुंबई शहर में बिजली प्राप्त करने के लिए भार/निकासी बिंदु आरे में था। आर. ई. एल. और टी. पी. सी.-टी. दोनों को मुंबई के भार तक बिजली लाने के लिए पहचान योग्य क्षेत्रों में भाग लेना था।

केंद्र।

5. 5 मई 2009 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने इसके लिए एक पंचवर्षीय योजना अधिसूचित की।

अवधि 2009-10 से 2013-14 तक। इस योजना में नागोथाने-आरे एचवीडीसी लिंक शामिल था। इसी तरह, टी. पी. सी. टी. की चल रही और नई योजनाओं का विवरण भी दिया गया। योजना के संदर्भ में, आर. ई. एल. को नागोथाने-आरे पारेषण परियोजना को निष्पादित करना था।

6. नवंबर 2010 में मुंबई ने आंशिक ग्रिड का अनुभव किया।

अशांति। आई. आई. टी. के प्रोफेसर डॉ. एस. ए. खापर्डे की अध्यक्षता में एक समिति

स्थिति का अध्ययन करने के लिए मुंबई का गठन किया गया था। समिति ने मुंबई के लिए प्रस्तावित बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी को एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में अपनाने की सिफारिश की।

2 x 350 मेगावाट एच. वी. डी. सी. वोल्टेज स्रोत कनवर्टर टाटा पावर सी. ओ. के साथ पारेषण परियोजना।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

मुंबई के लिए प्रसारण लिंक। इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण थोक बिजली इंजेक्शन योजना के रूप में की गई थी। 7. 13 मई 2011 को, आरइन्फ्रा ने पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए संचरण लाइसेंस देने के लिए अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रावधानों के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। 11 अगस्त 2011 के एक आदेश द्वारा, एम. ई. आर. सी. ने कहा कि आर-इन्फ्रा को पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए संचरण लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 5.1 के साथ 7.1 पढ़ा जाता है। 6 एन. टी. पी. 2016 ने संचरण सेवाओं के लिए टी. बी. सी. बी. को अनिवार्य किया। इसके बजाय, एम. ई. आर. सी. ने आर. इन्फ्रा को पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए विशिष्ट पारेषण लाइनों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए पारेषण लाइसेंस प्रदान किया। द.

जिन पारेषण लाइनों के संबंध में आर इन्फ्रा को लाइसेंस दिया गया था, उन्हें 11 अगस्त 2011 के संचार में निर्दिष्ट किया गया था।

8. 2 नवंबर 2012 को सलाहकार को अंतिम रूप देने के लिए एच. वी. डी. सी. उप-समिति की रिपोर्ट में एच. वी. डी. सी. को अपनाने के कारणों का उल्लेख किया गया। (मुंबई की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए वी. एस. सी.) आधारित प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित उद्धरण इंगित करता है कि विभिन्न कार्यों की खोज के बाद यह पाया गया कि नागोथाने में संपर्क उपयुक्त था। दूसरी ओर, आरे एक प्रमुख भार केंद्र होने के नाते एक "उपयुक्त सिंक पॉइंट" था।

कनेक्शन ":

" उप-समिति की पहली बैठक 28.08.2012 पर आयोजित की गई थी,

जहां चर्चा और सहमति के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं पर चर्चा की गई और उन पर विचार किया गयाः

आई. क्लासिक एच. वी. डी. सी. में सक्रिय/प्रतिक्रियाशील बिजली नियंत्रण की सीमित क्षमता है, जबकि वी. एस. सी. एच. वी. डी. सी. में सक्रिय और प्रतिक्रियाशील बिजली नियंत्रण की गतिशील क्षमता है। प्रतिक्रियाशील शक्ति नियंत्रण

ii. क्लासिक एच. वी. डी. सी. में कोई ब्लैकस्टार्ट सुविधा नहीं है; जबकि वी. एस. सी. एच. वी. डी. सी. में ब्लैकस्टार्ट सुविधा है जो ग्रिड को पुनर्जीवित करने में एक बड़ी सहायता हो सकती है।

iii. क्लासिक एच. वी. डी. सी. को अधिक पदचिह्नों की आवश्यकता होती है। वीएससी एचवीडीसी हो रहा है डिजाइन में कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर इसलिए इसे केवल 30 प्रतिशत पदचिह्न की आवश्यकता होती है।

कनवर्टर स्टेशन स्थापित करने के लिए क्षेत्र

iv. शॉर्ट सर्किट का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए मुंबई के लिए एचवीडीसी लिंक आदर्श होगा उपरोक्त को पूरा करने के लिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुंबई के लिए 2x500 मेगावाट एच. वी. डी. सी. वोल्टेज स्रोत परिवर्तक (वी. एस. सी.) आधारित प्रौद्योगिकी आवश्यक है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्रिड के साथ संपर्क के लिए, विभिन्न विकल्पों का पता लगाया गया और

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नागोथाने में विद्युत संपर्क उपयुक्त है।

इसी तरह आरे, प्रमुख भार केंद्र होने के कारण, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि

आरे कनेक्शन के लिए उपयुक्त सिंक पॉइंट है। 9. 1 फरवरी 2013 को, आरइन्फ्रा ने एम. ई. आर. सी. को एक डी. पी. आर. प्रस्तुत की।

एम. एस. ई. टी. सी. एल. के 400 केवी नागोथाने स्टेशन से 220 केवी आरे उप-स्टेशन तक प्रस्तावित 2 x 500 मेगावाट एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी.) आधारित पारेषण लाइन के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति।

10. 5 अप्रैल 2013 को, एम. ई. आर. सी. ने आर-इन्फ्रा को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें अनुदान दिया गया था।

यह प्रणाली का अध्ययन करने और डी. पी. आर. की प्रौद्योगिकी और बोली प्रक्रिया के चयन और डिजाइन में सहायता करने के लिए नागोथाने-आरे एच. वी. डी. सी. योजना के लिए एक सलाहकार को काम पर रखने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देता है। हालांकि, यह था

इस बात पर ध्यान दिया कि 'सैद्धांतिक' मंजूरी को वार्षिक आवर्ती राजस्व के उद्देश्यों के लिए अंतिम मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और

योजना शुल्क निर्धारण प्रक्रिया के दौरान जांच के लिए खुली होगी, विशेष रूप से वास्तविक लागत, दायरे और प्राप्त उद्देश्य के संदर्भ में। एम. ई. आर. सी. ने सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी

आर-इन्फ्रा की पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन। आर-इन्फ्रा को एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर आधारित पारेषण परियोजनाओं पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

11. पंचवर्षीय योजना एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा धारा के संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है।

39 एम. ई. आर. सी. (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम 2006 के अधिनियम और विनियम 8 का। 7 मार्च 2013 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने एम. ई. आर. सी. को एक संचार में पुष्टि की कि मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए 2013-14 से 2017-18 के लिए पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजना पर विचार किया जा रहा है:

एस. योजना का नाम

वर्ष

टिप्पणि

यों की

चालू करना

नहीं।

1 . 2x500 मेगावाट एचवीडीसी आईजीबीटी (वीएससी) आधारित

2016-17

का

र्यान्वयन

उ

पयोगिता आरइन्फ्रा-टी

आरे नागोथाने लिंक (120 सीकेटी कि. मी.)

बेस के साथ।

12. 19 मार्च 2013 को आरइन्फ्रा ने एम. एस. ई. टी. सी. एल. को एक आवेदन प्रस्तुत किया।

नागोथाने-आरे एच. वी. डी. सी. योजना के लिए ग्रिड संपर्क की मांग करना। 21 अगस्त 2013 को एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। पत्र में टाटा पावर कंपनी का विस्तृत विवरण दिया गया है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

आर-इन्फ्रा द्वारा किए जाने वाले कार्य के दायरे का पता लगाना और अनुपालन के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करना।

13. 20 नवंबर 2013 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. और आर-इन्फ्रा के बीच आरे से एच. वी. डी. सी. संपर्क पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

उप-स्टेशन। बैठक में एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने संपर्क सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखा

नागोथाने में 400 केवी सबस्टेशन के बजाय 400 केवी कुडस सबस्टेशन से। नागोथाने से संपर्क के बिंदु में बदलाव की मांग का कारण जैसा कि मूल रूप से कुडुस के लिए परिकल्पित किया गया था, इस प्रकार थाः

कुडुस (पीजी) और अन्य 400 केवी नेटवर्क वापल (पीजी) 400 बुभेश्वर एमएसईटीसीएल), 400 केवी नासिक (एमएसईटीसीएल) 400 केवी से 400 केवी नागोथाने (एमएसईटीसीएल) एस/एस की तुलना में पडघा (एमएसईटीसीएल) 400 केवी बोल्सर (पीजी)। इसलिए 400 केवी कुडस सबस्टेशन

एच. वी. डी. सी. संपर्क के लिए एक बेहतर विकल्प है। रूट केबल लिंकेज की लागत काफी कम होगी।

मुख्य अभियंता (एस. टी. यू.) ने कहा कि जब आर-इन्फ्रा एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए मूल योजना बनाई गई थी, तब 400 के. वी. कुडस (एम. एस. ई. टी. सी. एल.) एस. टी. यू. योजना में नहीं थे, लेकिन अब इसे आई. एस. टी. यू. योजना में शामिल कर लिया गया है। इसलिए आरे के साथ एच. वी. डी. सी. संबंध के लिए इसकी सकारात्मक जांच की जानी चाहिए। परियोजना की लागत में काफी कमी आएगी।

जाहिर है, आर-इन्फ्रा को नागोथाने से कुडुस तक एच. वी. डी. सी. संपर्क के लिए बिंदु को संशोधित करने के बारे में आपत्ति थी। द मिनट्स ऑफ द 20 नवंबर 2013 की बैठक उन चिंताओं को इंगित करती हैः

" आर-इन्फ्रा ने संपर्क के दायरे में संशोधन पर विचार करने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, जिसे स्थायी समिति द्वारा तय किया गया था। आर. इन्फ्रा ने पहले ही नागोथाने (एम. एस. ई. टी. सी. एल.) के पास भूमि की खरीद और विस्तृत सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। आर-इन्फ्रा द्वारा सभी आवश्यक मंजूरी प्रस्ताव शुरू किए जाते हैं जिनके लिए मंजूरी प्रक्रिया में है और

इस स्तर पर नए प्रस्ताव पर विचार करना बहुत मुश्किल है। "

एम. एस. ई. टी. सी. एल. के निदेशक (संचालन) ने आर-इन्फ्रा को अपनी चिंताओं से सहमत होते हुए, फिर भी सुझाए गए प्रस्ताव की जांच करने और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सलाह दी।

14. 14 फरवरी 2014 को, आर-इन्फ्रा ने एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी.) परियोजना के तहत नागोथाने और आरे के बीच पारेषण संपर्क के लिए एक डी. पी. आर. प्रस्तुत की। 10 अप्रैल 2014 को एम. ई. आर. सी. ने नागोथाने-आरे एच. वी. डी. सी. योजना के लिए आर. इन्फ्रा को सैद्धांतिक मंजूरी दी। आर-इन्फ्रा को सूचित किया गया कि सैद्धांतिक मंजूरी उसके संचरण लाइसेंस में संशोधन के लिए याचिका दायर करने के अधीन है। यह भी उल्लेख किया गया कि सैद्धांतिक मंजूरी को वार्षिक आवर्ती राजस्व उद्देश्यों के लिए अंतिम मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह योजना शुल्क निर्धारण के दौरान जांच के लिए खुली होगीः

" 5. कृपया ध्यान दें कि इस सैद्धांतिक मंजूरी को ए. आर. आर. उद्देश्य के लिए अंतिम मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह योजना शुल्क निर्धारण प्रक्रिया/ए. आर. आर. समीक्षा के दौरान जांच के लिए खुली होगी, विशेष रूप से योजना के कार्यान्वयन के बाद वास्तविक लागत, दायरे और उद्देश्य आदि के संदर्भ में। आरइन्फ्रा-टी को अपनी ए. आर. आर. याचिका के साथ या शुल्क निर्धारण प्रक्रिया के दौरान अब तक की लागत के साथ योजना के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

उचित समय पर।

[.....]

7. योजना के पूरा होने/चालू होने के तुरंत बाद आर-इन्फ्रा-टी को आयोग को योजना के पूरा होने की तारीख, वास्तविक लागत, लागत में वृद्धि, यदि कोई कारण हो तो, योजना का दायरा और उद्देश्य आदि के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि सैद्धांतिक मंजूरी और वास्तविक के बीच तुलना की जा सके।

15. 5 जनवरी 2015 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने एम. ई. आर. सी. के लिए मुंबई की पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक संशोधित योजना का प्रस्ताव रखा। एमएसईटीसीएल

प्रस्ताव दिया कि यह एक 400 केवी कुडस-आरे एच. वी. ए. सी. योजना स्थापित करेगा। आर इन्फ्रा द्वारा निष्पादित की जाने वाली एच. वी. डी. सी. परियोजना को कुडुस से आरे तक एम. एस. ई. टी. सी. एल. के एच. वी. ए. सी. संचरण लिंक के साथ प्रतिस्थापित करने का कारण पत्र के पैराग्राफ 9 में स्पष्ट किया गया था जिसे नीचे निकाला गया हैः

" 9) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आर-इन्फ्रा टी की एच. वी. डी. सी. परियोजना की समीक्षा स्रोत उत्पादन में अनिश्चितताओं और आगामी मजबूत स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है।

बहुत कम दूरी पर 400 के. वी. कुडस का स्रोत (लगभग। 80 किमी)

400 से अधिक केवी नागोथाने एस/एस। इसलिए, नेटवर्क विन्यास में उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, 400 केवी कुडस (एमएसईटीसीएल) सबस्टेशन से 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन के माध्यम से मुंबई प्रणाली में पारेषण गलियारे की क्षमता बढ़ाने के लिए मुंबई में 400 केवी सबस्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे पारेषण क्षमता में 1500-2000 मेगावाट की वृद्धि होगी।

एम. एस. ई. सी. टी. एल. द्वारा प्रस्तावित योजना के दायरे को संचार के पैराग्राफ 11 में चित्रित किया गया था जिसे नीचे निकाला गया है:

" 11) उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रस्तावित योजना का दायरा दिया गया है।

नीचे:

i) 400 केवी कुडस (एमएसईटीसीएल)-400 केवी आरे (एमएसईटीसीएल) डी/सी

क्वाड लाइन-80 किमी।

ii) 400/200 केवी, 2x500 एमवीए आईसीटी। iii) के. वी. आरे और के. वी. आरे के बीच 200 के. वी. इंटरकनेक्शन।

बे के साथ प्रस्तावित 200 केवी गोरेगांव फिल्म सिटी।

iv) टी. पी. सी. और आर. इन्फ्रा (टी) लाइनों के साथ 220 के. वी. इंटरकनेक्शन के लिए 6x200 के. वी. बे। v) 400 केवी विक्रोली के साथ इंटरकनेक्शन के लिए 400 केवी स्पेयर बे

(टीपीसी)।

vi) भविष्य के विस्तार के लिए 400/220 KV, 2x500 MVA ICTS।

400 केवी आरे (एम. एस. ई. टी. सी. एल.) की स्थापना की योजना

मुंबई को पांच साल के एसटीयू पैन 2017-18 के दौरान चालू करने के लिए 2019-20 में शामिल किया जाएगा। एच. वी. डी. सी. परियोजना उपरोक्त कारणों से रद्द कर दी गई है। योजना की आवश्यक डी. पी. आर. सैद्धांतिक मंजूरी के लिए नियत समय में माननीय आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

एच. वी. ए. सी. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुडुस और आरे के बीच संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे 2015-16 से 2019-20 के लिए पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। 16. 23 जनवरी 2015 को, आर-इन्फ्रा ने 5 जनवरी 2015 के संचार का जवाब देते हुए एमएसईटीसीएल को एक संचार को संबोधित किया। आर.

इन्फ्रा ने एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) योजना के प्रतिस्थापन के प्रस्ताव का जवाब नागोथाने से आरे तक एक ओवरहेड संचरण [2022] 19 एस. सी. आर. के साथ दिया।

एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा रोम कुडुस से आरे को निष्पादित किया जाएगा। पत्र में लिखा है

((i)

अनुमोदित एच. वी. डी. सी. योजना की सिफारिश की गई थी

एम. ई. आर. सी. द्वारा नियुक्त स्थायी समिति;

((ख)

एच. वी. डी. सी. परियोजना जिसकी परिकल्पना वी. एस. सी. आधारित थी

प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण तकनीकी लाभ थे

एमएसईटीसीएल द्वारा प्रस्तावित एच. वी. ए. सी. प्रौद्योगिकी; और

अतीत में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और

(iii)

एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने प्रस्तावित एच. वी. ए. सी. पारेषण लाइनों को रद्द कर दिया था।

मुंबई में बिजली लाने या उन्हें बाहर समाप्त करने के लिए मुंबई में और उसके आसपास रास्ते के गंभीर अधिकार की बाधाओं के कारण मुंबई।

आर-इन्फ्रा ने इसलिए दोहराया कि एचवीडीसी-वीएससी आधारित योजना

इसे जारी रखा जाना चाहिए। हालांकि, आर-इन्फ्रा ने संकेत दिया कि

मुंबई में थोक बिजली इंजेक्शन के लिए एच. वी. डी. सी. एम. को बनाए रखते हुए इस बिंदु को कुडुस में स्थानांतरित किया जा सकता है।

17. 2 मई 2016 को एम. ई. आर. सी. ने सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया।

आर-इन्फ्रा की एच. वी. डी. सी. योजना में कटौती। रद्द करने का पत्र है

नीचे लिखा हैः

" इसमें अनुमोदित पूंजीगत व्यय की समीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ है।

आरइन्फ्रा-टी द्वारा प्रस्तुत योजनाएं दिनांक 5 अप्रैल के पत्र के माध्यम से

2016 ;

आरइन्फ्रा-थास ने 7 योजनाओं की समीक्षा प्रस्तुत की, इसके बावजूद

1)

आयोग द्वारा बहुत पहले अनुमोदित किए जाने के बाद, विभिन्न योजनाओं के खिलाफ काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है

कारणों से।

आर-इन्फ्रा-टी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है;

2)

3 220 केवी गोलीबार एस/एस के लिए योजनाएं (ईएचवी योजना),

अ)

220 के. वी. दहिसर हाउसिंग एस/एस और 220 के. वी. एयरपोर्ट एस/एस) रु। 600.51 करोड़ के लिए जमा किया जाएगा

भूमि के आवंटन के बाद संशोधित अनुमोदन।

ख)

2 योजनाएं (एच. वी. डी. सी. परामर्श, 2x500 मेगावाट)

एच. वी. डी. सी. योजना) रु. 7103.99

एस. टी. यू. के जवाब के रूप में करोड़ों को रोक कर रखा गया है

प्रतीक्षा की जा रही थी।

(ग)

आई योजना (भूमि डी. पी. आर.) की राशि रु. 232.55 करोड़ वापस ले लिया गया है क्योंकि स्वीकृत भूमि की लागत पहले से ही है

संबंधित डी. पी. आर. योजनाओं में विचार किया गया। नगरी की स्थापना की योजना के बारे में

(घ)

निवारा सब स्टेशन की राशि रु। 460.59 करोड़,

आरइन्फ्रा ने प्रस्तुत किया है कि उसने एक भाग को निष्पादित किया है, अर्थात,

आरइन्फ्रा आरे और के बीच केबल बिछाने का हिस्सा

आरइन्फ्रा-डी के लिए इसी क्षेत्र में ई. एच. वी. स्टेशन & एम. एस. ई. डी. सी. एल. भार और सबस्टेशन भाग है

वापस लेने का प्रस्ताव।

आरइन्फ्रा-टी (अर्थात स्थापना) के कार्य के दायरे में बदलाव के कारण

3)

आरइन्फ्रा-टी आरे और एमएसईटीसीएल के बीच केबल संपर्क बोरीवली में नगरी-निवारा सब स्टेशन स्थापित किए बिना), रिनफ्रा

टी को योजना की संशोधित मंजूरी लेने की आवश्यकता है

इस तरह के परिवर्तन के लिए एस. टी. यू. की सिफारिश के साथ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि

4)

आर इन्फ्रा-टी द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई

220 केवी गोलीबार एस/एस, 220 केवी दहिसर के लिए ईएचवी योजना के लिए

आवास एस/एस, 220 केवी हवाई अड्डा एस/एस, भूमि डीपीआर, एचवीडीसी

परामर्श, एच. वी. डी. सी. लाइन और नगरी का सबस्टेशन भाग

निवारा योजना रद्द कर दी गई है।

(जोर दिया गया)

18. 22 दिसंबर 2016 को एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने अपनी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की।

वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए जिसमें एच. वी. डी. सी. योजना को हटा दिया गया था। एच. वी. डी. सी. योजना को वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए प्रस्तुत 5-वर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया था। 29 अगस्त 2018 को ए. ई. एम. एल. ने आर. इन्फ्रा का अधिग्रहण किया।

19. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी, टी. पी. सी.-टी.,

विक्रोली में 400 केवी रिसीविंग स्टेशन को चालू करने के लिए एक डी. पी. आर. प्रस्तुत की गई थी जिसे 2 जून 2011 को एम. ई. आर. सी. द्वारा करोड़ रुपये की पूंजी लागत के साथ अनुमोदित किया गया था। डी. पी. आर. के संदर्भ में, काम मार्च 2015 में पूरा किया जाना था। टी. पी. सी.-टी. ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना को पूरा करने के लिए इस आधार पर संशोधित समय-सीमा का प्रस्ताव किया कि इसके लिए मंत्रालय से मंजूरी सहित अनुमोदन की आवश्यकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न चरणों में थे और आवश्यक भूमि अंतिम चरण [2022] 19 एस. सी. आर. में थी।

कब्ज़े में लिया जाना। 12 सितंबर 2018 के अपने आदेश में एम. ई. आर. सी. ने कहा कि टी. पी. सी.-टी. ने दो बार संशोधित डी. पी. आर. प्रस्तुत की है।

जिस पर इसने लक्ष्य योजना की तारीख को मार्च 2017 और बाद में मार्च 2019 तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। टी. पी. सी.-टी. ने मार्च 2022 की एक संशोधित पूर्णता तिथि का प्रस्ताव रखा। टी. पी. सी.-टी. की योजना में कोई प्रगति नहीं होने के कारण एम. ई. आर. सी. ने योजना को बंद कर दिया। यह देखा गयाः

" 7.12. 1 विक्रोली में 400 केवी रिसीविंग स्टेशन के संबंध में,

आयोग ने नोट किया कि टी. पी. सी.-टी. ने इसके लिए अपनी डी. पी. आर. प्रस्तुत की थी विक्रोली में 400 केवी रिसीविंग स्टेशन को चालू करने और आयोग ने 2 जून, 2011 को इसी लागत को मंजूरी दी है। 846.19 क्र. डी. पी. आर. में, टी. पी. सी.-टी. ने प्रस्तुत किया था कि काम मार्च, 2015 में पूरा हो जाएगा।

" 7.12. 8 वर्तमान याचिका में टी. पी. सी.-टी. की प्रस्तुतियों के आधार पर, आयोग आगे नोट करता है, टी. पी. सी.-टी. ने आसन्न भार आवश्यकता और बिजली में घातीय वृद्धि की परिकल्पना की थी।

विक्रोली और आसपास के क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों (विशेष रूप से गोदरेज क्षेत्र में) में बड़े पैमाने पर विकास के कारण आवश्यकता। वास्तव में, क्षेत्र में अनुमानित भार वृद्धि नहीं हुई है।

" 7.12. 9 उपरोक्त पर विचार करते हुए आयोग ने कहा कि एसटीयू ने देखा है कि इसे पूरा करने में अत्यधिक देरी हो रही है
और इस योजना को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी. बी. सी. बी.) मार्ग के तहत शुरू करने का सुझाव दिया। आयोग टी. पी. सी.-टी. द्वारा निष्पादन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में चिंतित है।

योजना। इस योजना को आयोग द्वारा बंद माना जा रहा है और आयोग एसटीयू को ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करने और आगे बढ़ने का प्रस्ताव देने का निर्देश देता है। एसटीयू को एक महीने के भीतर टीपीसी-टी के प्रस्तावित 400 केवी विक्रोली रिसीविंग स्टेशन की समीक्षा पर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। "
विक्रोली पारेषण योजना जिसमें स्थापना की परिकल्पना की गई थी

इसलिए अपीलार्थी द्वारा 400 केवी प्राप्त करने वाले स्टेशन को एम. ई. आर. सी. द्वारा टी. पी. सी.-टी. एस. के पूरा होने में अत्यधिक देरी के आधार पर बंद माना गया था। इसके बजाय परियोजना को टी. बी. सी. बी. के माध्यम से आवंटित करने का सुझाव दिया गया था। मार्ग।

20. 23 नवंबर 2018 को, ए. ई. एम. एल. ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया

एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने संकेत दिया कि इस पर गंभीर बाधाओं को देखते हुए मुंबई और उसके आसपास ओवरहेड लाइनों का निर्माण, 400 केवी आरे टाटा पावर कंपनी।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

– एम. एस. ई. टी. सी. एल. की कुडस ओवरहेड पारेषण योजना "कभी शुरू नहीं हुई"। इसलिए ए. ई. एम. एल. ने 2 x 500 मेगावाट के एच. वी. डी. सी. के विकास का प्रस्ताव रखा।

(वी. एस. सी.) आधारित कुडस और आरे के बीच संपर्क और परियोजना को ए. ई. एम. एल. के पारेषण लाइसेंस में शामिल करना। ए. ई. एम. एल. ने राज्य ग्रिड से मुंबई तक थोक बिजली ले जाने के लिए एक संशोधित 'कनेक्शन आवेदन' प्रस्तुत किया; पहले के आवेदन में एक संशोधन जिस पर 21 अगस्त 2013 को एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा नागोथाने-आरे एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए ग्रिड संपर्क प्रदान किया गया था; और 2 x 500 मेगावाट एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी.) लिंक के संपर्क अनुदान और कार्यान्वयन के लिए।

21. टी. पी. सी.-टी. ने 12 सितंबर के आदेश की समीक्षा की मांग की।

2018 एम. ई. आर. सी. द्वारा विक्रोली पारेषण योजना के लिए अपना लाइसेंस रद्द करना। 29 जनवरी 2019 को, एम. ई. आर. सी. द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें अपने पहले के तर्क को दोहराया गया था कि टी. पी. सी.-टी. ने परियोजना में काफी देरी की थी और यह देखते हुए कि रिकॉर्ड में कोई दोष या त्रुटि स्पष्ट नहीं थी।

22. 28 मई 2019 को एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने अपनी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की।

2018-19 एम. ई. आर. सी. के लिए 2023-24 जिसके तहत एच. वी. डी. सी. योजना को ए. ई. एम. एल.-टी. के दायरे में एक अतिरिक्त योजना के रूप में शामिल किया गया था। इस योजना में ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा आरे-कुडुस एच. वी. डी. सी. योजना शामिल थी और इसे एम. एस. ई. टी. सी. एल. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था।

23. ए. ई. एम. एल.-टी. ने वी. एस. सी. आधारित पर सी. ई. ए. का सुझाव माँगा।

मुंबई के मौजूदा नेटवर्क में थोक बिजली इंजेक्शन के लिए भूमिगत केबल प्रणाली। सी. ई. ए. ने 13 जून 2019 को अपने संचार में कहा कि उसने केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के अलावा एम. एस. ई. टी. सी. एल., ए. ई. एम. एल.-टी. और टी. पी. सी.-टी. के साथ 8 मई 2019 और 31 मई 2019 को बैठकें की थीं। संचार में कहा गया है कि उन बैठकों में अध्ययनों के आधार पर 2025-26 और 2030 की समय सीमा में मुंबई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की एक संचरण योजना की योजना बनाने के लिए आम सहमति थी। ए. ई. एम. एल. टी. और टी. पी. सी.-टी. से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त समय सीमा में किसी भी अतिरिक्त संचरण तत्व के साथ सबस्टेशन वार लोड डेटा प्रदान करें। जवाब में, ए. ई. एम. एल.-टी. और टी. पी. सी.-टी. दोनों ने 2024-25 के लिए उप-स्टेशन वार भार और 2024-25 के दौरान नियोजित संचरण योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। ए. ई. एम. एल.-टी. और टी. पी. सी.-टी. द्वारा 2024-25 तक की सभी योजनाओं और 2021-22 तक की एस. टी. यू. की योजनाओं पर विचार करते हुए 2024-25 स्थितियों के लिए भार प्रवाह अध्ययन भी किए गए। सी. ई. ए. द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिक निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में थेः

" 1.0 संचरण तत्व जो एन-1 के अनुरूप नहीं हैं [2022] 19 एस. सी. आर.

i) बोरीवली-220 केवी डी/सी लाइन (एमएमआर भार को पूरा करती है)

ii) कलवा-मुलुंड 220 केवी एस/सी लाइन (2 सीकेटी) (मुलुंड और भांडुप के भार को पूरा करती है जो एमएमआर के बाहर हैं)
2.0 एन-1 आकस्मिकता मानदंडों के साथ संचरण तत्वों (400/220 केवी आईसीटी और 220 केवी लाइनों) पर उच्च भारन

i) कलवा एस/एस में 400/220 केवी आई. सी. टी.

ii) 400/220 के. वी. आई. सी. टी. बोइसर (पीजी) एस/एस में

3.0 220 केवी सब-स्टेशनों पर 300 मेगावाट से अधिक का भार वहन

i) 220 केवी सरणी एस/एस
(ii) 220 केवी धारावी एस/एस

iii) 220 केवी कार्नाक एस/एस

iv) 220 केवी वर्सोसा एस/एस (एईएमएल)

4.0 कुडुस से ऐरे तक 1000 मेगावाट फ़ीड के प्रावधान के साथ यह है

यह देखा गया कि

i) सभी संचरण तत्व एन-I के अनुरूप हैं (कलवा मुलुंड 220 केवी एस/सी लाइनों को छोड़कर-2 संख्या। इसे लिलो द्वारा दूर किया जा सकता है।

कलवा-ट्रॉम्बे 220 केवी एस/सी लाइन या मुलुंड में कलवा-बोरीवली 220 केवी एस/सी लाइन या भांडुप में लिलो को मुलुंड-बोरीवली 220 केवी लाइन से कलवा-बोरीवली 220 केवी लाइन में स्थानांतरित करके

(ii) संचरण तत्वों पर भार कम हो जाता है।

24. सी. ई. ए. ने उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए पाया कि कुडुस-आरे 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. लिंक मुंबई को 'इन फीड' प्रदान करेगा और बढ़ेगा।

विश्वसनीयता। इसके अलावा, चूंकि लिंक वी. एस. सी. तकनीक पर आधारित था, इसलिए यह वोल्टेज विनियमन में मदद करेगा। बिजली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सी. ई. ए. ने प्रस्ताव दिया कि कुडस से आरे एच. वी. डी. सी. लिंक के साथ एक और 1000 मेगावाट की संभावना का पता लगाया जा सकता है। सी. ई. ए. की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने 27 जून 2019 को एक पत्र द्वारा पुष्टि की कि कुडुस-आरे 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. लिंक की आवश्यकता हो सकती है।

मुंबई में अतिरिक्त बिजली को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि लिंक एक अलग और अतिरिक्त पारेषण गलियारा बनाता है।

25. 28 जून 2019 को, एम. ई. आर. सी. ने एम. एस. ई. टी. सी. एल. को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया कि वह पाँच वर्षीय टाटा पावर कंपनी के अनुसार ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा कुडुस-आरे 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. लिंक के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाए।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

एस. टी. यू. की 28 मई 2019 की पारेषण योजना। एम. ई. आर. सी. के पत्र में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि सी. ई. ए. की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें विश्वसनीयता और वोल्टेज विनियमन बढ़ाने के लिए कुडुस-आरे 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. आधारित पारेषण परियोजना की सिफारिश की गई थी, एम. एस. ई. टी. सी. एल. परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

पंचवर्षीय पारेषण योजनाः

" 5. 2 x 500 मेगावाट के कुडुस आरे एच. वी. डी. सी. लिंक को शामिल करने की एस. टी. यू. योजना पर विचार करते हुए, सी. ई. ए. के मुंबई क्षेत्र के लिए 1000 मेगावाट के कुडुस-आरे एच. वी. डी. सी. लिंक की सिफारिश करने वाले भार प्रवाह अध्ययन और एस. टी. यू. के दिनांकित अपने पत्र 27.06.2019 के माध्यम से पुष्टि करते हुए, आयोग ने एम. एस. ई. टी. सी. एल./एस. टी. यू. को तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा कुडुस-आरे 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. लिंक का निष्पादन

एस. टी. यू. की प्रति 5 वर्षीय संचरण योजना दिनांक 28.05.2019 आयोग को सूचित किया गया। आयोग एम. एस. ई. टी. सी. एल./एस. टी. यू. को अपनी एस. टी. यू. योजना में प्रस्तावित अन्य मुंबई पारेषण योजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए इसी तरह के कदम उठाने का निर्देश देता है, जैसा कि एस. टी. यू. के 27 जून 2019 के पत्र में उल्लेख किया गया है। नहीं। 7 ऊपर "।

26. 23 सितंबर 2019 को, टी. पी. सी.-टी. ने 12 सितंबर 2018 के एम. ई. आर. सी. के आदेश के खिलाफ ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष एक अपील दायर की।

अपनी विक्रोली योजना का मानित समापन। 23 सितंबर 2019 के अपने आदेश में, ए. पी. टी. ई. एल. ने उल्लेख किया कि टी. पी. सी.-टी. की ओर से आठ साल की अत्यधिक देरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत रखने का निर्देश दिया गया था। ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा कि टी. पी. सी.-टी. ने परियोजना को पूरा करने के लिए 2011 से पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी परिकल्पना मुंबई के उपभोक्ताओं के हित में की गई थीः

" 77. अपीलार्थी का यह तर्क कि यदि टी. बी. सी. बी. के तहत योजना के कार्यान्वयन की अनुमति दी जाती है, तो इससे विचाराधीन योजना में और देरी होगी, हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया में योजना को समय पर निष्पादित किया जाना है, जो परियोजना की लागत को भी अनुकूलित करता है जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होता है। अपीलार्थी ने 2011 से आज तक परियोजना को पूरा करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए हैं, जिससे मुंबई के उपभोक्ताओं को मदद मिलती है। अब, इस स्तर पर, अपीलार्थी का दावा है कि उसने बहुत प्रयास किए हैं और परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार है। अपीलार्थी को टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया में भाग लेने की भी अनुमति दी गई थी। इसलिए, योजना [2022] 19 एस. सी. आर. को लागू करने में देरी के संबंध में आयोग का अवलोकन।

8 वर्ष तक के प्रश्न में दोष नहीं पाया जा सकता है। उपरोक्त पैराग्राफ में तथ्यों पर कई टिप्पणियां की गई हैं कि कैसे

अपीलार्थी परियोजना को शुरू करने और लागू करने के लिए धीमी गति से आगे बढ़े। टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शुल्क नीति के अनुरूप है। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा किए गए तथाकथित प्रयासों और व्यय, यदि कोई हो, की बात है, तो प्रत्यर्थी-आयोग ने टिप्पणी की है कि अपीलार्थी द्वारा खर्च की गई/दावा की गई उक्त राशि को अपीलार्थी को वापस करना होगा क्योंकि यह विचाराधीन बोली की शर्तों का हिस्सा है।

27. 2 दिसंबर 2019 को, ए. ई. एम. एल.-टी. ने अपने लाइसेंस में संशोधन करने के लिए एक याचिका दायर की ताकि एच. वी. डी. सी. परियोजना को लाइसेंस के बाद से शामिल किया जा सके।

ए. ई. एम. एल.-टी. को जारी किया गया लाइन विशिष्ट था, जिसका अर्थ है कि यह ए. ई. एम. एल.-टी. को उन परिसंपत्तियों को बनाने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए अधिकृत करता है जिन्हें विशेष रूप से लाइसेंस में पहचाना गया था। टी. पी. सी.-टी. ने जनता के जवाब में अपनी आपत्तियाँ दायर कीं। ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा इस आधार पर जारी किया गया नोटिस कि एच. वी. डी. सी. योजना को टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत जीओ. एम. के जी. आर. दिनांक 4 के संदर्भ में निष्पादित किया जाना चाहिए।

जनवरी 2019। 15 जनवरी 2020 को, एम. ई. आर. सी. ने ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा किए गए संशोधन आवेदन पर एस. टी. यू. की सिफारिशें माँगी। 22 जनवरी 2020 को, एसटीयू ने संकेत दिया कि एचवीडीसी परियोजना प्रस्तावित की गई थी

टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत विचार किए जाने के लिए आगामी ई. सी. बैठक के एजेंडे में।

28. 30 मार्च 2020 को एम. ई. आर. सी. ने ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा दायर 2019 की संख्या 297 के मामले में अपना बहु-वर्षीय शुल्क आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था किः

((i)

एच. वी. डी. सी. परियोजना को निर्वाचन आयोग को भेजा गया था जिसका निर्णय प्रतीक्षा की जा रही थी;

((ख)

एच. वी. डी. सी. परियोजना को लागू करने का निर्णय होना था

संशोधन आवेदन या किसी अन्य कार्यवाही में लिया गया। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

" 2.1.21 इसके अलावा, ए. ई. एम. एल.-टी. ने पहले ही अपने संचरण लाइसेंस की मांग करते हुए 2019 के मामले संख्या 195 में अपनी याचिका दायर कर दी है जिसमें प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. योजना भी शामिल है। पारेषण लाइसेंस के लिए याचिका

आयोग के साथ संशोधन विचाराधीन है।

2.1.22 टी. बी. सी. बी. के तहत शुरू की जाने वाली परियोजना के संबंध में, एस. टी. यू. ने 22 जनवरी, 2020 को अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. कुडुस-आरे योजनाओं को अधिकार प्राप्त ए. टी. ए. पावर कंपनी को भेजा गया है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

सरकार द्वारा गठित समिति। महाराष्ट्र सरकार और अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय की प्रतीक्षा है।

2.1.23 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग प्रस्तावित अवधि के दौरान एच. वी. डी. सी. योजना के बारे में निर्णय लेगा। 2019 के मामले संख्या 195 में ए. ई. एम. एल.-टी. का संचरण अनुज्ञप्ति संशोधन या कोई अन्य कार्यवाहियां जैसा कि माना जाता है

उचित है।

29. अपने आदेश के पैराग्राफ 5.3.12 में, एम. ई. आर. सी. ने नोट किया कि एच. वी. डी. सी.

मैं मुंबई पारेषण गलियारे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था bserved:

" 5.3.12 उपरोक्त की निरंतरता में, आयोग, जैसा कि इस आदेश के अनुच्छेद 2.1.19 से 2.1.23 में चर्चा की गई है, समय पर विचार करता है

सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन

मुंबई पारेषण गलियारा। इंटरकनेक्शन प्वाइंट विक्रोली और एच. वी. डी. सी. योजना बहुत महत्वपूर्ण है। एचवीडीसी योजना

यह पहले से ही एस. टी. यू. पंचवर्षीय योजना (वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष) का हिस्सा है।

2023-24) और योजना के अनुसार, योजना की परिकल्पना की गई है

एईएमएल-टी द्वारा वर्ष 2023-24 में निष्पादित किया गया। इस संबंध में, ए. ई. एम. एल. थास ने पहले ही 2019 के मामले संख्या 195 में अपने मौजूदा पारेषण लाइसेंस में संशोधन करने के लिए एक याचिका के साथ आयोग से संपर्क किया है।

अन्य प्रस्तावित योजनाओं के साथ प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. योजना

संशोधन जो आयोग के साथ विचाराधीन हैं।

इसके अलावा, लागत की अपनी तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए, ए. ई. एम. एल.-टी. ने हाल ही में सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए अपनी डी. पी. आर. प्रस्तुत की है।

आयोग। इन योजनाओं की महत्वपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और

आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय,

महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक कदम एस. टी. यू. पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित समय सीमा। हालांकि,

योजना का कार्यान्वयन आवश्यक होगा

विनियामक अनुमोदन।

30. 30 मई 2020 को मंत्री समूह के चुनाव आयोग ने अपनी चौथी बैठक आयोजित की

यह राय दी कि एच. वी. डी. सी. योजना जो इसका एक हिस्सा थी

2018-19 से 2023-24 के लिए पंचवर्षीय योजना 019-20 से 2024-25 योजना का हिस्सा नहीं थी। ई. सी. के सदस्यों का मानना था कि एच. वी. डी. सी.-मी, जो पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।बी. सी. बी. ने उस समय निर्णय को स्थगित कर दिया था। एस. टी. यू. को एम. ई. आर. सी. को 2019-20 से 2024-25 के लिए अपनी योजना का निर्देश दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. 3 सितंबर 2020 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने एम. ई. आर. सी. के समक्ष वित्तीय वर्षों के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना 2019-20 को 2024-25 प्रस्तुत की। योजना में शामिल हैं -

वित्त वर्ष 2024-25 में एच. वी. डी. सी. परियोजना, सी. ई. ए. की टिप्पणियों के अधीन है। इस योजना में कुडुस से आरे तक 1000 मेगावाट के एच. डी. वी. सी. टर्मिनल स्टेशनों की परिकल्पना की गई है। सारणीबद्ध कथन के पैर में संलग्न नोट निम्नलिखित शब्दों में हैः

ध्यान देंः

** 1000 कुडुस और आरे में एम. डब्ल्यू. एच. वी. डी. सी. टर्मिनल स्टेशन और एच. वी. डी. सी. लिंक दो एच. वी. डी. सी. योजनाएं एस. टी. यू. योजना 2018-19 से 2023-24 का हिस्सा थीं, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया था कि मुंबई से संबंधित सभी योजनाओं पर अलग-अलग विचार करते हुए समेकित विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बाद के एस. टी. यू. अध्ययन ने संकेत दिया कि 400 केवी वेलगांव, 400 केवी कलवा स्विचिंग, 400 केवी कलवा-पड़घे एम/क्लाइन ई. सी. टी. को शामिल किया गया है। , इन एच. वी. डी. सी. योजनाओं की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इस संबंध में पहले के सी. ई. ए. अध्ययन को देखते हुए और एच. वी. ए. एस. योजनाओं को सी. ई. ए. के लिए संदर्भित नहीं किया गया था, इन एच. वी. डी. सी. योजनाओं सहित एस. टी. यू. अध्ययन को उनकी टिप्पणियों के लिए सी. ई. ए. को भेजा गया है। इसलिए 1000 मेगावाट का कुडुस-आरे एच. वी. डी. सी. लिंक इस एस. टी. यू. पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2024-25 में शामिल है (2019-20 से 2024-25) अगर इस मामले में सी. ई. ए. द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो एस. टी. यू. पंचवर्षीय योजना से योजना को हटा दिया जा सकता है।

32. 21 सितंबर 2020 को ए. ई. एम. एल.-टी. ने मामले में एक आवेदन दायर किया।

मुंबई शहर में बिजली आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए 29 जनवरी 2018 को मंत्री समूह के ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति की पहली बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। इसके अलावा, एचवीएसी एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा प्रस्तावित योजना तीन साल बीतने के बावजूद मार्ग सर्वेक्षण के चरण से आगे नहीं बढ़ी थी। इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि उपरोक्त संशोधन, एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर आधारित पारेषण परियोजना को ए. ई. एम. एल.-टी. के कार्य क्षेत्र से हटाने के लिए था। इसके बजाय, ए. ई. एम. एल.-टी. की सहायक कंपनी, ए. ई. एम. आई. एल. के नाम पर एक नया पारेषण लाइसेंस मांगा गया था। यह कहा गया था कि संशोधन आवश्यक था क्योंकिः

((i)

चार से पाँच साल की निष्पादन अवधि के साथ, योजना थी

पूंजी गहन, जिसमें कई वित्तीय संस्थाओं से वित्त की आवश्यकता होती है

संस्थान; टाटा पावर कंपनी। वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

((ख)

पर्याप्त वित्तीय निवेश को ध्यान में रखते हुए जो था

आवश्यक, वित्तीय संस्थानों को चिन्हित लक्षित निधियों की आवश्यकता होती है जिनकी सख्ती से निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है; और

(iii)

समय पर समावेशन और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी

बंद कर दें।

33. 12 अक्टूबर 2020 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वह एच. वी. डी. सी. के लिए पारेषण लाइसेंस देने की सिफारिश नहीं करता है

ए. ई. एम. आई. एल. को इस आधार पर परियोजना दें किः (क) 11 अगस्त 2011 को आर-इन्फ्रा को ए. ई. एम. एल.-टी. को दिए गए पारेषण लाइसेंस में, लाइसेंस के एक हिस्से को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने का कोई उल्लेख नहीं है; (ख) ए. ई. एम. आई. एल. एक अलग कानूनी इकाई है और उसे एम. ई. आर. सी. को एक नया आवेदन करना होगा।

अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत संचरण लाइसेंस के लिए; और (सी) यदि ए. ई. एम. आई. एल. अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो लाइसेंस एम. ई. आर. सी. के विवेक पर दिया जाएगा।

34. 23 अक्टूबर 2020 को सी. ई. ए. द्वारा एम. एस. ई. टी. सी. एल. को एक संदेश भेजा गया था जिसमें लिखा था किः

" iii. यह ध्यान दिया जा सकता है कि मुंबई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की उपलब्धता की आवश्यकता और आर. ओ. डब्ल्यू. की समस्या को देखते हुए

मुंबई तक ओवरहेड पारेषण लाइनों का निर्माण, ए. ई. एम. एल. के अनुरोध पर सी. ई. ए. ने पहले ही थोक बिजली के लिए एक योजना का सुझाव दिया है।

मुंबई से 1000 मेगावाट वी. एस. सी. आधारित एच. वी. डी. सी.

एक और 1000 मेगावाट के लिए भविष्य के साथ कुदस टू एरे। यह सुझाव 2024-25 स्थितियों के लिए किए गए अध्ययनों के आधार पर दिया गया था। वी. एस. सी. एच. वी. डी. सी. एस./एस. के निर्माण के लिए कुडुस और सरणी में ए. ई. एम. एल. एस. में आवश्यक भूमि प्रावधान उपलब्ध है। यह प्रणाली मुंबई क्षेत्र को अतिरिक्त स्वतंत्र फ़ीड की आवश्यक विश्वसनीयता प्रदान करेगी जब उत्पादन स्रोतों में

टाटा प्रणाली के बंद होने की संभावना है "।

प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. योजना को लागू करने की आवश्यकता पर पत्र के निम्नलिखित उद्धरणों में प्रकाश डाला गया थाः

" iv. मुंबई में हाल ही में ब्लैकआउट की घटनाओं (12.10.2020) के कारण कुडस से आरे प्रणाली तक 1000 मेगावाट की वी. एस. सी. आधारित एच. वी. डी. सी. को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है ताकि बढ़ते भार को कम किया जा सके। एमएमआर को विश्वसनीय रूप से पूरा किया जा सकता है। कई फ़ीडिंग पॉइंट यानी कुडुस आरे वी. एस. सी. लिंक और कार्यान्वयन के तहत फेज-न्यू मुंबई खरगर 400 केवी लिंक अतिरिक्त फ़ीडिंग पॉइंट प्रदान करेगा और

मुंबई प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुंबई की वर्तमान बिजली की मांग

टाटा क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादन लगभग 1349 मेगावाट है। 1627 मेगावाट की उत्पादन क्षमता। अडानी क्षेत्र में 500 मेगावाट की तुलना में लगभग 350 मेगावाट उत्पादन उपलब्ध है। इसलिए वर्तमान में सर्वोत्तम उत्पादन उपलब्धता की स्थिति में, एमएमआर की 50 प्रतिशत से अधिक बिजली की मांग को 400 केवी पुणे, फेज, बॉयसर लिंक से आयात करने की आवश्यकता है। चूँकि पुणे और फाडगे का संपर्क पुराना है और इसमें मूस संवाहक है, इसलिए किसी भी संपर्क के गंभीर रूप से टूटने की स्थिति में

मुंबई क्षेत्र में बिजली के आयात के लिए पारेषण बाधा है

देखा गया। यह तब और बढ़ जाता है जब पीढ़ी में

टाटा प्रणाली कम है। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि टाटा और अडानी क्षेत्र में मशीनों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। उन परिस्थितियों में एमएमआर की बिजली की पूरी मांग को केवल आयात के माध्यम से पूरा किया जाना है।

इस पृष्ठभूमि में, पत्र में कहा गया है कि 1000 एम. वी. वी. एस. सी. आधारित एच. वी. डी. सी. जैसे स्रोतों से बाई क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।

सी. ई. ए. द्वारा सुझाए गए आरे को बधाई देने की आवश्यकता थी

प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया गया।

35. 24 दिसंबर 2020 को चुनाव आयोग ने अपनी पांचवीं बैठक आयोजित की। मद 3 में सीमा (एन. टी. पी. 2016 के अनुसार) से संबंधित टी. बी. सी. बी. के माध्यम से राज्य के भीतर संचरण परियोजनाओं का विकास।

ई. सी. ने निर्णय लिया किः

(i) 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली एसटीयू योजना की सभी परियोजनाओं को टी. बी. सी. बी. के तहत निष्पादन के लिए निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

मार्ग;

((ख)

यदि एस. टी. यू. ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना का प्रस्ताव रखा तो "परियोजना के लिए विशिष्ट कारणों से" टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत नहीं लिया जाएगा और किसी अन्य तंत्र के तहत निष्पादित किया जाएगा, औचित्य को चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

इसके विचार के लिए ";

(iii)

500 करोड़ रुपये की सीमा की समीक्षा की जाएगी। वार्षिक; और

((iv)

एक बार जब ई. सी. इस परियोजना की सिफारिश करने का फैसला करता है

टी. बी. सी. बी. मार्ग या अन्यथा, एस. टी. यू. को एम. ई. आर. सी. को नए संचरण लाइसेंस की अंतिम मंजूरी के लिए या मौजूदा संचरण लाइसेंस का विस्तार करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए याचिका दायर करनी है।

कानून "।

एटा पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

उपरोक्त निर्णयों के अलावा, "नई/पुरानी परियोजनाओं" पर रुपये की सीमा लागू करने पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया किः

" आई. एम. ई. आर. सी. और एम. ई. आर. सी. द्वारा तय की गई सभी परियोजनाएं जो पहले से ही एक लाइसेंसधारी के लाइसेंस का हिस्सा हैं, उन्हें पहले ही काम आवंटित कर दिया गया है।

लाइसेंसधारक को निष्पादन, आगे के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा

समिति पर विचार करें।

ii. ऐसी परियोजनाएं जो एम. ई. आर. सी. के सक्रिय विचाराधीन हैं जहां एस. टी. यू. ने पहले ही एक विशेष परियोजना के तहत निष्पादन की सिफारिश की है।

तंत्र और जहाँ एम. ई. आर. सी. ने काफी हद तक प्रक्रिया शुरू की है

इस सिफारिश के आधार पर संचरण लाइसेंस, हो सकता है नए सिरे से विचार के लिए समिति में नहीं रखा जाएगा। यदि एम. ई. आर. सी. या किसी अन्य कानूनी मंच द्वारा एस. टी. यू. के बारे में कोई और सिफारिश पूछी जाती है, तो एस. टी. यू. इसके लिए समिति को आंदोलन कर सकता है।

ऊपर तय की गई सीमा "।

36. उसी बैठक के एजेंडा आइटम नंबर 4 में 1000 मेगावाट सी कुडस-आरे परियोजना पर चर्चा की गई। इस पहलू पर, यह निर्णय लिया गया कि एसटीयू एजेंडा 3 में निर्णय के आधार पर 1000 मेगावाट सी कुडस-आरे परियोजना के शुल्क निर्धारण पर अपनी सिफारिश रखे। बैठक के कार्यवृत्त से चींटी का सार नीचे निकाला गया हैः

एस. टी. यू. की पंचवर्षीय योजना में कुडुस-आरे परियोजना (2019-20 – 2024-25) अंत में अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया

बैठक होती है। 30 मई 2020 को चौथी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में "कुडस की 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. परियोजना-आरे को टी. बी. सी. बी. के तहत लिया जाना है" पर चर्चा की गई थी।

उस समय एच. वी. डी. सी. परियोजना पाँच-वर्षीय एस. टी. यू. का हिस्सा नहीं थी।

योजना बनाएँ। इसलिए कार्यसूची को स्थगित कर दिया गया। अब अधिकार प्राप्त समिति को कुडुस-आरे की 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. परियोजना को एस. टी. यू. पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में अवगत कराया गया है। समावेशन के मूल्यांकन के बाद समिति ने एस. टी. यू. को सूचित किया कि उन्हें

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें एजेंडा संख्या 3 ". [2022] 19 एस. सी. आर.

37. 29 दिसंबर 2020 को, अपीलार्थी ने एम. ई. आर. सी. के समक्ष ए. ई. एम. आई. एल. द्वारा दायर संचरण आवेदन पर आपत्ति दर्ज की और

ए. ई. एम. एल-टी. 31 दिसंबर 2020 को अपने जवाब में, ए. ई. एम. आई. एल. और ए. ई. एम. एल.-टी. ने कहा कि डी. पी. आर. की मंजूरी एम. ई. आर. सी. द्वारा केवल एम. एस. ई. टी. सी. एल. के प्रस्ताव के कारण रद्द कर दी गई थी कि प्रौद्योगिकी को एच. वी. डी. सी. से एच. वी. ए. सी. में बदल दिया जाए। हालांकि, एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा प्रस्तावित ओवरहेड एच. वी. ए. सी. योजना को लागू नहीं किया गया था। इसलिए, मुंबई के लिए एक थोक बिजली इंजेक्शन योजना के रूप में एच. वी. डी. सी. योजना पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर आधारित पारेषण परियोजना पर पुनर्विचार किया गया, जिसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी।

38. एम. ई. आर. सी. के समक्ष 20 जनवरी 2021 को दायर अपनी अतिरिक्त प्रस्तुति में, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने सी. ई. ए. रिपोर्ट को स्वीकार किया और कहा कि वह

ई. सी. के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें। 27 जनवरी 2021 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने प्रस्तुतियाँ दायर कीं जो दर्शाती हैं किः

((i)

कुडस और आरे के बीच 1000 मेगावाट का एच. वी. डी. सी. लिंक

जिस लाइसेंस की मांग की गई थी, वह पांच साल का हिस्सा था।

एसटीयू द्वारा तैयार संचरण योजना;

((ख)

कई वर्षों तक और कई समितियों द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी; थोक बिजली संचरण योजना आवश्यक थी

(iii)

मुंबई की पारेषण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करना;

(iv) जबकि एच. वी. ए. सी. सहित अन्य विकल्पों की खोज की गई थी

प्रौद्योगिकी, एच. वी. डी. सी. योजना को सी. ई. ए. द्वारा 23 अक्टूबर 2020 के अपने पत्र में अधिक विश्वसनीय पाया गया था जिसमें इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

(v)

एच. वी. डी. सी. परियोजना एक पुरानी परियोजना है और

(vi) 3 सीमा सीमा जो निर्वाचन आयोग द्वारा 24 दिसंबर 2020 को तय की गई थी, उसे अभी एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।

एमईआरसी परियोजनाएं। हालांकि, यह संकेत दिया गया था कि एम. ई. आर. सी. लागत प्रतिस्पर्धा के लिए एक उपयुक्त रणनीति का सुझाव दे सकता है जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

महाराष्ट्र।

टी. ए. पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

बी. एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष कार्यवाही 39. 21 मार्च 2021 को एम. ई. आर. सी. ने ए. ई. एम. आई. एल. को मंजूरी देते हुए एक आदेश जारी किया।

आरे-कुडुस पारेषण परियोजना के विकास के लिए एन. एस. एम. एस. लाइसेंस

एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर जहां शुल्क निर्धारित किया जाना था अधिनियम की धारा 62 के तहत टी. एम. दृष्टिकोण। आयोग ने

वेद किः

(i) कुडुस-आरे परियोजना को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

मुंबई की पारेषण प्रणाली, और एसटीयू द्वारा योजना के अनुसार तत्काल आधार पर निष्पादन के लिए शुरू की जानी चाहिए;

((ख)

एनर्जी वॉचडॉग बनाम में सर्वोच्च न्यायालय। केंद्रीय

विद्युत नियामक आयोग 1 ने माना कि एन. टी. पी. 2016

यह एक 'वैधानिक नीति' है और इसका 'कानून का प्रभाव' है। एन. टी. पी. 2016 आदेश देता है कि राज्य आयोगों को एक

टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से की जाने वाली परियोजनाओं को निर्धारित करने के लिए सीमा। एम. ई. आर. सी. ने अभी तक सीमा अधिसूचित नहीं की है;

(iii)

जीओएम का जीआर धारा 63 के तहत एक कार्यकारी निर्णय है और अधिनियम की धारा 180 के तहत अधीनस्थ विधान नहीं। यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि कि क्या कोई परियोजना जी. आर. के तहत एक 'नई' या 'मौजूदा' परियोजना है, 4 जनवरी 2019 है, जो ई. सी. बनाने वाले जी. आर. की अधिसूचना की तारीख है। 4 जनवरी 2019 तक एच. वी. डी. सी. परियोजना एक 'मौजूदा' परियोजना थी।

निम्नलिखित कारणों सेः

(क) आयोग द्वारा डी. पी. आर. को रद्द करना

मई 2016 'प्रौद्योगिकी' के लिए विशिष्ट था। मुंबई के लिए थोक बिजली इंजेक्शन की आवश्यकता को कभी भी रद्द या वापस नहीं लिया गया था। पुरानी स्वीकृत एच. वी. डी. सी. योजना का दायरा ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा नहीं, बल्कि एस. टी. यू. द्वारा बदला गया था; और

(ख)

एक बार योजना की मंजूरी रद्द हो जाने के बाद, यह बंद हो जाती है।

विचार के लिए मौजूद होना। हालाँकि, कुडुस आरे एच. वी. डी. सी. योजना नवंबर 2018 में प्रस्तावित की गई थी, इससे पहले कि मंत्री समूह के जी. आर. को अधिसूचित किया गया था। तकनीकी अध्ययन, लागत अनुमान, भूमि की पहचान और भूमि की तैयारी जैसे योजना और प्रारंभिक कार्य।

डी. पी. आर. भी शुरू की गई थी।

19 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एन. टी. पी. 2016 को अधिसूचित किए जाने के बाद महाराष्ट्र राज्य में अधिनियम की धारा 62 के तहत पूंजीगत व्यय योजनाओं के तहत कई पारेषण लाइसेंस दिए गए हैं। यदि यह तर्क कि जी. आर. अधिसूचित होने के बाद धारा 62 मार्ग के तहत परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सकता है, स्वीकार किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अन्य परियोजनाओं में से कोई भी नहीं हो सकती थी।

आर. टी. एम. मार्ग के माध्यम से भी सूचित किया जाता है।

भले ही जी. आर. लागू माना जाता है जो टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत परियोजनाओं की पहचान के लिए ई. सी. को वैधानिक बल देगा, एच. वी. डी. सी. कुडुस-आरे परियोजना को अभी भी टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से आवंटित करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है क्योंकिः

(अ)

सिर्फ इसलिए कि एसटीयू ने एचवीडीसी योजना को सूचीबद्ध किया है

ई. सी. की बैठक के एजेंडे में इसका मतलब यह नहीं है कि इस योजना को टी. बी. सी. बी. के लिए चुना गया है। एसटीयू ने केवल चुनाव आयोग की राय मांगी है। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने एच. वी. डी. सी. योजना की सिफारिश नहीं की है टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत किया जाना है;

(ख)

ई. सी. ने 24 दिसंबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में

एस. टी. यू. योजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को टी. बी. सी. बी. के तहत निष्पादन के लिए विचार के लिए ई. सी. को भेजा जाना चाहिए।

मार्ग। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि यह केवल नई परियोजनाओं पर लागू होगा। यह अनुशंसा की गई थी कि ऐसी परियोजनाएं जो एम. ई. आर. सी. के सक्रिय विचाराधीन हैं, जहां एस. टी. यू. ने पहले ही एक निश्चित तंत्र के तहत निष्पादन की अनुशंसा की है और जहां एम. ई. आर. सी. ने काफी हद तक शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

किसी भी मौजूदा या नई परियोजना के दायरे में

संचरण अनुज्ञप्तिधारी इसके आधार पर

सिफारिश को नए सिरे से विचार के लिए निर्वाचन आयोग के पास नहीं रखा जाएगा। एच. वी. डी. सी. परियोजना एम. ई. आर. सी. के सक्रिय विचाराधीन है क्योंकि परियोजना को एस. टी. यू. की पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और परियोजना ए. ई. एम. एल.-टी. को आवंटित की गई है। चूंकि एच. वी. डी. सी. परियोजना अपवाद के अंतर्गत आती है, इसलिए ई. सी. ने ऐसा नहीं किया है

सिफारिश की गई कि एच. वी. डी. सी. योजना होनी चाहिए टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से आवंटित किया गया है क्योंकि यह एक मौजूदा मार्ग है।

परियोजना और एक 'नई' परियोजना नहीं।

WER CO. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक मिशन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

मंत्री समूह का जी. आर. आरे-कुडस एच. वी. डी. सी. पर लागू नहीं होता है। परियोजना, और भले ही लागू हो, यह ईसी द्वारा निर्धारित अपवादों को देखते हुए एक 'नई' परियोजना के रूप में योग्य नहीं है। इस प्रकार, एम. ई. आर. सी. के पास धारा 62 या धारा 63 मार्ग में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार है। एम. ई. आर. सी. को योजना की आवश्यकता, योजना से जुड़ी तात्कालिकता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना को शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग का चयन करना चाहिए।

योजना। एसटीयू के अनुसार एचवीडीसी योजना धारा के तहत योजना 2019-20 से 2024-25 शुरू की जानी चाहिए।

62 क्योंकिः

(क) टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत प्रदान किए जाने पर परियोजना के लागत-लाभों का आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से पूरी की गई एच. वी. डी. सी. योजना का कोई उदाहरण नहीं है।

(ख)

एच. वी. डी. सी. योजना एक उच्च लागत वाली परियोजना है।

सीमित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रौद्योगिकी। इसमें लागत में कमी के लिए अपेक्षाकृत सीमित गुंजाइश है जब

एचवीएसी योजनाओं की तुलना में;

ए. ई. एम. आई. एल. ने पहले ही भूमि की खरीद के लिए कदम उठाए हैं।

((ग)

एच. वी. डी. सी. योजना के लिए आरे और कुडस। यह परियोजना को समय पर पूरा करने में सुविधा प्रदान करेगा।

एसटीयू ने इस संबंध में आपत्ति व्यक्त की है

((घ)

एच. वी. डी. सी. योजना के माध्यम से

प्रतिस्पर्धी बोली का मार्ग क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को पूरा होने में अतिरिक्त दो साल लगेंगे। टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत जिन दो पारेषण परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया था, उनमें पूरा होने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है

लगभग 3 वर्षों का; और

(ई) अधिनियम की धारा 62 के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की समय पर निष्पादन और लागत वृद्धि जैसे पहलुओं पर अधिक बारीकी से निगरानी की जा सकती है।

के क्रम में निकाले गए निष्कर्षों का सारांश नीचे निकाला गया है:

1 संक्षेप में:

क) मुंबई के लिए इस एच. वी. डी. सी. बल्क पावर इंजेक्शन योजना को शुरू करने के लिए कोई सही या गलत दृष्टिकोण नहीं है, इस संदर्भ में कि क्या योजना को धारा 62 (आर. टी. एम.) या धारा 63 (टी. बी. सी. बी.) मार्ग के तहत शुरू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आर. टी. एम. और टी. बी. सी. बी. दोनों मार्गों को इसके कार्यान्वयन के लिए उचित ठहराया जा सकता है।

ख) यह एक ऐसा मामला है जहां इस योजना की आवश्यकता, योजना से जुड़ी तात्कालिकता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए परियोजना को शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग का चयन किया जाना है।

ग) आयोग द्वारा इस परियोजना पर विचार किया जा रहा है क्योंकि यह एस. टी. यू. योजना वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 का हिस्सा है, जिसमें यह योजना ए. ई. एम. एल. को आवंटित की गई है। घ) टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत परियोजना प्रदान किए जाने की स्थिति में लागत लाभों का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यू. जी. केबलिंग प्रदान किए जाने के साथ किसी भी पूर्ण एच. वी. डी. सी. योजना का कोई उदाहरण नहीं है।

टी. बी. सी. बी. मार्ग से;

ङ) एच. वी. डी. सी. योजना सीमित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ उच्च प्रौद्योगिकी के साथ एक उच्च लागत वाली परियोजना है, और इसलिए, एच. वी. ए. सी. योजनाओं की तुलना में लागत में कमी की गुंजाइश अपेक्षाकृत सीमित है।

च) एच. वी. डी. सी. टर्मिनल स्टेशन के लिए आरे और कुडुस में भूमि की खरीद के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले से ही उठाए गए कदमों से परियोजना को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

छ) आयोग ने आई. आई. टी. बॉम्बे को योजना के दायरे, डिजाइन पहलुओं, लागत की तर्कसंगतता, विकल्पों आदि का मूल्यांकन करने के लिए कहा है ताकि मुंबई की संचरण बाधाओं को कम करने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त और लागत प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

ज) परियोजना के लिए अनुबंध लाइसेंस की पूर्व शर्त के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से होगा, और इसलिए, कम से कम लागत प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा, ए. आर. आर. के माध्यम से वसूली की अनुमति देने से पहले योजना के पूरा होने के बाद विशेषज्ञों के माध्यम से योजना पर होने वाली लागत का सत्यापन किया जा सकता है। i) आयोग धारा 62 परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत की वसूली की अनुमति केवल विस्तृत जांच के आधार पर विवेकपूर्ण जांच के बाद देता है, ताकि शुल्क के माध्यम से केवल उचित और उचित लागत की वसूली की जा सके।

जे) एस. टी. यू. ने प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से एच. वी. डी. सी. योजना शुरू करने के संबंध में आपत्ति व्यक्त की है, और उसके पास ए. टी. ए. पावर कंपनी है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

कहा गया है कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 से 2 साल के अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।

के) महाराष्ट्र में खारघर विक्रोली पारेषण परियोजना के अलावा टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत शुरू की जाने वाली दो पारेषण योजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई है।

एक मामले में लगभग 3 साल बीतने के बाद भी;

एम) ऐसी योजनाओं की उच्च लागत के बावजूद आर. टी. एम. आधार पर एच. वी. डी. सी. परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर अपनाया गया तर्क, निष्पादन समय अनुसूची को संकुचित करने का इरादा रहा है, जो वर्तमान मुंबई प्रसारण पर समान रूप से लागू होता है

प्रणाली;

एन) समय पर निष्पादन, लागत जैसे पहलुओं के लिए आयोग द्वारा धारा 62 परियोजनाओं की बारीकी से और नियमित रूप से निगरानी की जा सकती है।

पी) मुंबई को मजबूत करने के हित में इस योजना को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। पारेषण प्रणाली, विशेष रूप से एच. वी. डी. सी. बल्क पावर इंजेक्शन योजना को पहली बार प्रस्तावित किए हुए लगभग 10 साल बीत चुके हैं

मुंबई के लिए;

[2022] 19 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुंबई के लिए इंजेक्शन योजना वैकल्पिक तक पहुंच प्रदान करेगी अंतःस्थापित की तुलना में बिजली खरीद स्रोत

उत्पादन इकाइयाँ; जबकि कोई गारंटी नहीं है कि बिजली

आयोग की मंजूरी और कम बिजली खरीद लागत को शुल्क में कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। आर) अंतर्निहित उत्पादन क्षमता और पारेषण बाधाओं की अपेक्षित सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मुंबई में संभावित रूप से सस्ती बिजली के आयात को एच. वी. डी. सी. योजना के कार्यान्वयन से सुविधा होगी, जिससे कम होने की संभावना है।

अंत में-उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत।

अतः एम. ई. आर. सी. ने निष्कर्ष निकाला कि एच. वी. डी. सी. योजना

2019-20 से 2024-25 के लिए टीयू योजना ए. ई. एम. आई. एल. द्वारा शुरू की जाएगी।

आदेश में निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ धारा 62।

41. अपीलार्थी ने बंबई में उच्च न्यायालय के समक्ष अनुछेद के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की। हालाँकि, अधिनियम की धारा के तहत ए. पी. टी. ई. एल. को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ उन कार्यवाही को स्थगित कर दिया। टी. पी. सी.-टी. ने अधिनियम ई. ए. पी. टी. ई. एल. की धारा 111 के तहत अपील दायर की। ए. पी. टी. ई. एल. ने 18 फरवरी 2022 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया

निम्नलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखें:

(i) यह तर्क कि धारा 63 के तहत टी. बी. सी. बी. मार्ग है

प्रमुख मार्ग अधिनियम के त्रुटिपूर्ण अध्ययन पर आधारित है। धारा 62 के तहत आर. टी. एम. को अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है और इसे अधीनस्थ या अधीनस्थ स्थिति में नहीं माना जा सकता है। टी. बी. सी. बी. मार्ग से कमतर;

((ख)

एम. ई. आर. सी. के आदेश में कोई कमजोरी नहीं थी

एच. वी. डी. सी. परियोजना के रूप में पारेषण लाइसेंस 1 जनवरी 2019 को मंत्री समूह के जी. आर. के संदर्भ में एक पुरानी/मौजूदा परियोजना थी। एम. ई. आर. सी. द्वारा पहले सैद्धांतिक रूप से रद्द किया गया अनुमोदन ने परियोजना को एक नई योजना नहीं बनाया क्योंकि एसटीयू ने अपनी आपत्तियों के कारण अपना रुख बदल दिया

तकनीक। नागोथाने से कुडुस तक के मार्ग में परिवर्तन उन संशोधनों के समान था जो सभी के लिए सामान्य हैं।

पारेषण परियोजनाओं और परियोजना को केवल कनेक्शन बिंदु के परिवर्तन के कारण एक नई परियोजना के रूप में नहीं माना जा सकता है; WER CO।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक मिशन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

जबकि एस. टी. यू. के रुख में परिवर्तन उचित नहीं है और इसके बजाय एक निर्णायक और समय पर दृष्टिकोण की उम्मीद की जाती है, यह एस. टी. यू. द्वारा लिए गए निर्णय को दूषित करने का आधार नहीं हो सकता है।

एमईआरसी; कि लाइसेंस का अनुदान धारा 15 के विपरीत नहीं था जिसमें लाइसेंस देने से पहले सुझावों और आपत्तियों के लिए एक सूचना के प्रकाशन की आवश्यकता होती है। एमईआरसी ने जारी किया था

एक सार्वजनिक सूचना और इसके तहत कार्यवाही धारा 15 का संचालन उस इकाई से नहीं किया जा सकता है जो

परियोजना को लागू करना है; और

कि भले ही उचित ठहराने के कारण हो सकते हैं

क्षेत्र के लिए परियोजना की महत्वपूर्णता, न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप अनुचित होगा, इस प्रगति को देखते हुए कि पहले से ही किया गया है।

अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील दायर की गई है।

ए. पी. टी. ई. एल. का निर्णय।

प्रस्तुतियाँलांट्स की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील इर श्याम दीवान ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

सभी पारेषण परियोजनाओं के लिए, पारेषण लाइसेंस देने का नियम प्रतिस्पर्धी बोली है, बशर्ते -

कुछ अपवाद;

प्रतिस्पर्धी बोली का नियम क़ानून, वैधानिक नीति और राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों पर आधारित है।

शुल्क के लिए वैधानिक रूप से दो तरीके निर्धारित किए गए हैं। धारा 62 और 63 में निर्धारण। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 63 के तहत टी. बी. सी. बी. मार्ग

अधिनियम का पालन करना आवश्यक था;

टी. बी. सी. बी. मार्ग से प्रस्थान की कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं;

वर्तमान परियोजना को एक नई परियोजना के रूप में माना जाना चाहिए, 4 जनवरी 2019 को अपनाया जाना चाहिए जिस तारीख को सरकार [2022] 19 एस. सी. आर.

महाराष्ट्र सरकार ने एन. टी. पी. के अनुरूप जी. आर. जारी किया 2016 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन परियोजना पुरानी है या नई; और

(vi) ए. पी. टी. ई. एल. ने धारा 110 के दायरे का गलत अर्थ निकाला है

कानूनी स्थिति की अवहेलना करते हुए कि प्रावधान एक विशेष निकाय को तथ्यों और कानून पर पूर्ण अपील की परिकल्पना करता है।

44. दूसरी ओर डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री विकास

1 , ए. ई. एम. एल.-टी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और

आई. एल. ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

धारा 61 के प्रावधानों के उचित निर्माण पर,

((i)

62 और 63, कानूनी स्थिति यह है कि धारा 62 और 63 समान आधार पर हैं और यह अभिधारणा करना गलत होगा।

कि धारा 63 का एक प्रमुख चरित्र है;

((ख)

एक परियोजना की ऐतिहासिकता की अवधारणाएँ, की महत्वपूर्णता

एक योजना और इसकी तात्कालिकता ऐसे कारक हैं जो इसमें सन्निहित हैं

धारा 61;

(iii) धारा 62 और 63 की व्याख्या के बावजूद,

उपरोक्त परीक्षण के आवेदन को पुरस्कार प्रदान करना चाहिए

ए. ई. एम. एल.-टी. के लिए अनुबंध वैध है;

(iv) एम. ई. आर. सी. इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज करने में सही था कि

अपीलार्थी केवल परियोजना में देरी करने में रुचि रखता है। विक्रोली पारेषण परियोजना को अपीलार्थी द्वारा छोड़ दिया गया था और अंततः दूसरे प्रतिवादी द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था। एच. वी. डी. सी. परियोजना के पुरस्कार से बहुत अधिक आवश्यकता होगी

मुंबई को शक्ति;

(v)

टी. पी. सी.-टी. ने बहु-वर्षीय शुल्क आदेश को चुनौती नहीं दी है।

30 एम. ई. आर. सी. द्वारा मार्च 2020 में जारी किया गया जो महत्वपूर्ण प्रकृति पर विचार करते हुए एक विस्तृत विचार का उत्पाद था।

विनियामक अनुमोदन, एम. ई. आर. सी. ने एस. टी. यू. और ए. ई. एम. एल.-टी. को निर्देश दिया योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए। पारेषण लाइसेंस प्रदान करने वाला विवादित आदेश केवल परिणामी है;

(vi) यह परिकल्पना की गई थी कि 2007 से ए. ई. एम. एल.-टी.

एचवीडीसी लाइन। एच. वी. डी. सी. परियोजना में देरी हुई क्योंकि एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने प्रस्ताव दिया कि वह एक टाटा पावर कंपनी को लागू करेगी।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

कुडुस से आरे तक ओवरहेड पारेषण परियोजना, जो कभी शुरू नहीं हुई। 2007 और 2019 के बीच कोई नहीं था परियोजना पर आपत्ति जिसे निष्पादित करने की परिकल्पना की गई थी

आर-इन्फ्रा द्वारा और बाद में ए. ई. एम. एल-टी द्वारा;

(vii) आज की तारीख तक, एम. ई. आर. सी. द्वारा अंतर-राज्य पारेषण परियोजना के लिए लाइसेंस देने के लिए टी. बी. सी. बी. मार्ग को अपनाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है; और (viii) एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. दोनों प्राथमिक और अपीलीय स्तर पर सांविधिक विशेषज्ञ निकाय हैं और उन्होंने एक समवर्ती दृष्टिकोण अपनाया है। बचत करें और विकृति के मामले को छोड़कर,

इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

D. विनियामक ढांचा

45. उन मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले जो सामने आते हैं

यह महत्वपूर्ण है कि हम बिजली के प्रावधानों के संदर्भ में शुल्क के निर्धारण पर नियामक ढांचा तैयार करें अधिनियम, और अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य द्वारा बनाई गई नीतियां।

D. 1 विद्युत अधिनियम 2003

46. विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन से पहले, भारतीय विद्युत क्षेत्र भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 द्वारा शासित था।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 ने एक बुनियादी ढांचा तैयार किया।

भारत में बिजली आपूर्ति उद्योग के लिए। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 ने राज्य विद्युत बोर्डों के निर्माण को अनिवार्य किया, जिनकी जिम्मेदारी राज्य के भीतर बिजली की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने की थी। हालांकि, राज्य विद्युत बोर्ड उचित तरीके से शुल्क तय करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे। यह ध्यान दिया गया कि राज्य सरकारें व्यवहार में शुल्क तय कर रही थीं। राज्य सरकारों को शुल्क निर्धारण की कवायद से दूर रखने के लिए, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 लागू किया गया था। 47. संसद ने बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए बिजली अधिनियम 2003 लागू किया; बिजली उद्योग का विकास करने के लिए; और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। विद्युत अधिनियम 2003 को बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और [2022] 19 एस. सी. आर. को सुसंगत और समेकित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

एक स्व-निहित संहिता में प्रावधानः

" निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ

उत्पादन, संचरण और वितरण और इसके उद्देश्य सरकार से नियामक जिम्मेदारियों को दूर करना

विनियामक आयोग, सामंजस्य की आवश्यकता और

विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना,

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत नियामक

आयोग अधिनियम 1948 एक नए स्व-निहित व्यापक रूप में

कानून बना '।

48. अधिनियम का लंबा शीर्षक इंगित करता है कि इसका उद्देश्य समेकित करना है

बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानून और बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना; प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना; बिजली की दरों को तर्कसंगत बनाना और पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना। का वक्तव्य

अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि "यह राज्यों को अपने बिजली क्षेत्र को उस तरीके से विकसित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन देता है जिसे वे उचित समझते हैं।"

49. धारा 3 में राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के निर्माण का प्रावधान है।

नीति और राष्ट्रीय शुल्क नीतिः

" खंड 3. (राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना)

(1) द.

केंद्र सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी।

राज्य के परामर्श से बिजली नीति और शुल्क नीति

सत्ता के विकास के लिए सरकारें और प्राधिकरण

कोयले जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित प्रणाली,

प्राकृतिक गैस, परमाणु पदार्थ या सामग्री, पनबिजली और नवीकरणीय

ऊर्जा के स्रोत।

(3) केंद्र सरकार समय-समय पर परामर्श कर सकती है। राज्य सरकारों और प्राधिकरण के साथ, समीक्षा या संशोधन,

उप में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति

खंड (1)।

(4) प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा। राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार और इस प्रकार अधिसूचित करें

पाँच साल में एक बार योजना बनाएँ:

बशर्ते कि प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करते समय राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा प्रकाशित करेगा और उस पर लाइसेंसधारियों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगा।

कंपनियों और जनता को ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि प्राधिकरण-(ए) केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद योजना को अधिसूचित करेगा; (बी) केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों, यदि कोई हों, को उसमें शामिल करते हुए योजना में संशोधन करेगा।

खंड (ए) के तहत अनुमोदन देते समय सरकार। (5) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना की समीक्षा या संशोधन कर सकता है।

वितरण और भाग VII शुल्क के साथ। 51. धारा 38 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी सरकारी कंपनी को सी. टी. यू. के रूप में अधिसूचित कर सकती है। सी. टी. यू. वैधानिक है

अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियों के माध्यम से बिजली के संचरण का कार्य करने का अधिकार। सी. टी. यू. को अंतर-राज्य संचरण प्रणालियों से संबंधित योजना और समन्वय के कार्यों का भी निर्वहन करना होता है। इस उद्देश्य के लिए, सी. टी. यू. को एस. टी. यू., केंद्र और राज्य सरकारों, उत्पादक कंपनियों, प्राधिकरणों और लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। 52. धारा 39 में कहा गया है कि राज्य सरकार बोर्ड या किसी भी सरकारी कंपनी को एसटीयू के रूप में अधिसूचित कर सकती है। एसटीयू करेगा

अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली और योजना और समन्वय से संबंधित निर्वहन कार्यों के माध्यम से बिजली का संचरण करना।

अंतर-राज्य संचरण प्रणाली। अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, एस. टी. यू. को समय-समय पर एक पंचवर्षीय योजना प्रकाशित करके अंतर-राज्य संचरण प्रणाली की योजना पहल को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है।

53. धारा 76 और 82 केंद्रीय नियामक का गठन करती हैं।

क्रमशः आयोग और राज्य नियामक आयोग। केंद्रीय और राज्य नियामक आयोग अन्य कार्यों के अलावा, क्रमशः बिजली के अंतर-राज्य संचरण और बिजली के अंतर-राज्य संचरण के लिए शुल्क निर्धारित और विनियमित करेंगे। धारा 79 (3) और 86 (3) में निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय और राज्य आयोग [2022] 19 एस. सी. आर. का निर्वहन करते समय करेंगे।

उनके कार्य पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, और एन. ई. पी., एन. टी. पी. और राष्ट्रीय विद्युत योजना द्वारा 'निर्देशित' किए जाएंगे। केंद्र और राज्य

आयोग सलाहकार कार्यों का भी निर्वहन करते हैं, जहां वे क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देंगे।

54. धारा 14 में यह परिकल्पना की गई है कि धारा 2 (4) में परिभाषित उपयुक्त आयोग का अर्थ केंद्रीय या जैसा भी मामला हो, राज्य हो सकता है। विनियामक आयोग, किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता हैः

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली संचारित करना;
(ख) वितरण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली वितरित करना; और

(ग) में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में व्यापार और बिजली का कार्य करना। लाइसेंस।

आवेदन से। उपयुक्त आयोग द्वारा लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाता है। आवेदन को सी. टी. यू. या एस. टी. यू. को भी भेजा जाएगा, जैसा भी मामला हो। सी. टी. यू. या एस. टी. यू. को इसे भेजना होगा उपयुक्त आयोग को सिफारिश करना। हालाँकि, सी. टी. यू. या एस. टी. यू. की सिफारिश आयोग के लिए बाध्यकारी नहीं है। उपयुक्त आयोग को एक सूचना प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है

लाइसेंस देने से पहले पारेषण उपयोगिता की आपत्तियों और सिफारिशों पर विचार करें। 56. कानून के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करते हुए, संसद ने बिजली के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य संचरण के बीच स्पष्ट सीमांकन किया है। जबकि सी. टी. यू., केंद्र सरकार और केंद्रीय टाटा पावर कंपनी।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

बिजली के अंतर-राज्य संचरण की सुविधा के लिए नियामक आयोग जिम्मेदार हैं, राज्य आयोग और एसटीयू को बिजली के अंतर-राज्य संचरण के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता दी गई है।

57. भाग VII शुल्कों से संबंधित है। भाग VII में धारा 61 (शुल्क विनियम), धारा 62 (शुल्क का निर्धारण), धारा 63 (बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क का निर्धारण), धारा 64 (शुल्क आदेश के लिए प्रक्रिया), धारा 65 (राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का प्रावधान) और धारा 66 (बाजार का विकास) शामिल हैं। धारा 61 के संदर्भ में, उचित आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने का काम सौंपा गया है। नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करते समय, उपयुक्त आयोग खंड (ए) से (आई) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होगा। उनमें से, खंड (i) में एन. ई. पी. और शुल्क नीति है, जबकि खंड (सी) प्रतिस्पर्धा, दक्षता, आर्थिक उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

संसाधन, अच्छा प्रदर्शन और इष्टतम निवेश। धारा 62 (1) उपयुक्त आयोग को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देती है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "के लिए:

ए। एक उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण करने वाले को बिजली की आपूर्ति

लाइसेंसधारी;

बी। बिजली का संचरण;

सी। बिजली के पहिये; और

डी। बिजली की खुदरा बिक्री।

धारा 63 में प्रावधान है कि धारा 62 के प्रावधानों के बावजूद, आयोग बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाएगा।

प्रक्रिया यदि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शुल्क निर्धारित किया गया है।

डी. 2 नीतिगत ढांचा

58. केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव जारी किए हैं और नीतियां बनाई हैं। हमारे सामने मौजूद मुद्दों के सरगम को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नीतियों का उल्लेख करें।

महाराष्ट्र।

D. 2 केंद्रीय नीतियाँ

59. 6 जनवरी 2006 को बिजली मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एन. टी. पी. 2006 को अधिसूचित किया। एन. टी. पी. 2006, अन्य बातों के साथ, [2022] 19 एस. सी. आर. में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर देता है।

विद्युत क्षेत्र और उपभोक्ताओं को उचित और प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता। 60. खंड 5.1 में कहा गया है कि अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसने बिजली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की।

उद्योग. यह नीति खंड 7 में संचरण से संबंधित है। खंड 7.1 (6) संचरण मूल्य निर्धारण से संबंधित है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि "सी. टी. यू./एस. टी. यू. के अलावा अन्य संचरण विकासकर्ता के निवेश को प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा"। खंड 7.1 (6) अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

" (6) सी. टी. यू.-एस. टी. यू. के अलावा अन्य पारेषण विकासकर्ताओं द्वारा निवेश प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार तीन महीने में बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी। संचरण क्षमताओं का विकास करना। सी. टी. यू.-एस. टी. यू. द्वारा विकसित की जाने वाली परियोजनाओं का शुल्क पांच साल की अवधि के बाद या जब नियामक आयोग संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए स्थिति सही है (जैसा कि पैरा 5.1 में संदर्भित है)

प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

61. खंड 7.1 (7) में कहा गया है कि अंतर-राज्य संचरण के लिए रूपरेखा को लागू करने के बाद, इसी तरह के दृष्टिकोण को लागू किया जाएगा - विचार करने के बाद दो साल के भीतर अंतर-राज्य संचरण के लिए एस. ई. आर. सी.

वोल्टेज, दूरी, दिशा और प्रवाह की मात्रा जैसे कारक। हालांकि, शुल्क के लिए सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित खंड 5 में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी, नई परियोजनाओं के लिए शुल्क पांच साल के बाद या जब नियामक आयोग इसे उचित समझे, तो टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए। संबंधित खंड नीचे निकाला गया हैः

" 5.1 [.....] यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी सभी नई पीढ़ी और पारेषण परियोजनाओं के लिए शुल्क पांच साल की अवधि के बाद प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर तय किया जाना चाहिए या जब नियामक आयोग संतुष्ट हो कि स्थिति तैयार है।

इस तरह की प्रतियोगिता शुरू करें "।

62. 13 अप्रैल 2006 को, केंद्रीय एम. ओ. पी. ने पारेषण सेवाओं की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देने और पारेषण लाइनों के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम की धारा 63 के तहत पारेषण सेवाओं के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। दिशानिर्देश बनाने के उद्देश्य इस प्रकार हैंः

पारेषण सेवाओं की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना।

प्रक्रियाएँ।

विभिन्न क्षेत्रों में सूचना विषमताओं को कम करने में सुविधा प्रदान करना।

बोली लगाने वाले।

बिजली।

मानकीकरण बढ़ाएँ और अस्पष्टता को कम करें और इसलिए

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय;

संचालन में लचीलेपन की अनुमति देते हुए संचरण लाइनों के लिए मानकों, मानदंडों और कोड का अनुपालन सुनिश्चित करें

पारेषण सेवा प्रदाता "।

63. 13 अप्रैल 2006 को, एम. ओ. पी. ने पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। खंड के संदर्भ में

13 , इस योजना के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। खंड 19 के संदर्भ में, चिन्हित परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता का चयन धारा 63 के तहत एमओपी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारेषण सेवाओं के लिए टी. बी. सी. बी. के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्यों को दिशानिर्देशों को अपनाने का विवेकाधिकार होगा। खंड 24 के रूप में उल्लिखित है

निम्नलिखित हैः

24. जहां तक अंतर-राज्यीय परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारें इन दिशा-निर्देशों को अपना सकती हैं और इसी तरह का गठन कर सकती हैं।

राज्य के भीतर पारेषण परियोजनाओं की सुविधा के लिए समितियाँ।

64. 28 जनवरी 2016 को एमओपी ने एन. टी. पी. 2016 जारी किया। नीति के पैराग्राफ 5 में "शुल्क के लिए सामान्य दृष्टिकोण" का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5.1 इंगित करता हैः

" 5.1 बिजली उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा शुरू करना बिजली अधिनियम 2003 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रतिस्पर्धा से पूंजी लागत में कमी और संचालन की दक्षता के माध्यम से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ होगा। यह प्रतिस्पर्धी रूप से मूल्य निर्धारित करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र सरकार वितरण द्वारा बिजली की खरीद के लिए शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के लिए पहले ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है

लाइसेंसधारी।

"[2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति के अनुसार जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। इसके अलावा, अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

एक सीमा सीमा से अधिक लागत जो एस. ई. आर. सी. द्वारा तय की जाएगी।

65. पैरा 5.3, जिसे ऊपर निकाला गया है, में अंतर-राज्य के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करने की परिकल्पना की गई है

राज्य सरकार द्वारा विकसित मिशन परियोजनाएं जहां सी. टी. लागत एक सीमा सीमा से अधिक है जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।

सीएस।

66. 22 सितंबर 2017 को, नियामकों के मंच ने अपने 61 वें चरण में, एन. टी. पी. 2016 को दोहराते हुए, सभी सदस्यों से अपनी संबंधित अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए पुनर्वितरण सीमा निर्धारित करने का आग्रह किया, जिसमें टी. बी. सी. बी. मार्ग का पालन किया जाएगा। प्रासंगिक भाग

बैठक के कार्यवृत्त नीचे दिए गए हैं:

' कार्यसूची मद संख्या 5 (i) प्रतिस्पर्धी आधार पर अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा (एक सीमा निर्धारित करने सहित) को परिभाषित करने के लिए राज्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।

एफओआर सचिवालय ने फोरम को अद्यतन किया कि के प्रावधानों के अनुसार

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित शुल्क नीति, अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं का विकास राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है

एस. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए। इस संबंध में, मंच के समक्ष यह रखा गया कि कुछ राज्यों में राज्य स्तरीय पारेषण परियोजनाओं का विकास शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी. बी. सी. बी.) मार्ग के माध्यम से और कुछ राज्यों में किया गया था।

राज्यों, ई. पी. सी. आधारित अनुबंध का पारंपरिक मार्ग है

कथित तौर पर पीछा किया। इसके अलावा, एस. ई. आर. सी. ने टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत विचार की जाने वाली परियोजनाओं की सीमा निर्धारित नहीं की है। फोरम ने पाया कि पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए और

परियोजना लागत में दक्षता, अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए सीमा सीमा एस. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए जैसा कि टाटा पावर सी. ओ. द्वारा प्रदान किया गया है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

शुल्क नीति के लिए। इसलिए फोरम ने सदस्यों से आग्रह किया

अपने संबंधित राज्य स्तर के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए

पारेषण परियोजनाएं, उनके सभी प्रासंगिक मापदंडों को लेते हुए राज्य को ध्यान में रखें "।

67. 15 मार्च 2021 को, एमओपी ने एक संचार को संबोधित किया

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दर्ज किया कि एन. ई. पी. 2005 और एन. टी. पी. 2006 ने इष्टतम विकास सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा निर्धारित की थी।

उत्पादन और पारेषण परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, पारेषण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और पर्याप्त लाभ प्रदान करने के लिए पारेषण नेटवर्क का निर्माण। यह नोट किया कि इसके परिणामस्वरूप

(i) लागत से अधिक की तुलना में कम शुल्क; और

" 7. चूंकि अंतर-राज्य संचरण प्रणाली की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है देश में पारेषण क्षेत्र, शुल्क आधारित को अपनाना

राज्य के भीतर विकास में प्रतिस्पर्धी बोली (टी. बी. सी. बी.) पारेषण प्रणाली राज्य पर बोझ को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है

सरकारों के वित्त के साथ-साथ अंतर-राज्य शुल्क में कमी

संचारण प्रणाली से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। बात यह है माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा ली गई एक बैठक में भी चर्चा की गई थी

केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इंट्रा के विकास में टी. बी. सी. बी. को अपनाएंगी राज्य संचरण प्रणाली। 99 "

(जोर दिया गया)

संचार में आग्रह किया गया कि उपभोक्ताओं के व्यापक हित में,

यह दृढ़ता से अनुशंसा की गई थी कि टी. बी. सी. बी. को अंतर-राज्य संचरण प्रणाली के विकास के लिए भी अपनाया जा सकता है।

D. 2.2 राज्य नीतियाँ

68. 4 जनवरी 2019 को मंत्री समूह ने एक सरकारी प्रस्ताव को अधिसूचित किया

13 अप्रैल 2006 के एमओपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप टी. बी. सी. बी. के माध्यम से नई पारेषण परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य के साथ, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया था। दिशानिर्देशों को अधिसूचित करते समय, जी. आर. के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में लिखा गया थाः

" अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना संभव होगा। यदि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली है तो पारेषण परियोजनाएं

राज्य में पारेषण परियोजनाओं के लिए अपनाया गया। इस प्रक्रिया के बाद से [2022] 19 एस. सी. आर.

पारदर्शी है, यह परियोजना के मानक और दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। इस प्रकार, पारेषण परियोजनाओं को जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। चूंकि इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निवेश डेवलपर्स द्वारा बाहरी आधार पर किया जाना है, इसलिए इससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम होगा। इसलिए सरकार अधिकार प्राप्त समिति, बोली जैसी समितियों के गठन पर विचार कर रही थी

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राज्य में पारेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन समिति।

जी. आर. नोट करता है किः

" नई पारेषण परियोजनाओं की स्थापना के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धा को लागू करने का निर्णय लिया है

बोली-नई परियोजनाओं के लिए टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया।

जी. आर. के संदर्भ में, के दिशानिर्देशों के अनुसार पारेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना था

केंद्र सरकार। समिति के कार्य इस प्रकार थेः

ए) राज्य में नई पारेषण परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

इस योजना के माध्यम से

बी) के अनुसार पारेषण परियोजनाओं का चयन

राज्य पारेषण उपक्रम की सिफारिशें।

ग) प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन के साथ-साथ गठन में सहायता करना।

बोली अधिकार प्राप्त समिति "।

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली प्रक्रिया को समन्वित करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को जी. आर. के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में एक बोली प्रक्रिया समन्वयक नियुक्त करने की आवश्यकता थी। जी. आर. ने अन्य बातों के साथ-साथ बोली सशक्तिकरण समिति की स्थापना की भी परिकल्पना की। तकनीकी बोलियों की जांच और बोली दस्तावेजों में निर्धारित तकनीकी मानदंडों को पूरा करना। हम पहले की धारा में वर्तमान कार्यवाही के लिए प्रासंगिक उक्त अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों को पहले ही निर्धारित कर चुके हैं।

ई. विश्लेषण

69. तथ्यात्मक वर्णन की पृष्ठभूमि में, आवश्यक पहलू जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या एम. ई. आर. सी. का निर्णय अनुमति देता है

ए. ई. एम. एल.-टी. और ए. ई. एम. आई. एल. द्वारा प्रस्तुत संयुक्त लाइसेंस याचिका, 1000 मेगावाट आरे-कुडुस एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए पारेषण लाइसेंस प्रदान करना टाटा पावर कंपनी है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

टी. बी. सी. बी. मार्ग (धारा 63 मार्ग) का पालन करने में विफलता से दूषित। इस प्रश्न के उत्तर के क्रम में, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाता हैः

क्या विद्युत अधिनियम 2003 टी. बी. सी. बी. मार्ग की परिकल्पना करता है

((i)

धारा 63 के तहत शुल्क निर्धारित करने के प्रमुख तरीके के रूप में;

((ख)

क्या एन. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 के तहत बनाया गया है राज्य नियामक आयोगों पर बाध्यकारी, विशेष रूप से ऊर्जा में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए

वॉचडॉग (ऊपर);

(iii)

क्या विनियामक आयोगों के पास शक्ति है

शुल्क निर्धारित करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित करें

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान (और इसके तहत बनाए गए नियम);

(iv) क्या एम. ई. आर. सी. शुल्क तय करने के लिए बाध्य था

टी. बी. सी. बी. के माध्यम से नई अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं को आवंटित करने और स्थापित करने के निर्णय को अधिसूचित करने वाले महाराष्ट्र सरकार के 04 जनवरी 2019 के संकल्प को देखते हुए टी. बी. सी. बी. के माध्यम से धारा 63 के तहत एच. वी. डी. सी. परियोजना

एक अधिकार प्राप्त समिति; और

(v)

क्या एम. एस. ई. टी. सी. एल. का एच. वी. डी. सी. को संदर्भित नहीं करने का निर्णय
बोली लगाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को परियोजना

टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत जी. आर. का उल्लंघन है।

ई. 1 धारा 63: प्रमुख मार्ग या वैकल्पिक मार्ग

70. धारा 61 उपयुक्त आयोग को शक्ति प्रदान करती है,

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करना। प्रावधान में कहा गया है कि निर्दिष्ट करने में

आयोग उन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा जो प्रावधान के नौ खंडों में सूचीबद्ध हैं। खंड (ए), (सी) और (आई) विशेष महत्व के हैं। खंड (क) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग आयोग द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों और कार्यप्रणाली द्वारा निर्देशित होगा।

पारेषण शुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग। खंड (ग) में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारकों का पालन किया जाना चाहिए। खंड (i) में प्रावधान है कि आयोग एन. ई. पी. और एन. टी. पी. द्वारा निर्देशित होगा। धारा 61 इस प्रकार हैः

" धारा 61. (शुल्क नियम):

उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, [2022] 19 एस. सी. आर. के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करेगा।

शुल्क का निर्धारण, और ऐसा करने में, द्वारा निर्देशित किया जाएगा

निम्नलिखित, अर्थात्: (क) द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत और कार्यप्रणाली

शुल्क निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग उत्पादन करने वाली कंपनियों और पारेषण पर लागू

लाइसेंसधारी;

((b) बिजली का उत्पादन, संचरण, वितरण और आपूर्ति

(ग) प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने वाले कारक, कुशलता, संसाधनों का किफायती उपयोग, अच्छा

प्रदर्शन और इष्टतम निवेश;

(घ) उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और साथ ही,

उचित तरीके से बिजली की लागत की वसूली;

(ई) प्रदर्शन में दक्षता को पुरस्कृत करने वाले सिद्धांत;

(च) बहु-वर्षीय शुल्क सिद्धांत;

(छ) कि शुल्क उत्तरोत्तर आपूर्ति की लागत को दर्शाता है

बिजली और यह भी, निर्दिष्ट तरीके से क्रॉस-सब्सिडी को कम करता है

उपयुक्त आयोग द्वारा;]

(ज) बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से; (i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीतिः

बशर्ते कि शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत, विद्युत नियामक

आयोग अधिनियम, 1998 और आयोग अधिनियम में निर्दिष्ट अधिनियम नियत तिथि से ठीक पहले की अनुसूची बनाएँ,

एक वर्ष की अवधि के लिए या शर्तों तक आवेदन करना जारी रखेगा।

और शुल्क की शर्तें इस धारा के तहत निर्दिष्ट की गई हैं, जो भी हो पहले की बात है "।

(जोर दिया गया)

71. धारा 62 उपयुक्त आयोग को शक्ति प्रदान करती है -

(i) उत्पादन द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क का खनन करें।

वितरण लाइसेंसधारी को कोई भी; (ii) बिजली का संचरण; (iii)

बिजली का लिंग; और (iv) बिजली की खुदरा बिक्री। जबकि अनुभाग

उन सिद्धांतों को लागू करता है जो शुल्क के निर्धारण का मार्गदर्शन करेंगे,

62 आयोग को शुल्क निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

धारा 62 का खंड (3) शुल्क निर्धारित करने में आयोग के विवेक को बाधित करता है। धारा 62 (3) में यह प्रावधान है कि आयोग

शुल्क निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, 'बिजली के किसी भी ग्राहक को अनुचित वरीयता नहीं दिखाएगा, लेकिन ग्राहक के भार कारक, बिजली कारक, वोल्टेज के अनुसार अंतर कर सकता है।' धारा 62 (3) इस प्रकार हैः

" (3) उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के तहत शुल्क का निर्धारण करते समय, किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दिखाएगा।

भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या जिस समय पर आपूर्ति की जाती है किसी क्षेत्र की आवश्यकता या भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है। "

शुल्क निर्धारण की इस विधि को आमतौर पर विनियमित शुल्क तंत्र के रूप में जाना जाता है।

72. धारा 63 में प्रावधान है कि धारा 62 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उपयुक्त आयोग शुल्क को अपनाएगा।

बोली के माध्यम से निर्धारित किया गयाः

" 63. बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क का निर्धारण

धारा 62 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उपयुक्त आयोग शुल्क को अपनाएगा यदि ऐसा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

73. धारा 63 की पाँच महत्वपूर्ण विशेषताएं हैंः (i) धारा 63 एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है। (ii) धारा 62 के विपरीत जहां आयोग को धारा 63 मार्ग के तहत शुल्क निर्धारित करने की शक्ति दी गई है, बोली प्रक्रिया शुल्क निर्धारित करती है; (iii) आयोग को ऐसे शुल्क को अपनाने के लिए अनिवार्य किया गया है जो निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया गया है -

बोली प्रक्रिया; (iv) आयोग को बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को केवल तभी अपनाने का विवेकाधिकार है जब प्रावधान में उल्लिखित दोहरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं; और (v) दोहरी शर्तें यह हैं कि (ए) बोली प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए; (बी) बोली प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करती होनी चाहिए।

74. धारा 63 इंगित करती है कि बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद प्रावधान लागू किया जाएगा।

कुछ भी

नहीं है [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 62 या 63 में जो हमें यह व्याख्या करने के लिए प्रेरित कर सकती है कि धारा 63 शुल्क के निर्धारण के लिए प्रमुख मार्ग है। दोनों प्रावधान वैकल्पिक तौर-तरीके प्रदान करते हैं जिनके माध्यम से शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। धारा 63 में अबाधित खंड को धारा 61 और 62 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 62 आयोग को शुल्क निर्धारित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है। धारा 63 इस विवेकाधिकार को कम करने का प्रयास करती है जहां शुल्क निर्धारण के लिए बोली प्रक्रिया पहले ही आयोजित की जा चुकी है। धारा 63 में विचार किया गया है कि ऐसी स्थितियों में जहां शुल्क निर्धारित किया गया है

बोली प्रक्रिया के माध्यम से, आयोग धारा 62 के तहत प्रदान किए गए विवेक पर वापस आकर बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अस्वीकार नहीं कर सकता है। धारा 63 की इस व्याख्या को धारा 63 में 'इस तरह' वाक्यांश के उपयोग से मजबूत किया गया है-आयोग बोली के माध्यम से निर्धारित ऐसे 'शुल्क' को 'अपनाने' के लिए बाध्य है।

75. अधिनियम की धारा 61 के तहत आयोग को शुल्क निर्धारित करने के लिए तौर-तरीके तय करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए। इस बात का सबूत है धारा 61 (ए) के पठन से जो यह प्रावधान करता है कि उपयुक्त आयोग के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए

शुल्क का निर्धारण पारेषण लाइसेंसधारियों पर लागू शुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों और 'कार्यप्रणाली' द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

76. इस पृष्ठभूमि में, एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन करना आवश्यक है। इसकी दो-न्यायाधीशों की पीठ

न्यायालय ने धारा 63 के प्रावधानों और धारा 62 के साथ इसकी परस्पर क्रिया का विश्लेषण किया। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है।

" 19 ..... यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 63 एक अबाधित खंड से शुरू होती है, लेकिन यह केवल धारा 62 को शामिल करने वाला एक अबाधित खंड है। दूसरा, धारा 61 और 64 के साथ पठित धारा 62 के विपरीत, उपयुक्त आयोग शुल्क "निर्धारित" नहीं करता है, लेकिन केवल

" धारा 63 के तहत पहले से निर्धारित शुल्क को अपनाता है। तीसरा, इस तरह का "अपनाना" केवल तभी होता है जब बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के शुल्क का निर्धारण किया गया हो, और चौथा, बोली लगाने की यह पारदर्शी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। हमारे सामने जो तर्क दिया गया है वह यह है कि धारा 63 एक स्वतंत्र प्रावधान है और इसे अपनी शर्तों पर समझा जाना चाहिए, और इसलिए, पारदर्शी बोली के मामले में बोली के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। एक बात तुरंत स्पष्ट है कि उपयुक्त आयोग टाटा पावर कंपनी।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

बोली की पारदर्शी प्रक्रिया, लेकिन यह केवल में किया जा सकता है केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार

सरकार। इस धारा के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

19-1-2005 , किन दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया गया है

आयोग के पास निश्चित रूप से यह देखने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क

खंड 4 "।

(जोर दिया गया)

एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियां हैं -

संक्षेप में नीचे दिया गया है:

((i)

शुल्क को 'अपनाते हुए' उपयुक्त आयोग

बोली के माध्यम से निर्धारित किया जाना केवल 'डाकघर' नहीं है; और

आयोग को धारा 63 द्वारा इसे अपनाने के लिए अनिवार्य किया गया है -

((ख)

बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क केवल तभी निर्धारित किया जाता है जब बोली प्रक्रिया

पारदर्शी था, और इस तरह की प्रक्रिया आयोजित की गई है

धारा 63 के तहत सरकार। यदि बोली प्रक्रिया करती है दोनों चेकों को संतुष्ट नहीं करता है, तो आयोग करेगा

धारा के तहत आर. टी. एम. मार्ग के माध्यम से शुल्क निर्धारित करें।

62 .

77. इस प्रकार, उपयुक्त आयोग को इसे अपनाने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है

और (ii) केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार। इस प्रकार, यदि आयोग बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क को नहीं अपनाता है, और यदि निर्णय को चुनौती दी जाती है, तो बोली प्रक्रिया (पारदर्शिता के आधार पर) और प्रक्रियात्मक रूप से (केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार

पर) यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जा सकती है कि क्या आयोग अपने नियमों का प्रयोग कर सकता था।

धारा 63 के तहत निर्धारित शुल्क को अस्वीकार करते हुए धारा 62 के तहत शुल्क निर्धारित करने का विवेकाधिकार। इसलिए, बोली के माध्यम से शुल्क निर्धारित होने के बाद ही धारा 63 लागू की जा सकती है। उपयुक्त आयोग द्वारा धारा 61 [2022] 19 एस. सी. आर. के तहत अधिसूचित नियम और शर्तें।

शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को चुनने के उद्देश्य से निर्दिष्ट करना होगा जो आयोग को करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त चर्चा में, अपीलार्थी का यह तर्क कि धारा 61,62 और 63 को पढ़ने से संकेत मिलता है कि टी. बी. सी. बी. मार्ग प्रशुल्क निर्धारण का प्रमुख मार्ग है, योग्य नहीं है।

ई. 1.1। टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य

धारा 63

78. अधिनियम की धारा 63 बोली को प्रमुख के रूप में निर्धारित नहीं करती है।

शुल्क निर्धारण का मार्ग। धारा 63 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश बोली लगाने के लिए तंत्र और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अधिनियम की धारा 63 के तहत बनाए गए दिशानिर्देशों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि आर. टी. एम. मार्ग या टी. बी. सी. बी. मार्ग का पालन किया जाना चाहिए या नहीं।

79. 13 अप्रैल 2006 को, एम. ओ. पी. ने टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों को निम्नानुसार तैयार कियाः

अधिनियम की धारा 63। दिशानिर्देशों के खंड 2.2 में कहा गया है कि यह अधिसूचना में वर्णित तंत्र के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए लागू होगा। द. खंड इस प्रकार हैः

" 2.2 . दिशा-निर्देश संचरण की खरीद के लिए लागू होंगे।

अधिसूचना और प्रसारण सेवा प्रदाता मंचों का चयन करने के लिए नई पारेषण लाइन और निर्माण, स्वामित्व, रखरखाव और संचालन

निर्दिष्ट संचरण प्रणाली तत्व। "

(जोर दिया गया)

खंड 2.4 में कहा गया है कि पारेषण सेवाओं की खरीद

इसमें एच. वी. डी. सी. टर्मिनल स्टेशन और एच. वी. डी. सी. पारेषण लाइनें शामिल होंगीः

सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ [.] और/या टर्मिनल स्टेशनों और एच. वी. डी. सी. सहित एच. वी. डी. सी. लिंक

पारेषण लाइन [.] "।

80. उपरोक्त खंडों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि टी. बी. सी. बी.

दिशानिर्देश (i) पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए लागू होंगे, जिसमें एच. वी. डी. सी. लिंक शामिल होंगे; और (ii) एक नई पारेषण लाइन के लिए पारेषण प्रदाता का चयन। टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश एक बोली प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन देते हैं जो टाटा पावर कंपनी के लिए जिम्मेदार होगा।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया का समन्वय करना। टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश अन्य सेवाओं के अलावा पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बोलियां आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। खंड 3 में कहा गया है कि पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए। राज्य के भीतर संचरण के लिए आवश्यक, राज्य सरकार संगठन या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में अधिसूचित कर सकती है। खंड 2.2 और 2.4 को पढ़ने से यह संकेत नहीं मिलता है कि सभी नई पारेषण परियोजनाओं के लिए शुल्क प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह प्रक्रियात्मक तंत्र को अधिसूचित करता है

प्रतिस्पर्धी बोली। जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 63 का संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश यह निर्धारित करने के लिए सीमित सीमा तक बनाए गए हैं कि बोली लगाने की प्रक्रिया उसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार थी या नहीं, जो कि टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश हैं।

E. 2 उपयुक्त आयोग की सामान्य विनियामक शक्ति

81. चूंकि धारा 63 के तहत बनाए गए दिशानिर्देश केवल बोली लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त आयोग की सामान्य नियामक शक्ति का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

82. अधिनियम की धारा 181 में कहा गया है कि राज्य आयोग अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अनुरूप विनियम बना सकता है और

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 180 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम। धारा 181 का खंड (जेडडी) निर्धारित करता है कि राज्य आयोग शर्तों पर विनियम बना सकता है और

धारा 61 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए शर्तें। धारा 181 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

" 181. विनियम बनाने के लिए राज्य आयोगों की शक्तियाँ।

(1) राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम बना सकते हैं जो आम तौर पर

इस अधिनियम के प्रावधान।

(2) विशेष रूप से और उप-धारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम प्रदान कर सकते हैं

निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए, अर्थात्:

(ए) [।]

[...]

(जेड. सी.) शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें

61; "[2022] 19 एस. सी. आर.

हालांकि, जिस तारीख को एम. ई. आर. सी. ने कुडुस-आरे से एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए ए. ई. एम. आई. एल. को लाइसेंस दिया था, उस तारीख तक एम. ई. आर. सी. ने कोई भी लाइसेंस तैयार नहीं किया था। के निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 181 (जेड. सी.) के तहत विनियमन

शुल्क।

83. इस समय अधिनियम की धारा 86 का उल्लेख करना आवश्यक है। धारा 86 राज्य आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध करती है। अनुभाग

86 (क) में कहा गया है कि राज्य आयोग पारेषण के लिए शुल्क निर्धारित करने का कार्य करेगा। धारा 86 (सी) में कहा गया है कि राज्य आयोग बिजली के अंतर-राज्य संचरण की सुविधा प्रदान करेंगे। धारा 86 (4) में प्रावधान है कि इसके कार्यों के निर्वहन में, जिसमें बिजली के संचरण के लिए शुल्क का निर्धारण शामिल है।

खंड (ए) के तहत, राज्य आयोग एनईपी, राष्ट्रीय विद्युत योजना और अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित एन. टी. पी. द्वारा निर्देशित होगा। धारा 86 का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया है:

" 86. राज्य आयोग के कार्य-(1) राज्य आयोग

निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(क) राज्य के भीतर, थोक, थोक या खुदरा, बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और पहियों के लिए शुल्क निर्धारित करें।

[...]

(ग) राज्य के भीतर बिजली के पारेषण और पहियों की सुविधा प्रदान करना। [.....]

(3) राज्य आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, जबकि

अपनी शक्तियों का प्रयोग करना और अपने कार्यों का निर्वहन करना।

(4) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग -

धारा 3 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क नीति द्वारा निर्देशित।

84. एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) में, इस न्यायालय ने राय दी कि केंद्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत शुल्क का निर्धारण करेगा

अधिनियम की धारा 63 के तहत केंद्र सरकार। केवल ऐसी स्थिति में जहां कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए हैं या जहां दिशा-निर्देश किसी विशिष्ट स्थिति को संबोधित नहीं करते हैं, धारा 79 के तहत केंद्रीय आयोग के शक्ति भंडार का उपयोग किया जाता है। निर्णय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ

इन्हें नीचे निकाला गया हैः

" 20 ..... अकेले धारा 62 को रास्ते से हटाने का कारण यह है कि शुल्क का निर्धारण दो तरीकों में से एक में हो सकता है-या तो धारा 62 के तहत, जहां आयोग स्वयं टाटा पावर कंपनी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क निर्धारित करता है

(के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने के बाद धारा 61 में उल्लिखित शुल्क) या धारा 63 के तहत जहां

आयोग पहले से ही निर्धारित शुल्क को अपनाता है बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया। किसी भी मामले में, जनरल

जबकि अंतर-राज्य संचरण के लिए शुल्क का "निर्धारण" बिजली को धारा 79 (1) (डी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, धारा 79 (1) (बी) शुल्क को "विनियमित" करने के लिए बिजली का एक व्यापक स्रोत है। यह स्पष्ट है कि ए

ऐसी स्थिति जहाँ केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

धारा 63 के तहत स्थिति को शामिल किया गया है, केंद्रीय आयोग है

उन दिशानिर्देशों से बंधे और धारा 79 (1) (बी) के तहत अपने नियामक कार्यों का प्रयोग केवल उन दिशानिर्देशों के अनुसार करना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह केवल ऐसी स्थिति में है जहाँ कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं या जहां दिशानिर्देश काम करते हैं

किसी दी गई स्थिति से निपटने के लिए नहीं कि आयोग के जनरल

तब धारा 79 (1) (बी) के तहत नियामक शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

85. इस प्रकार, राज्य के भीतर बिजली के संचरण के मामले में, राज्य आयोग धारा के तहत जारी दिशा-निर्देशों से बाध्य होगा।

63. अधिनियम की धारा 63 के तहत दिशानिर्देशों के अलावा, राज्य आयोग धारा 61 के साथ पठित धारा 181 (जेडडी) के तहत उसके द्वारा बनाए गए विनियमों से भी बाध्य होगा, जबकि वह अधिनियम की धारा 86 के तहत शुल्क निर्धारित करने के अपने कार्य का निर्वहन करता है। हालांकि, अगर धारा 63 के तहत जारी दिशा-निर्देश या अधिनियम की धारा 181 (जेड. डी.) के तहत बनाए गए विनियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है या यदि दिशानिर्देश किसी दी गई स्थिति से नहीं निपटते हैं, तो आयोग अपने सामान्य दिशानिर्देशों का प्रयोग करेगा।

शुल्क को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 86 (1) (ए) के तहत नियामक शक्ति।

86. पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग, 2 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने धारा 79 का उल्लेख किया और कहा कि उपयुक्त आयोग एक विनियमन बनाने वाला प्राधिकरण और निर्णय लेने वाला प्राधिकरण दोनों है। यह देखा गया कि विनियामक आयोग को अपने कार्यों का प्रयोग करते समय उन विनियमों का पालन करना चाहिए जो आयोग ने धारा 178 (राज्य आयोग की शक्ति के लिए संबंधित प्रावधान) के तहत तैयार किए हैं।

धारा 181 में विनियम बनाएँ)। तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयोग को धारा 79 के तहत अपने कार्य का प्रयोग करने से केवल इसलिए नहीं रोका जाएगा क्योंकि आयोग द्वारा कोई विनियमन नहीं बनाया गया है। प्रशुल्क निर्धारण के संदर्भ में, यह देखा गया कि प्रशुल्क विनियमों के अभाव में भी आयोग अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रशुल्क निर्धारण के नियमों और शर्तों को तैयार करने के लिए खुला रहेगाः

53. 2003 के अधिनियम की योजना में उपर्युक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि अधिनियम के तहत, केंद्रीय आयोग एक निर्णय लेने के साथ-साथ विनियमन करने वाला प्राधिकरण है।

एक साथ। धारा 79 केंद्र के कार्यों का वर्णन करती है।

आयोग को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है-अनिवार्य कार्य और सलाहकार कार्य। प्रशुल्क विनियमन, अनुज्ञप्ति (अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति सहित), उत्पादन करने वाली कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से जुड़े विवादों पर निर्णय शीर्ष के अंतर्गत आते हैं।

" राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देते समय अनिवार्य कार्य "सलाहकार कार्य" शीर्ष के अंतर्गत आते हैं। इस मायने में, केंद्रीय आयोग निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। धारा 79 (1) के तहत ऐसा निर्णय लेना विनियम बनाने पर निर्भर नहीं है। केंद्रीय आयोग द्वारा धारा 178 के तहत। इसलिए, धारा 79 में उल्लिखित केंद्रीय आयोग के कार्य अलग हैं।

और केंद्रीय आयोग के कार्यों से अलग धारा 178। पहला प्रशासनिक/न्यायिक कार्य है जबकि दूसरा विधायी कार्य है।

विनियामक आयोग की सामान्य विनियामक शक्ति पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गईः

54. [.....] धारा 76 (1) और 79 (1) को पढ़ने पर पता चलता है कि केंद्रीय आयोग को इन मामलों में उपाय/कदम उठाने का अधिकार है।

धारा 79 (1) में उल्लिखित कार्यों का निर्वहन जैसे उत्पादन करने वाली कंपनियों के शुल्क को विनियमित करना, बिजली के अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करना, बिजली के अंतर-राज्य संचरण के लिए शुल्क निर्धारित करना, लाइसेंस जारी करना, निर्णय लेना।

विवाद, शुल्क लगाने के लिए, ग्रिड कोड निर्दिष्ट करने के लिए, बिजली के अंतर-राज्य व्यापार में व्यापार मार्जिन तय करने के लिए, यदि आवश्यक माना जाए, आदि। ये उपाय, जो केंद्रीय आयोग है

लेने के लिए सशक्त, के अनुरूप होना चाहिए

धारा 178 के तहत विनियम, जहां भी ऐसे विनियम ए. टी. ए. पावर कंपनी हैं।

लागू होते हैं। इसलिए धारा 79 (1) के तहत उपाय,

नियमों के अनुरूप होना चाहिए

धारा 178। 55. विनियमित करना एक ऐसा अभ्यास है जो बनाने से अलग है

नियमों को। हालांकि, इसके तहत एक विनियमन बनाना

धारा 178 केंद्रीय आयोग की पूर्व शर्त नहीं है।

धारा 79 (1) के तहत कोई भी कदम/उपाय करना। जैसा कि कहा गया है,

यदि कोई विनियमन है, तो धारा 79 (1) के तहत उपाय है

धारा 178 के तहत ऐसे विनियमन के अनुरूप होना। यह

इसके बाद चर्चा की है। उदाहरण के लिए, धारा 79 (1) (जी) के तहत केंद्रीय आयोग को इस उद्देश्य के लिए शुल्क लगाने की आवश्यकता है

धारा 178 के तहत विनियमन के अभाव में भी। यदि शुल्क अनुचित है, यह विषय हो सकता है-पहले चुनौती का विषय

धारा 111 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के रूप में शुल्क लगाया जाता है आदेश/निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा। एक नियम बनाना

धारा 178 के तहत एक पारित करने की पूर्व शर्त नहीं है धारा 79 (1) (छ) के तहत नियामक शुल्क लगाने का आदेश।

हालाँकि, यदि धारा 178 के तहत कोई विनियमन है

इस तरह के विनियमन के अनुरूप होना चाहिए। 56. इसी तरह, शर्तों को तैयार करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए और

धारा 178 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए शर्तें,

आयोग को धारा में निर्दिष्ट कारकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

61. केंद्रीय आयोग शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए खुला है।

और शुल्क के निर्धारण के लिए शर्तों में भी

धारा 178 के तहत विनियमों का अभाव। लेकिन अगर ए

विनियमन धारा 178 के तहत बनाया जाता है, फिर, उस स्थिति में, फ्रेमिंग धारा के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें

61 धारा के तहत विनियमों के अनुरूप होना चाहिए

178 .

(जोर दिया गया)

87. केंद्र सरकार द्वारा जारी टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश

अधिनियम की धारा 63 में बोली प्रक्रिया का तंत्र निर्धारित किया गया है।

o के बीच चयन के लिए मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करते हैं

अधिनियम की धारा 62 और 63 के तहत देशी मार्ग। एम. ई. आर. सी. ने न तो

धारा 181 के तहत किसी भी विनियम को लागू किया और न ही इसने [2022] 19 एस. सी. आर. की शर्तों को अधिसूचित किया है।

और अधिनियम की धारा 61 के तहत शर्तें। इस मामले में, आयोग धारा 86 के तहत सामान्य नियामक शक्ति का सहारा लेकर शुल्क निर्धारण का तरीका चुन सकता है।

ई. 2 एन. टी. पी.-बाध्यकारी या भौतिक विचार की प्रकृति

88. धारा 61 के तहत दिशानिर्देशों के अभाव में भी या

धारा 181 (जेड. डी.) के तहत विनियम, आयोग के पास निर्धारित करने के लिए साधन चुनते समय बेलगाम शक्ति या विवेकाधिकार नहीं है। शुल्क। उप-धारा 86 की धारा (3) और (4) में प्रावधान है कि राज्य आयोग को अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

और एन. टी. पी. और एन. ई. पी. द्वारा 'निर्देशित किया जाएगा'।

89. 'निर्देशित किया जाएगा' वाक्यांश की व्याख्या करने से पहले, यह

यह आवश्यक है कि हम शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों की तुलना में एन. टी. पी. 2006 और एन. टी. पी. 2016 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। एक तुलनात्मक एन. टी. पी. 2006 और एन. टी. पी. 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों का चार्ट नीचे दिया गया हैः

एन. टी. पी. 2016

एन. टी. पी. 2006

I के लिए बोली के माध्यम से शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए

I के लिए बोली के माध्यम से शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए

सभी नई परियोजनाएं।

सभी नई परियोजनाएं। भविष्य में बिजली की सभी आवश्यकताओं की खरीद की जानी चाहिए।

बिजली की भविष्य की सभी आवश्यकताएँ जारी रहनी चाहिए।

प्रतिस्पर्धी रूप से। (परिच्छेद 5.1)

प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्राप्त किया जाना। (परिच्छेद 5.2)

II बोली का मार्ग अनिवार्य रूप से लागू नहीं है।

II बोली का मार्ग सरकार पर लागू होता है।

स्वामित्व वाली परियोजनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को

द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित परियोजनाओं के लिए शुल्क

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए शुल्क की आवश्यकता नहीं है

बोली द्वारा निर्धारित। हालांकि, यह होना चाहिए

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा -

पाँच वर्षों में या जब नियामक ने निर्णय लिया

बोली, जब तक कि केंद्र द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए

आयोग इस बात से संतुष्ट है कि स्थिति ठीक है

मामला दर मामला आधार पर सरकार। (अनुच्छेद

प्रतियोगिता शुरू करने के लिए। (अनुच्छेद 5.1

5.3)

और 7.6) III राज्य द्वारा कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा

III राज्य आयोगों द्वारा कार्यान्वयन

आयोग

राज्य द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण लागू किया जाएगा।

आयोग। (अनुच्छेद 7 (8)

रूपरेखा के कार्यान्वयन के बाद अंतर-राज्य संचरण, एक समान दृष्टिकोण

अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाएं होंगी

राज्य आयोगों द्वारा लागू किया जाना चाहिए

राज्य सरकारों द्वारा विकसित

अंतर-राज्य संचरण के लिए अगले दो साल।

एक से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली

सीमा सीमा। सीमा होगी

(अनुच्छेद 7.7)

एस. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित। (परिच्छेद 5.3)

90. एन. टी. पी. 2006 और एन. टी. पी. 2016 दोनों एक सामान्य नियम के रूप में निर्धारित करते हैं।

सभी 'नई परियोजनाओं' के लिए शुल्क निर्धारण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली। एन. टी. पी. 2006 और एन. टी. पी. 2016 के बीच दो प्रमुख अंतर हैं। सबसे पहले, सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित परियोजनाओं को एन. टी. पी. 2006 के तहत बोली लगाने से छूट दी गई थी। हालांकि, एन. टी. पी. 2016 के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए शुल्क भी टाटा पावर कंपनी को निर्धारित किया जाना है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

बोली लगाकर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। दूसरा, एन. टी. पी. 2016 ने सीमा नियम लागू किया। राज्य आयोगों को सीमा को अधिसूचित करना आवश्यक है। यदि परियोजना की लागत सीमा से अधिक है, तो आयोग को इसके लिए बोली प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

शुल्क का निर्धारण।

91. एन. टी. पी. 2016 ने यह प्रावधान करके कि राज्य के स्वामित्व वाली परियोजनाओं को टी. बी. सी. बी. प्रक्रिया से छूट नहीं दी गई है, अधिनियम के उद्देश्य को लागू किया है, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना है। एन. टी. पी. 2006 को बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी भागीदारों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। केंद्र सरकार ने 2006 में सभी नई पारेषण परियोजनाओं के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया, लेकिन राज्य परियोजनाओं पर इसके आवेदन को बाहर रखा। हालांकि, शुल्क के उद्देश्य के लिए राज्य और निजी पक्षों के बीच अंतर

एन. टी. पी. 2016 में बोली के माध्यम से निर्धारण को हटा दिया गया था। एन. टी. पी. 2006 और एन. टी. पी. 2016 के बीच यह परिवर्तन के इरादे को दर्शाता है

सरकार प्रशुल्क नीति को युक्तिसंगत बनाएगी और युक्तिसंगत प्रशुल्क का लाभ उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करेगी। 92. एन. टी. पी. 2016 के अनुसार, राज्य आयोग द्वारा अधिसूचित सीमा राशि से अधिक लागत वाली सभी नई बिजली पारेषण परियोजनाओं के लिए शुल्क बोली के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि,

एम. ई. आर. सी. ने उस तारीख तक सीमा को अधिसूचित नहीं किया था जब उसने ए. ई. एम. एल.-टी. को पारेषण लाइसेंस देने का आदेश पारित किया था। एम. ई. आर. सी. ने अधिनियम की धारा 181 के तहत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम 2019 को अधिसूचित किया। एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियम शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को चुनने के लिए दिशानिर्देश या मानदंड प्रदान नहीं करते हैं। तौर-तरीकों को चुनने के लिए दिशा-निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) (पहला संशोधन) विनियम 2022 द्वारा पेश किए जाने की मांग की गई है। एमईआरसी ने एमईआरसी एमवाईटी के मसौदे को प्रसारित किया

टिप्पणियों, सुझावों और आपत्तियों के लिए 19 अगस्त 2022 को संशोधन विनियम। एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. संशोधन की प्रस्तावना नियम इस प्रकार हैं:

" राज्य विद्युत नियामक आयोग को निहित किया गया है

[2022] 19 एस. सी. आर. की धारा 86 के तहत राज्य के भीतर, थोक, थोक या खुदरा बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और पहियों के लिए शुल्क निर्धारित करने की जिम्मेदारी के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम 2003। अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के लिए शुल्क बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 या धारा 63 के तहत तय किया जा सकता है। धारा 63 बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाने का प्रावधान करती है। राज्य के भीतर पारेषण के विकास के संबंध में शुल्क नीति 2016 का खंड 5.3

प्रणाली में कहा गया है कि इसे एक सीमा से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा, जो राज्य विद्युत द्वारा तय किया जाएगा।

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम 2022 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित की जाने वाली अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए ऐसी सीमा और अन्य शर्तों को निर्दिष्ट करता है। एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. संशोधन विनियम संशोधन करना चाहते हैं।

विनियमन 56.3 जोड़कर एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियमों का विनियम 56। विनियमन 56.3 में कहा गया है कि एक सीमा सीमा से अधिक लागत वाली 'सभी नई' अंतर-राज्य संचरण प्रणालियों को धारा 63 के माध्यम से विकसित किया जाएगा, बशर्ते कि अनुलग्नक IV में निर्धारित अन्य सभी शर्तों को भी पूरा किया जाए। विनियम 56.3 इस प्रकार हैः

" 56.3 ऊपर की लागत वाली सभी नई अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियाँ

एक सीमा सीमा और अनुलग्नक IV में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए, अधिनियम की धारा 63 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

अनुलग्नक IV के अनुसार, जिसे एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियमों में जोड़ने का प्रस्ताव है, सीमा 200 करोड़ निर्धारित की गई थी।

एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. संशोधन विनियमों का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 1. आयोग इसके द्वारा दो सौ (200) करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित करता है।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुसार शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एसटीयू द्वारा सौ (200) करोड़ या उससे अधिक को लागू किया जाएगा। समय-समय पर "। टाटा पावर कं.

अनुलग्नक में यह भी कहा गया है कि सीमा उन सभी नई अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं पर लागू होगी जिनके लिए मंजूरी अभी बाकी है। आयोग द्वारा दिया जाए या जहां आयोग की मंजूरी वैध नहीं है या जहां मंजूरी रद्द कर दी गई है। संबंधित भाग नीचे निकाला गया है:

" 3. यह सीमा उन सभी नई अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियों (परियोजनाओं) के लिए लागू होगी, जिनके लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली (उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए आवेदन पहले ही आयोग को प्रस्तुत किया जा चुका है और आयोग द्वारा विचाराधीन है)

आयोग) या आयोग की मंजूरी वैध या अनुमोदन नहीं है।

आयोग द्वारा रद्द किया गया, जैसा भी मामला हो। 93. हालाँकि, एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. संशोधन विनियम अभी तक नहीं हैं।

सूचित किया जाए। जब एच. वी. डी. सी. कुडस-आरे पारेषण परियोजना के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया गया था, और जब इसे एम. ई. आर. सी. द्वारा प्रदान किया गया था, तो एन. टी. पी. 2016 द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक सीमा को एम. ई. आर. सी. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, सवाल यह है कि क्या एम. ई. आर. सी. द्वारा सीमा की किसी भी अधिसूचना के अभाव में, क्या एम. ई. आर. सी. को अभी भी एन. टी. पी. 2016 को देखते हुए टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से पारेषण परियोजना के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। 94. इस प्रश्न का उत्तर अधिनियम की धारा 86 (3) में 'निर्देशित किया जाएगा' वाक्यांश की व्याख्या को सक्रिय करता है। इस न्यायालय को पहले 'द्वारा निर्देशित किया जाएगा' वाक्यांश की व्याख्या करने का अवसर मिला है जैसा कि अधिनियम में पाया गया है। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। महाराष्ट्र राज्य 3 ने अधिनियम की धारा 61 के संदर्भ में वाक्यांश की व्याख्या की। इस न्यायालय ने कहा कि 'द्वारा निर्देशित किया जाएगा' में दो तत्व शामिल हैं, 'होगा' और 'निर्देशित' जिसका अर्थ यह होगा कि मार्गदर्शक कारक विचार प्रदान करते हैं जो

उपयुक्त आयोग द्वारा शुल्कों के निर्धारण के लिए सामग्री हैं:

" 29. धारा 181 राज्य आयोगों को ऐसा करने का अधिकार देती है

शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें, उपयुक्त आयोग (जैसा कि धारा 61 प्रदान करती है) "निर्देशित किया जाएगा"

3 (2019) 3 एससीसी 352 [2022] 19 एस. सी. आर.

उन कारकों द्वारा जो खंड (ए) से (आई) में निर्धारित हैं। अभिव्यक्ति " निर्देशित किया जाएगा जिसमें दो तत्व शामिल हैं: "होगा" और,

" मार्गदर्शन "। खंड (ए) से (आई) आयोग को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने में

शुल्क। अभिव्यक्ति "होगा" इंगित करता है कि कारक जो हैं

खंड (ए) से (आई) में निर्दिष्ट को ध्यान में रखना होगा

उपयुक्त आयोग। मार्गदर्शक कारकों के रूप में, वे प्रदान करते हैं विचार जो निर्धारण के लिए सामग्री हैं

उपयुक्त आयोग द्वारा शुल्क।

[.....]

32. शुल्क नीति उपयुक्त लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

आयोग जब नियम बनाता है। फ्रेम करने की शक्ति

कारक। एक जटिल अभ्यास को करने में इसका विवेकाधिकार नहीं हो सकता है विवश रहें। इसलिए विधायिका का प्रतिनिधि है

एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संतुलन लाने के लिए एक जनादेश के तहत

प्रतिस्पर्धी विचारों के बीच। सबसे आगे खड़े

उन विचारों में से सबसे ऊपर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि

दक्षता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। द. निवेदन जिसे अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया है,

शुल्क निर्धारण को एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया में कम करें

समान उत्पादन करने वाली इकाइयों के बीच समानता के बारे में

डिजाइन और विनिर्माण मूल। इस तरह के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया जाता है

जटिल कारक जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए

शुल्कों का निर्धारण।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 61 में निर्धारित सभी सिद्धांत हैं

सामग्री संबंधी विचार जो शुल्क निर्धारित करने के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित करते हुए उपयुक्त आयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह आयोग की जिम्मेदारी है कि वह धारा 61 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का एक नाजुक संतुलन सुनिश्चित करे। इस प्रकार, जबकि एन. टी. पी. जिसे धारा 61 के तहत सिद्धांतों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है, एक भौतिक विचार होगा, इसकी व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि यह 'एकमात्र' भौतिक विचार है। 'निर्देशित किया जाएगा' की यह व्याख्या धारा 86 (3) में वाक्यांश के उपयोग के लिए समान रूप से लागू होती है।

टाटा पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

एन. टी. पी. 2016 एक 'अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किया जा रहा वैधानिक दस्तावेज है और इसमें यह तर्क देने के लिए कानून का बल है कि एन. टी. पी. आयोग के लिए बाध्यकारी है। एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) में, अडानी एंटरप्राइजेज कंसोर्टियम ने प्रस्तावित परियोजना के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की और इसे सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया। हालाँकि, इंडोनेशिया में 2010 और 2011 में कानून बदल गया था, जिसने इंडोनेशिया से कोयले के निर्यात मूल्य को पिछले चालीस वर्षों में प्रचलित मूल्य के बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से जोड़ दिया था। अडानी पावर ने सी. ई. आर. सी. के समक्ष एक याचिका दायर कर इंडोनेशियाई विनियमन के प्रभाव के कारण राहत की मांग की ताकि या तो उन्हें निराशा के कारण बिजली खरीद समझौते के प्रदर्शन से मुक्त किया जा सके, या याचिकाकर्ताओं को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सके। बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों का खंड 4.7, जिसे एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, यह निर्धारित करता है कि:

" बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लागू कानून के संबंध में खरीदार को बिजली बेचने के व्यवसाय से लागत या राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून में किसी भी बदलाव को अलग से समायोजित किया जाएगा। कानून में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में,

उचित आयोग लागू होगा।

इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि 'कानून' का अर्थ है भारत में लागू बिजली कानूनों सहित सभी कानून, और बिजली कानूनों का अर्थ है -

बिजली अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और बिजली से संबंधित कोई अन्य कानून। इस संदर्भ में यह देखा गया कि एन. टी. पी. 'कानून' है। हालाँकि, टिप्पणियों के संदर्भ को समझने के लिए, दिशानिर्देशों में संशोधन की एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना होगा। सी. ई. आर. सी. ने घरेलू कोयले की अनुपलब्धता और शुल्क पर आयातित कोयले की अतिरिक्त लागत के प्रभाव पर केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 79 (2) के तहत एक वैधानिक सलाह जारी की, सी. ई. आर. सी. ने सलाह दी कि टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन करना होगा जो धारा 63, एन. ई. पी. और एन. टी. पी. के तहत जारी किए गए थे। ये संशोधन उपयुक्त आयोगों को 'संप्रभु सरकार की नीति में बदलाव' से उत्पन्न स्थितियों का ध्यान रखने की अनुमति देते हैं। धारा 79 (2) के तहत सी. ई. आर. सी. की सलाह को ध्यान में रखते हुए, एमओपी ने 31 जुलाई 2013 को एक परामर्श जारी किया जिसमें कहा गया था कि कोयले की घरेलू आपूर्ति में कमी को देखते हुए, आयातित कोयले की लागत [2022] 19 एस. सी. आर. पर विचार किया जाएगा।

उपयुक्त आयोग द्वारा पारित किया जाना। इसके बाद, एमओपी द्वारा जारी परामर्श के अनुसरण में, एन. टी. पी.

2016 परामर्श में उल्लिखित राहत प्रदान करने के लिए खंड 6.1 को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

आवश्यकताएँ केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उपयोग करते हुए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र के माध्यम से होनी चाहिए। ये दिशा-निर्देश खरीद के लिए प्रदान करते हैं - आधार ऋण आवश्यकताओं और चरम ऋण आवश्यकताओं के लिए अलग से बिजली। इससे विशेष रूप से ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता स्थापित करने में सुविधा होगी।

हालांकि, दिनांकित 19-1-2005 दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) से आवश्यक मात्रा में कोयला प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले की कम मात्रा के मामले में, आश्वासन पत्र/एफ. एस. ए. में दर्शाई गई सुनिश्चित मात्रा या मात्रा की तुलना में, कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए आयातित बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत पर विचार किया जाएगा। एफयू

12 / 2011 - आई. पी. सी. (खंड-III) दिनांक 31-7-2013 "।

96. यह ध्यान देने योग्य है कि एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने 'निर्देशित किया जाएगा' वाक्यांश की व्याख्या नहीं की है क्योंकि यह अधिनियम में जगह पाता है। इस न्यायालय ने 'परिवर्तन' वाक्यांश की व्याख्या पर विचार किया।

कानून '। यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू कोयले की कमी का संज्ञान लेते हुए एन. टी. पी. 2016 में संशोधन एक 'कानून में परिवर्तन' था क्योंकि यह एक वैधानिक नीति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एन. ई. पी. और एन. टी. पी. वैधानिक नीतियां हैं क्योंकि उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया था। हालांकि, एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) में यह अवलोकन कि एन. टी. पी. 'कानून' है, वाक्यांश 'निर्देशित किया जाएगा' की व्याख्या को बाध्य करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) में यह न्यायालय था

विशेष रूप से कोयला खरीद के कारण होने वाले परिवर्तनों और नीतियों में संशोधनों को केंद्रीय नियामक आयोग द्वारा करने की सिफारिश की गई थी। 97. पी. टी. सी. इंडिया (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले और अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि टैरिफ टाटा पावर कंपनी का निर्धारण।

और शुल्क के निर्धारण के लिए विनियम तैयार करना उपयुक्त आयोग के अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धारा 61 में कहा गया है कि उपयुक्त आयोग शुल्क के निर्धारण के लिए 'नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करेगा'। धारा 86 में प्रावधान है कि राज्य आयोग का एक कार्य पारेषण के लिए शुल्क निर्धारित करना है। धारा 181 में कहा गया है कि आयोग शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों पर विनियम बनाएगा। इस प्रकार, शुल्क का विनियमन और निर्धारण उपयुक्त आयोग का कार्य है। 98. जबकि शुल्क का निर्धारण और विनियमन विनियामक आयोग के अनन्य क्षेत्र के भीतर आता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 61 और 86 में निर्धारित किया गया है कि शुल्क निर्धारित करने के लिए नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करते समय आयोग एन. टी. पी. द्वारा निर्देशित होगा। राज्य आयोग विनियम बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

धारा 61 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों पर धारा 181 (2) (जेडडी) के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, धारा 181 (2) (जेड. डी.) के तहत विनियम तैयार करते समय, आयोग को धारा 61 में उल्लिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं -

एनईपी और एन. टी. पी.

99. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऊपर) में यह न्यायालय पहले ही

यह माना गया कि एन. टी. पी. भौतिक विचारों में से एक है। एन. टी. पी. उन कई दिशानिर्देशों में से एक है जिन पर आयोग को शुल्क को विनियमित करते समय विचार करना चाहिए। शुल्क के विनियमन में राज्य और केंद्र सरकार की केवल एक सलाहकार भूमिका है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998, जिसे विद्युत अधिनियम 2003 को लागू करते समय बिजली पर अन्य कानूनों के साथ समेकित किया गया था, सरकारों को शुल्क के निर्धारण से दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, अधिनियम केंद्र के साथ शुल्क को विनियमित करने की शक्ति को केंद्रीकृत करने का प्रयास नहीं करता है। अधिनियम के उद्देश्यों में से एक "राज्यों को अपने बिजली क्षेत्र को उस तरीके से विकसित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करना था जिसे वे उचित समझते हैं।" इस प्रकार, चूंकि उपयुक्त आयोगों को शुल्क के निर्धारण और विनियमन में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, और राज्यों को बिजली के अंतर-राज्य संचरण के लिए अपनी बिजली प्रणालियों को विकसित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है, इसलिए एन. टी. पी. 2016 भौतिक विचारों में से एक होगा। इसके अलावा, 15 मार्च 2021 के पत्र में भी, एमओपी ने केवल 'दृढ़ता से अनुशंसा' की थी कि राज्य टी. बी. सी. बी. को अपनाएँ।

अंतर-राज्य संचरण प्रणालियों का विकास। 100. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, केवल इसलिए कि सीमा को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि एम. ई. आर. सी. को केवल [2022] 19 एस. सी. आर. निर्धारित करना था।

आर. टी. एम. मार्ग से शुल्क। एम. ई. आर. सी. के लिए धारा 63 या धारा 62 मार्ग के माध्यम से शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है। जब एम. ई. आर. सी. निर्धारित करने के लिए धारा 86 के तहत अपनी सामान्य नियामक शक्ति का प्रयोग कर रहा है शुल्क, एन. टी. पी. एक भौतिक विचार है। इस प्रकार, एक सीमा सीमा की अनुपस्थिति उस शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी जो एम. ई. आर. सी. के पास शुल्क (और इसके तौर-तरीकों) को निर्धारित करने के लिए है। चूँकि एम. ई. आर. सी. के पास विनियमन की शक्ति है और

बिजली के अंतर-राज्य संचरण के लिए शुल्क निर्धारित करें, दिशानिर्देश

और एम. ई. आर. सी. द्वारा जारी नियमों, यदि कोई हो, का विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या एम. ई. आर. सी. को दो मार्गों में से एक का चयन करने के लिए अनिवार्य किया गया था।

शुल्क का निर्धारण या क्या यह तौर-तरीके का चयन करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

101. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, जिस तारीख को एम. ई. आर. सी. ने एच. वी. डी. सी. पारेषण परियोजना के लिए शुल्क निर्धारित किया था, उसने न तो अधिसूचित किया था

धारा 181 (2) (जेडडी) के तहत विनियम और न ही अधिनियम की धारा 61 के तहत नियम और शर्तें। 4 जनवरी 2019 को सरकार ने

महाराष्ट्र ने नए शुल्क को अपनाने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया

राज्य में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधारित '। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह 13 अप्रैल 2006 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 11/5/2005-पीजी (I) द्वारा एमओपी द्वारा जारी प्रतिस्पर्धी बोली पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि राज्य सरकार अंतर-राज्य संचरण परियोजनाओं के लिए इन दिशानिर्देशों को अपना सकती है या इन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद राज्य में राज्य संचरण परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए समान समितियों का गठन किया जा सकता है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि सरकार ने पारेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति और बोली मूल्यांकन समिति जैसी समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है

टी. बी. सी. के माध्यम से। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार ने राज्य के भीतर नई परियोजनाओं के लिए टी. बी. सी. बी. को लागू करने का निर्णय लिया है। अधिकार प्राप्त समिति और बोली मूल्यांकन समिति का गठन टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों और विकास दिशानिर्देशों के तहत समान समितियों के गठन से पता चलता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अधिकार प्राप्त समिति का गठन केंद्रीय प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है

सरकार के दिशानिर्देश। अधिसूचना के पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि बोली प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति बोली प्रक्रिया के समन्वय के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी और बोली प्रक्रिया समन्वयक के कार्य केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

ई. 3 जीओएम जीआर का मूल्य

102. जीओएम का जीआर विचार के लिए दो अलग-अलग मुद्दे उठाता हैः

टाटा पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

एम. ई. आर. सी. के निर्णय के लिए जी. ओ. एम. के जी. आर. की प्रासंगिकता

अ)

ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन; और

ख)

के निर्णय के संदर्भ में जीओएम के जीआर की प्रासंगिकता

एम. एस. ई. टी. सी. एल. एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए बोली नहीं लगाएगा।

103. हालाँकि, इन दोनों मुद्दों पर विचार करने से पहले, एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए जी. ओ. एम. जी. आर. की प्रयोज्यता पर चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा।

जीओएम जीआर को 4 जनवरी 2019 को अधिसूचित किया गया था। जी. आर. अनिवार्य करता है कि शुल्क का निर्धारण धारा 63 के तहत टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से किया जाएगा।

सभी 'नई परियोजनाएं'। इसलिए, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या 4 जनवरी 2019 तक, एच. वी. डी. सी. कुडुस-आरे परियोजना को एक 'नई परियोजना' के रूप में माना जा सकता है।

ई. 3.1 नई-पुरानी पहेली

104. जीओएम का जीआर इस शब्द पर कोई स्पष्टता प्रदान नहीं करता है।

23 नवंबर 2018 को ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा एच. वी. डी. सी. परियोजना दायर की गई। 23 नवंबर 2018 के अपने पत्र द्वारा, ए. ई. एम. एल.-टी. ने एम. ई. आर. सी. द्वारा जारी किए गए पत्र में संशोधन की मांग की, जिसमें नागोथाने से आरे तक 2 x 500 एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) योजना को ग्रिड संपर्क प्रदान किया गया है। एम. ई. आर. सी. द्वारा जारी पत्र में ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा मांगे गए संशोधन को एम. एस. ई. टी. सी. एल. और ए. ई. एम. एल.-टी. के बीच हुई बैठक के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने सुझाव दिया था कि एच. वी. डी. सी. परियोजना पर नागोथेन सबस्टेशन के विपरीत कुडस सबस्टेशन से विचार किया जाए क्योंकि यह आरे सबस्टेशन के करीब है। हालांकि, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने एक मोड़ लिया और 5 जनवरी 2015 को आर-इन्फ्रा की नागोथाने-आरे परियोजना को रद्द कर दिया और इसके बजाय एक कुडुस-आरे एच. वी. ए. सी. परियोजना का प्रस्ताव रखा। 5 जनवरी 2015 के प्रस्ताव द्वारा, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने बिंदु को नागोथाने से कुडुस में और प्रौद्योगिकी को एच. वी. डी. सी. से एच. वी. ए. सी. में बदल दिया। तदनुसार, एम. ई. आर. सी. ने एच. वी. डी. सी. नागोथाने के लिए ए. ई. एम. एल.-टी. को दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया। आरे योजना। हालांकि, ओवरहेड लाइन के निर्माण में रास्ते के अधिकार के मुद्दों के कारण, 400 केवी आरे से कुडुस एचवीएसी योजना कभी शुरू नहीं हुई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

105. एम. ई. आर. सी. ने माना कि सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करना

डी आम तौर पर परियोजना को बंद करने के बराबर होता है। हालांकि, एम. ई. आर. सी. ने एच. वी. डी. सी. परियोजना की अनूठी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कुडुस-आरे परियोजना का प्रस्ताव नवंबर में ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा किया गया था।

विन्यास, नवंबर 2018 से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। एम. एस. ई. टी. सी. एल. कुडस के बीच 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. वी. एस. सी. आधारित कड़ी

और ए. ई. एम. एल. आरे को ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा 23 नवंबर, 2018 को ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए अपने आवेदन के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार उक्त आवेदन 4 जनवरी, 2019 के जी. ओ. एम. जी. आर. से पहले का है। तकनीकी अध्ययन, लागत अनुमान, केबल मार्ग सर्वेक्षण, भूमि की पहचान, व्यवहार्यता अध्ययन के साथ-साथ डी. पी. आर. तैयार करने जैसे कुछ योजना और प्रारंभिक कार्य भी शुरू किए गए थे। यह नया संपर्क अनुप्रयोग टी. पी. सी.-टी. के इस तर्क को भी संबोधित करता है कि

नेटवर्क विन्यास में परिवर्तन होने पर एक नया संपर्क अनुप्रयोग बनाना पड़ता है। इसलिए, प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. योजना पहले से स्वीकृत योजना के तहत एक नई योजना है, लेकिन इस एच. वी. डी. सी. योजना के लिए नया संपर्क आवेदन 4 जनवरी, 2019 को जी. ओ. एम. जी. आर. की अधिसूचना से पहले दायर किया गया था।

सैद्धांतिक मंजूरी इसे एक नई योजना नहीं बना सकती क्योंकि यह टी. यू. ही था जिसने एच. वी. डी. सी. पर अपनी आपत्तियों को उठाया था।ology:

" 149. पहले दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने से यह एक नई योजना नहीं बन सकती है क्योंकि एस. टी. यू. ने बाद में स्वयं उस तकनीक के बारे में अपनी आपत्तियों को उठाया जिसके कारण रद्द करने की पहले सराहना की गई थी और इस पर कार्रवाई की गई थी।

आयोग द्वारा। योजना वही बनी हुई है, मुख्य परिवर्तन संशोधित मार्ग (दूरी और लागत बचाने के लिए) के संबंध में एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी है जो शुरू में प्रस्तावित की गई थी और अब सी. ई. ए. द्वारा अनुमोदन पर एस. टी. यू. द्वारा अंततः स्वीकार की गई है। एस. टी. यू. द्वारा एक से अधिक बार फ्लॉप या री-थिंक के कारण होने वाले भ्रम के प्रभाव पर हम निम्नलिखित खंड में चर्चा कर रहे हैं ("एच. वी. डी. सी. परियोजना पर एस. टी. यू. का रुख बदलना" शीर्षक के तहत) और इस पर ध्यान केंद्रित करने से यहाँ चर्चा ए. टी. ए. पावर सी. ओ. बन जाएगी।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

दोहराएँ। यहाँ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस तरह के भ्रम के लिए

अंतराल (तुलना में एच. वी. डी. सी. पर संदेह के कारण फिर से एच. वी. ए. सी.) के अनुसार, इस योजना में लगातार और पूरे समय

वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से, पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बना हुआ है

(अब ए. ई. एम. एल.-टी. या इसका एस. पी. वी.), जीओ. एम. का जी. आर. आ गया है। दिन में बहुत बाद में।

150. हम, इस प्रकार, में कोई त्रुटि, दुर्बलता या अनुचितता नहीं पाते हैं

शीर्षक वाले मुद्दे पर आयोग द्वारा किए गए निष्कर्ष। इसके विपरीत अपीलार्थी की दलीलें खारिज कर दी जाती हैं।

[.....]

" 159. [.....] के लिए सुझाव पर लगभग कोई विरोध नहीं था मार्ग का परिवर्तन (नागोथाने के एक छोर होने के बजाय कुडुस)

प्रस्तावक आसानी से इसके लिए सहमत हो गया। फ़्लिप-फ्लॉप विज़-ए-विज़

उपयुक्त प्रौद्योगिकी (एच. वी. डी. सी. बनाम एच. वी. ए. सी.) वह जगह है जहाँ

प्रगति लंबे समय तक रुकी रही। हम योग्यता नहीं पाते हैं।

अपनी प्रकाशित योजनाओं से बहिष्करण के बारे में एसटीयू के स्पष्टीकरण में

बीच में कुछ वर्षों के लिए। [.....] में अस्थायी अनिश्चितता

एस. टी. यू. का दिमाग, जिसकी केवल एक अनुशंसित भूमिका थी, है

केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हुई। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है। एम. ई. आर. सी. द्वारा लिए गए निर्णय को दूषित करें जिसके हाथों में

अधिकारिता कानून द्वारा अनुदान पर कॉल करने के लिए रखी गई है

लाइसेंस "।

(जोर दिया गया)

106. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए 1000 मेगावाट का आरे-कुडुस

ए. ई. एम. आई. एल. द्वारा सी परियोजना संदर्भ के साथ एक मौजूदा 'या' पुरानी 'परियोजना है।

निम्नलिखित कारणों से जी. ओ. एम. जी. आर.:

106.1 सबसे पहले, जी. आर. का अर्थ प्रदान या व्याख्या नहीं करता है

वाक्यांश 'नई' परियोजनाएं। इसलिए एम. ई. आर. सी. के पास विवेकाधिकार है

वाक्यांश 'नई' परियोजनाओं की अपनी समझ तैयार करने के लिए

निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए असाधारण। इसे ध्यान में रखते हुए ऊपर चर्चा किए गए इस न्यायालय के निर्णय और प्रावधान

अधिनियम के अनुसार, एम. ई. आर. सी. के पास शुल्क को विनियमित करने की शक्ति है दृढ़ संकल्प। एम. ई. आर. सी. ने 'नया' [2022] 19 एस. सी. आर. वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया है।

नियमों के माध्यम से परियोजनाएं। इस स्थिति में, एमईआरसी 'नई' परियोजनाओं की व्याख्या करने का विवेकाधिकार है

जो उसने ए. ई. एम. आई. एल. को देने वाले अपने निर्णय के दौरान किया था।

प्रसारण लाइसेंस। एम. ई. आर. सी. ने माना कि आम तौर पर

अनुमोदन को रद्द करना बंद करने के बराबर होगा

परियोजना, जब तक कि तथ्यों की विशिष्ट प्रकृति एक

वैकल्पिक निष्कर्ष (इस मामले में);

106.2 दूसरा, व्याख्या के लिए तथ्यों को लागू करने पर

वाक्यांश 'नई' परियोजना, एम. ई. आर. सी. ने देखा कि एच. वी. डी. सी

कुडुस-आरे परियोजना कोई नई परियोजना नहीं है। एपीटीईएल, ऑन अपील, एम. ई. आर. सी. की टिप्पणियों को बरकरार रखा कि यह एक है

‘ मौजूदा परियोजना '। के फैसले के खिलाफ अपील

अधिनियम की धारा 125 के तहत इस न्यायालय के समक्ष ए. पी. टी. ई. एल.

केवल सी. पी. सी. की धारा 100 में उल्लिखित आधारों पर हो।

धारा 125 निम्नानुसार हैः

" 125. किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है

संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर न्यायालय

अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश का,

कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से रोका गया था उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करना, इसकी अनुमति दें

एक और अवधि के भीतर दायर किया गया जो साठ दिनों से अधिक नहीं है।

(जोर दिया गया)

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 में कहा गया है कि

दूसरी अपील केवल तभी होगी जब न्यायालय (इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय) संतुष्ट हो कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। यह तय कानून है कि नीचे दिए गए मंचों (एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल.) द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। डी. एस. आर. (स्टील) प्रा. लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विनियामक आयोग और न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य के निष्कर्षों को अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील पर इस न्यायालय द्वारा फिर से नहीं खोला जा सकता है। अदालत ने कहाः

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

14. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत एक अपील है

इस न्यायालय के समक्ष केवल निर्दिष्ट आधारों पर बनाए रखने योग्य

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100। धारा 100 सी. पी. सी. में

केवल तभी अपील दायर करने की अनुमति देता है जब मामले में एक

कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न। द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष निम्नलिखित न्यायालय, जो वर्तमान मामले में, का तात्पर्य होगा

प्रथम दृष्टांत न्यायालय के रूप में विनियामक आयोग और

पहली अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय के रूप में अपीलीय न्यायाधिकरण,

के तहत एक अपील में इस न्यायालय के समक्ष फिर से नहीं खोला जा सकता है

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125। जैसे ऊँचे

न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

धारा के तहत दूसरी अपील में नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किया गया

100 सिविल प्रक्रिया संहिता की, इसलिए भी यह न्यायालय होगा

तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक

न्यायाधिकरण। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय एक सेना हैं। गोविंदराजू बनाम का संदर्भ। मरियम्मन [(2005) 2 एससीसी 500:

ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1008], हरि सिंह बनाम। कन्हैया लाल (1999) 7 एस. सी. सी.

288 ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3325], रामास्वामी कलिंगयार बनाम।

मथायन पदयाची [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 712 ए. आई. आर. 1992 एस. सी

115] , केहर सिंह बनाम। यश पाल [ए. आई. आर 1990 एस. सी. 2212]

और बिस्मिल्लाह बेगम बनाम। रहमतुल्लाह खान [(1998) 2 एससीसी 226

: ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 970] हालांकि, पर्याप्त होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

चूंकि ए. पी. टी. ई. एल. और एम. ई. आर. सी. दोनों ने समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं

एच. वी. डी. सी. आरे-कुडुस परियोजना एक मौजूदा परियोजना है, इसे फिर से खोलने के लिए अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील में इस अदालत को नहीं भेजा जाएगा।

एनडिंग्स।

तीसरा, अन्यथा भी, हम इसके निष्कर्षों से सहमत हैं

सी और ए. पी. टी. ई. एल. कि 1000 एम. वी. एच. वी. डी. सी. योजना आरे से एस निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करते हुए एक पुरानी परियोजना हैः

106.2. 1

12 नवंबर 2007 को, MSETCL ने एक

प्रस्तावित कदमों को निर्धारित करने के लिए सी. ई. ए. को संचार

भार केंद्र। संचार में कहा गया कि टी. पी. सी. ने ओवरहेड लाइनों की स्थापना का प्रस्ताव और

भूमिगत केबल जबकि आर. ई. एल. ने कनेक्शन [2022] 19 एस. सी. आर. का प्रस्ताव रखा था।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) तकनीक का उपयोग करके आरे तक। एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना करते हुए 2013-14 के लिए एक पंचवर्षीय योजना अधिसूचित की। योजना विशेष रूप से चल रही योजनाओं के लिए प्रदान की गई है

आर-नागोथाने और आरे के बीच एच. वी. डी. सी. आधारित लिंक सहित नई योजनाओं के साथ इन्फ्रा। इसी तरह के विवरण टी. पी. सी. के चल रहे और नए के संबंध में प्रदान किए गए थे।

योजनाएं। टी. पी. सी. और आर-इन्फ्रा दोनों शुरुआत से ही मैदान में थे। जबकि टी. पी. सी. मुख्य रूप से ओवरहेड पारेषण लाइन खंड में था, आर-इन्फ्रा ने एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर पारेषण लाइनों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था।

मुंबई के लिए बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी। एमईआरसी ने एक 11 अगस्त 2011 को आर-इन्फ्रा को संचरण लाइसेंस। आर इन्फ्रा ने नियुक्ति के लिए एम. ई. आर. सी. को एक डी. पी. आर. प्रस्तुत की

1 फरवरी 2013 को नागोथाने से आरे तक पारेषण लाइन के लिए एक सलाहकार। 7 मार्च 2013 को, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने पुष्टि की कि नागोथाने-आरे परियोजना यह वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए STU पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा था। एम. ई. आर. सी. ने 5 अप्रैल 2013 को सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी। प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. परियोजना के लिए ग्रिड संपर्क के अनुदान के लिए आवेदन था

21 अगस्त 2013 को अनुमति दी गई। जब मामले इस तरह आगे बढ़ रहे थे, नवंबर 2013 में MSETCL ने एक

आर-इन्फ्रा के साथ बैठक में प्रस्ताव दिया गया कि आर-इन्फ्रा कुडस उप-स्टेशन से संपर्क का लाभ उठा सकता है।

नागोथाने के उप-स्टेशन की तुलना में आरे उप-स्टेशन के करीब। आर-इन्फ्रा ने संपर्क के बिंदु पर प्रस्तावित संशोधन पर अपनी चिंता व्यक्त की। 10 अप्रैल 2014 को एम. ई. आर. सी. ने एच. वी. डी. सी. योजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। जनवरी 2015 में, एमएसईटीसीएल जहां एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा 400 केवी कुडुस आरे एच. वी. ए. सी. योजना प्रस्तावित की गई थी, उसके लिए एक संशोधित योजना का प्रस्ताव रखा गया। 2 मई 2016 को टी. ए. पावर कंपनी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

नागोथाने-आरे एच. वी. डी. सी. योजना को रद्द कर दिया गया था

एम. ई. आर. सी.

106.2. 3 हालाँकि, चूंकि एमएसईटीसीएल की एचवीएसी योजना ने ऐसा नहीं किया

ए. ई. एम. एल.-टी. ने 23 नवंबर 2018 को आरे से कुडुस के बीच एच. वी. डी. सी. योजना के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एम. ई. आर. सी. द्वारा नागोथाने से आरे तक 2 x 500 एच. वी. डी. सी. (वी. एस. सी. आधारित) योजना को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जारी पत्र में संशोधन की मांग की गई थी।

106.2. 4 तथ्यों का वर्णन इंगित करता है कि ए. ई. एम. एल.-टी. (या इसका

ब्याज में पूर्ववर्ती) में शामिल किया गया है योजना की शुरुआत से ही एच. वी. डी. सी. योजना का निष्पादन। सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करना।

विशिष्ट पृष्ठभूमि को देखते हुए एम. ई. आर. सी. द्वारा ए. ई. एम. एल.-टी. को दी गई मंजूरी को परियोजना को समाप्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

इस मामले में। एच. वी. डी. सी. और एच. वी. ए. सी. प्रौद्योगिकियों पर एम. एस. ई. टी. सी. एल. की अनिर्णायकता के कारण ए. ई. एम. एल.-टी. की मंजूरी रद्द कर दी गई। एच. वी. डी. सी. योजना का श्रेय 2009 से आर-इन्फ्रा या, जैसा भी मामला हो, ए. ई. एम. एल-टी. को दिया गया था। बिजली नियामक क्षेत्र में, जहां राज्य नियामक आयोग और एसटीयूएस कई लूपों में काम कर रहे हैं, यह सवाल कि क्या परियोजना पुरानी है या नई, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के समग्र दायरे के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि एच. वी. डी. सी. योजना एक पुरानी परियोजना है और नागोथाने से कुडुस तक इंजेक्शन बिंदु के स्थान में परिवर्तन से कोई नुकसान नहीं होगा।

पुरानी परियोजना को बंद करना।

107. इसके बावजूद, हम इस पर भी निर्णय लेना उचित समझते हैं जीओएम की प्रासंगिकता के संदर्भ में विचार के लिए हमारे समक्ष

एम. ई. आर. सी. का निर्णय लेना और बोली प्रक्रिया का आयोजन

एस. ई. टी. सी. एल.

ई. 3.2 एमईआरसी के निर्णय के लिए जी. ओ. एम. जी. आर. की प्रासंगिकता

108. जी. आर. में प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं है

जिसे अधिसूचित किया गया था। प्रस्ताव की शुरूआत में कहा गया है कि

बहती हुईः

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के साथ नई पारेषण परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 11/5/2005-पीजी (1) दिनांक 13.04.2006 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, संशोधन

राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 04.07.2007 पर बनाया गया था और

10.10.2008 . इसके अतिरिक्त, दिनांक 02.05.2012 के संशोधित निर्देशों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार अंतर-राज्य संचरण परियोजनाओं के लिए इन दिशानिर्देशों को अपना सकती है या इन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद सुविधा प्रदान करने के लिए इसी तरह की समितियों का गठन कर सकती है

राज्य में राज्य पारेषण परियोजनाओं की स्थापना।

[.....]

इसलिए, सरकार के संविधान पर विचार कर रहा था

अधिकार प्राप्त समितियाँ, बोली मूल्यांकन जैसी समितियाँ

पारेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार समिति

शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राज्य। द.

सरकार ने गहन चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

इस संबंध में निर्णय "।

ऊपर उल्लिखित लक्ष्य दिशानिर्देश टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देश हैं।

बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में बोली लगाने के लिए विशेष रूप से लगे संगठन या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। विकास दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 24 में कहा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को अपना सकती हैं और अंतर-राज्य संचरण परियोजनाओं की सुविधा के लिए इसी तरह की समितियों का गठन कर सकती हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए इन दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं। 109. जबकि राज्य सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली पर अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्रीय दिशानिर्देशों का उपयोग किया है, यह ध्यान में रखता है कि गठित की जा रही अधिकार प्राप्त समिति "केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार" पारेषण परियोजनाएं शुरू करेगी। इसलिए, जिस हद तक जीओएम जीआर केंद्र सरकार के टी. बी. सी. बी. दिशानिर्देशों के अनुरूप टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए बोली लगाने के लिए कुछ निकायों की स्थापना से संबंधित है, इसे

अधिनियम की धारा 63 के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। हालाँकि, यह प्रक्रियात्मक टाटा पावर कंपनी के लिए गठित की जा रही समितियों तक ही सीमित है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

केंद्र सरकार द्वारा निपटाई गई बोली प्रक्रिया के पहलू दिशानिर्देश।

जीआर ने 'नई परियोजनाओं' शब्द को परिभाषित नहीं किया। अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जी. आर. एम. ई. आर. सी., एम. ई. आर. सी. पर बाध्यकारी होने के कारण बोली प्रक्रिया के माध्यम से शुल्क निर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था सभी 'नई' परियोजनाओं के लिए, और यदि एच. वी. डी. सी. परियोजना एक 'नई परियोजना' है तो धारा 62 मार्ग के माध्यम से शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता था। जबकि हम पहले ही मान चुके हैं कि एच. वी. डी. सी. परियोजना जी. ओ. एम. जी. आर. के संदर्भ में एक मौजूदा परियोजना थी, हम एम. ई. आर. सी. पर जी. ओ. एम. जी. आर. के बाध्यकारी मूल्य के पहलू को भी स्पष्ट करते हैं।

एक्ट करें। यह कहते हुए कि राज्य सरकार निर्देश जारी कर सकती है धारा 108 (2) में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा निर्देश निम्नलिखित मामलों से संबंधित है -

लोकहित वाली नीति, इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रावधान में आगे कहा गया है कि राज्य आयोग अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य सरकार के निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा। धारा 108 नीचे निकाली गई है:

" 108. राज्य सरकार द्वारा निर्देश। - (1) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग जनहित से जुड़े नीतिगत मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा जो राज्य सरकार उसे लिखित रूप में दे।

(2) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश लोक हित से संबंधित नीति के मामले से संबंधित है, तो

उस पर राज्य सरकार अंतिम होगी।

112. धारा 108 "नीति के मामलों में निर्देशों" से संबंधित है।

जिसमें लोक हित शामिल है जैसा कि राज्य सरकार उसे दे सकती है

लिखना "। प्रावधान में 'इट' शब्द राज्य आयोग को संदर्भित करता है। जीओएम के जीआर में राज्य आयोग का उल्लेख नहीं है और न ही है

धारा 108 में परिकल्पित एम. ई. आर. सी. को एक निर्देश के रूप में जारी किया गया। इसलिए, एच. वी. डी. सी. परियोजना, सबसे पहले, [2022] 19 एस. सी. आर. के संदर्भ में एक मौजूदा परियोजना है।

जीओएम जीआर, और दूसरा, राज्य आयोग को निर्देश के रूप में धारा 108 के संदर्भ में जीओएम जीआर जारी नहीं किया गया है।

ई. 3. एम. एस. ई. टी. सी. एल. के निर्णय की तुलना में जी. ओ. एम. जी. आर. की प्रासंगिकता

एम. एस. ई. टी. सी. एल. एच. वी. डी. सी. परियोजना को बोली लगाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेजने के लिए बाध्य था और बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क को धारा 63 के तहत एम. ई. आर. सी. को भेजा जाना था। 114. एम. एस. ई. टी. सी. एल. या कोई भी एस. टी. यू. विद्युत अधिनियम की धारा 39 के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य करता हैः

" (2) राज्य पारेषण उपयोगिता के कार्य होंगे -

(क) अंतर-राज्य के माध्यम से बिजली का संचरण करना।

संचरण प्रणाली;

(ख) संबंधित नियोजन और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना।

राज्य के भीतर संचरण प्रणाली के साथ
(i) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता;

((ख) राज्य सरकारें;

((च) प्राधिकरण;
(vi) लाइसेंसधारी;

((vii) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति।

(ग) एक कुशल, समन्वित और विकास सुनिश्चित करना। एक उत्पादन केंद्र से भार केंद्रों तक बिजली के सुचारू प्रवाह के लिए अंतर-राज्य पारेषण लाइनों की किफायती प्रणाली;

किसी भी राज्य की संचरण प्रणालियाँ। यह भूमिका धारा 39 (2) के उपखंड (बी) में सूचीबद्ध अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में की जाती है। महाराष्ट्र में एम. एस. ई. टी. सी. एल. पंचवर्षीय योजनाओं को अधिसूचित कर रहा है जो प्रतिबिंबित करती हैं। अंतर-राज्य टाटा पावर कंपनी के संबंध में आगामी परियोजनाएं और योजना पहल।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

संचरण प्रणाली। एम. ई. आर. सी. ग्रिड कोड 2006 में एम. एस. ई. टी. सी. एल. के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को प्रकाशित करने की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है।

116. विकास दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 24 राज्य सरकारों को दिशा-निर्देशों को अपनाने और इसी तरह की समितियों का गठन करने की अनुमति देता है

अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं की सुविधा के लिए। विकास दिशानिर्देशों के संदर्भ में, अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जो दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने कार्य करेगी। जीओएम के जीआर ने यह भी अधिसूचित किया है कि अधिकार प्राप्त समिति बोली प्रक्रिया समन्वयक और बोली सशक्तिकरण समिति की नियुक्ति करेगी।

117. अधिकार प्राप्त समिति के कार्यों में "इस योजना के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करना" शामिल है। इसके अलावा, यह अधिकार प्राप्त समिति है जो बोली तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है

दस्तावेज़, बोलियों के मूल्यांकन के साथ-साथ विकासकर्ता और संबंधित उपयोगिताओं के बीच पारेषण सेवा समझौतों को अंतिम रूप देना।

118. अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों सहित विकास दिशानिर्देशों के कुछ प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" 14. अधिकार प्राप्त समिति के कार्य होंगे -

निम्नलिखितः

क) इस योजना के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करना।

ख) बोली दस्तावेज तैयार करने और बोली आमंत्रित करने में सुविधा प्रदान करना।

एक उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से।

ग) बोलियों के मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाना।

घ) विकासकर्ता और संबंधित के बीच संचरण सेवा समझौते (टी. एस. ए.) को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करना।

[.....]

परियोजना संरचना

17. तीन पंचवर्षीय योजनाओं को शामिल करने वाली परिप्रेक्ष्य योजना के बाद, अल्पकालिक योजना और नेटवर्क योजना तैयार की गई है।

इनमें से कुछ परियोजनाओं की पहचान प्रतिस्पर्धी बोली के लिए इस योजना के तहत शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के रूप में की जाएगी। पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है [2022] 19 एस. सी. आर.

हितधारकों को सभी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होने के लिए,

नई परियोजनाओं और उनके तकनीकी और अन्य विनिर्देशों के बारे में।

इन चिन्हित परियोजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता होगी

प्रतिस्पर्धी बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विवरण।

इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.)

तैयार हैं।

[.....]

विकासकर्ता का चयन

19. चिन्हित परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता का चयन होगा -

पारेषण सेवाओं के लिए शुल्क आधारित बोली के माध्यम से

धारा के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के लिए

63 विद्युत अधिनियम, 2003। सीटीयू/एसटीयू और संयुक्त उद्यम कंपनियां भी बोली लगाने की पात्र होंगी, ताकि पर्याप्त मात्रा में बोली लगाई जा सके।

स्थानांतरण के लिए लाइसेंस

20. अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा चयन की सिफारिश के साथ

संचरण के अनुदान के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग लाइसेंस। यदि यह तीस दिनों के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो यह

इसके चयन को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। चयन रद्द करना

जैसा कि ऊपर दिया गया है, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित निजी कंपनी को अवसर देने के बाद ही

सुनी जाए।

(जोर दिया गया)

119. विकास दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 17 के अनुरूप, यह

अधिकार प्राप्त समिति होगी जो प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अंतर्गत आने के लिए पारेषण उपयोगिता की नेटवर्क योजना से परियोजनाओं की पहचान करेगी। विकास दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 19 के संदर्भ में, संबंधित एसटीयू स्वयं बोली में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

120. तदनुसार, इन विकासों को पढ़ने से यह स्पष्ट है

अधिनियम की धारा 39 (2) के संदर्भ में राज्य उपयोगिता के कार्यों के साथ पठित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य पारेषण उपयोगिता अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए शीर्ष प्राधिकरण होगी,

अधिकार प्राप्त समिति टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए है।

टाटा पावर कं. वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

121. हालाँकि, जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, एच. वी. डी. सी. परियोजना मंत्री समूह के जी. आर. के संदर्भ में एक मौजूदा/पुरानी परियोजना थी। इसके अलावा यह

इसकी बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज अधिकार प्राप्त समिति के विचार-विमर्श के संदर्भ में भी सामने लाया जाता है।

122. एक बार अधिकार प्राप्त समिति का गठन होने के बाद, एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने मंत्री समूह के जी. आर. के संदर्भ में एच. वी. डी. सी. परियोजना को इसके पास भेज दिया। 30 मई 2020 की चौथी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त में एच. वी. डी. सी. परियोजना के रूप में एजेंडा संख्या 3 दर्ज किया गया है। अधिकार प्राप्त समिति को इस संबंध में घटनाक्रम के साथ-साथ टी. पी. सी. की आपत्ति से अवगत कराया गया कि इसे टी. बी. सी. बी. के माध्यम से आवंटित किया जाना चाहिए। उक्त बैठक में अधिकार प्राप्त समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया।

123. 24 दिसंबर 2020 को आयोजित 5 वीं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में टी. बी. सी. बी. के माध्यम से अंतर-राज्य संचरण परियोजनाओं के विकास के लिए सीमा सीमा के मुद्दे के साथ-साथ एच. वी. डी. सी. परियोजना दोनों पर एक बार फिर चर्चा की गई।

124. अधिकार प्राप्त समिति ने सीमा के रूप में 500 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की और एजेंडा आइटम 3 के तहत "नई/पुरानी" परियोजनाओं के मुद्दे पर निर्णय लिया। इसके अलावा, इसने एक बार फिर एच. वी. डी. सी. परियोजना पर विचार किया और निर्णय लिया कि एम. एस. ई. टी. सी. एल. इस परियोजना के साथ आगे बढ़ेगी। कार्यसूची मद 3 में सिफारिश की शर्तें -

" कार्यसूची मद 4: 1000 मेगावाट एच. वी. डी. सी. को शामिल करने का मूल्यांकन एस. टी. यू. की पंचवर्षीय योजना में कुडुस-आरे परियोजना

(2019-20 – 2024-25) अंत में अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया

बैठक होती है।

चौथी अधिकार प्राप्त समिति में "कुडुस की 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. परियोजना-आरे को टी. बी. सी. बी. के तहत लिया जाएगा" पर चर्चा की गई।

30 मई 2020 को बैठक होगी। उस समय एच. वी. डी. सी. परियोजना पाँच साल के लिए एस. टी. यू. का हिस्सा नहीं थी।

योजना बनाएँ।

इसलिए कार्यसूची को स्थगित कर दिया गया। अब अधिकार प्राप्त समिति को कुडुस-आरे की 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. परियोजना को एस. टी. यू. पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में अवगत कराया गया है। समावेशन के मूल्यांकन के बाद समिति ने एस. टी. यू. को सूचित किया कि उन्हें अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें

125. उपरोक्त निर्णय के आधार पर, एम. ई. आर. सी., एम. एस. ई. टी. सी. एल. के समक्ष दायर अपनी जनवरी 2021 की अतिरिक्त प्रस्तुति में

ई. सी. की बैठक के उल्लिखित कार्यवृत्त में कहा गया है कि यह ई. सी. के निर्णय के साथ आगे बढ़ेगा। एम. ई. आर. सी. के समक्ष 08 फरवरी, 2021 को दायर अपने विवरण में यह स्पष्ट करते हुए कि एच. वी. डी. सी. परियोजना एक पुरानी परियोजना होने के कारण इसे टी. बी. सी. बी. मार्ग से जाने की आवश्यकता नहीं होगीः

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान एच. वी. डी. सी. योजना को चौथे अधिकार प्राप्त के दौरान अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को सूचित किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार के जी. आर. डी. टी. के अनुरूप समिति की बैठक (जैसा कि दिनांक 30.05.2020 पर एमओ. एम. में भी दर्ज है)। 04.01.2019 .

इससे पहले नागोथाने-आरे एच. वी. डी. सी. परियोजना प्रस्तुत की गई थी पूर्ववर्ती रिनफ्रा-टी और इसे 2018 तक एसटीयू योजना 2014-15 में शामिल किया गया था

19. इस परियोजना को माननीय एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था

रिनफ्रा-टी द्वारा कार्यान्वित। इसके बाद एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा एच. वी. ए. सी. कुडस-आरे योजना प्रस्तुत की गई और इसे 2015-16 से 2019-20 की एस. टी. यू. योजना में शामिल किया गया। इस परियोजना को माननीय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एम. एस. ई. टी. सी. एल. द्वारा आयोग लागू किया जाएगा। हालांकि यह

एच. वी. ए. सी. परियोजना को बाद में रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, एम/एस। ए. ई. एम. एल. टी. ने दिनांक 23/11/2018 को फिर से वी. एस. सी. आधारित 1000 मेगावाट के कुडस आरे एच. वी. डी. सी. योजना को एस. टी. यू. को प्रस्तुत किए हैं और इसे एस. टी. यू. की 2018-19 से 2022-23 की पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि अन्य एच. वी. ए. सी. योजनाएं जैसे 400 के. वी. वेलगांव, 400 के. वी. कलवा 11 और 400 के. वी. कलवा-पड़घे एम/सी लाइन का पता लगाया गया था।

सिफारिश के रूप में योजना को फिर से बहाल किया गया ए. ई. एम. एल.-टी द्वारा एस. टी. यू. योजना में 2019-20 से 2024-25 तक। इसलिए यह देखा जाता है

कि उक्त एच. वी. डी. सी. परियोजना पुरानी परियोजना है।

10. पारेषण योजना के समय पर निष्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक सबस्टेशनों के लिए भूमि की उपलब्धता है। आरे में ए. ई. एम. एल. ई. एच. वी. उपकेंद्र भूमि उपयोग को अनुकूलित किया जा सकता है।

एच. वी. डी. सी. योजना के इन्वर्टर टर्मिनल को स्थापित करना।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 5 वीं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में, अधिकार प्राप्त समिति ने नई योजनाओं के लिए सीमा लागू करने का निर्णय लिया, जिन्हें अधिकार प्राप्त को संदर्भित किया जा सकता है।

समिति। एच. वी. डी. सी. योजना कई वर्षों से मानी जा रही है।

पहले से ही ए. ई. एम. एल.-टी. द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिश और एस. टी. यू. और ए. ई. एम. एल. को योजना को लागू करने के लिए माननीय एम. ई. आर. सी. द्वारा निर्देश दिया गया है।

शीघ्रता से।

12. जैसा कि उपरोक्त विचार-विमर्शों से देखा जाता है कि एच. वी. डी. सी.

परियोजना पुरानी परियोजना है। इसके अलावा, तय की गई सीमा

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांकित 24/12/2020 की अपनी बैठक में

अभी तक माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। हालांकि इसके अनुसार खंड 6 (ii) इस एच. वी. डी. सी. परियोजना को पुरानी परियोजना माना जा सकता है।

और जहां एम. ई. आर. सी. ने काफी हद तक समावेशन की प्रक्रिया शुरू की है

याचिकाकर्ता के दायरे में इस परियोजना का।

(जोर दिया गया)

विशेष रूप से, चुनाव आयोग ने भी एम. एस. ई. टी. सी. एल. पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

व्याख्या।

126. इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीमा

निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लिखित सीमा केवल एम. ई. आर. सी. के अनुरोध के जवाब में एक सिफारिश थी ताकि वह तदनुसार सीमा को अधिसूचित कर सके।

एन. टी. पी. 2016 के अनुरूप। एम. ई. आर. सी. द्वारा सीमा सीमा को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

127. तदनुसार, यह स्पष्ट है कि एमएसईटीसीएल का निर्णय

एच. वी. डी. सी. परियोजना को टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत संदर्भित नहीं किया जा रहा है, जो अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुरूप है, जिसे जी. ओ. एम. जी. आर. के संदर्भ में स्थापित किया गया है और जिसे टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का चयन करने का अधिकार दिया गया है।

एफ. निष्कर्ष

128. उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं -

निष्कर्ष निकालनाः

((i)

विद्युत अधिनियम 2003 राज्यों को पर्याप्त सुविधा प्रदान करता है।

अंतर-राज्य संचरण प्रणालियों को विनियमित करने के लिए लचीलापन,

शुल्क निर्धारित करने और विनियमित करने की शक्ति। विद्युत अधिनियम 2003 राज्य सरकारों से दूरी बनाना चाहता है

शुल्क का निर्धारण और विनियमन, ऐसी शक्ति स्थापित करना

पूरी तरह से उपयुक्त के दायरे में

कमीशन;

((ख)

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान निर्धारित नहीं करते हैं शुल्क निर्धारित करने का एक प्रमुख तरीका। धारा 63

बोली प्रक्रिया आयोजित होने के बाद काम करता है। जहाँ शुल्क पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है

बोली लगाते हुए, उपयुक्त आयोग को इस तरह के [2022] 19 एस. सी. आर. को अपनाना होगा।

शुल्क जो निर्धारित किया गया है। उपयुक्त

आयोग धारा 62 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके बोली के माध्यम से निर्धारित इस तरह के शुल्क को अस्वीकार नहीं कर सकता है। शुल्क बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जा सकता है

उपयुक्त आयोग द्वारा केवल तभी बोली प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी (एक ठोस समीक्षा करना) या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

धारा 63 के तहत दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया (एक प्रक्रियात्मक समीक्षा करना);

धारा 62 और 63 शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों को निर्धारित करती हैं। धारा 63 में गैर-अवरोधक खंड की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि धारा 63 इस पर विचार करेगी।

शुल्क निर्धारित करने के लिए विधि चुनने के चरण में धारा 62 पर वरीयता। शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों के निर्धारण के लिए मानदंड या दिशानिर्देशों को उपयुक्त राज्य आयोग द्वारा या तो अधिनियम की धारा 181 के तहत विनियमों के माध्यम से अधिसूचित किया जाना चाहिए या

अधिनियम की धारा 61 के तहत दिशानिर्देश;

एम. ई. आर. सी. ने न तो नियम बनाए हैं और न ही मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।

शुल्क निर्धारित करने के तौर-तरीके। इस प्रकार, एम. ई. आर. सी. अधिनियम की धारा 86 (1) (ए) के तहत अपनी सामान्य नियामक शक्तियों का प्रयोग करके शुल्क का निर्धारण करेगा। एम. ई. आर. सी. अपनी सामान्य नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए

धारा 86 (1) (ए) एन. टी. पी. 2016 द्वारा निर्देशित होगी, जो एक भौतिक विचार होगा। तदनुसार एन. टी. पी.

2016 टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से आवंटित की जाने वाली सीमा से अधिक अंतर-राज्य संचरण परियोजनाओं की आवश्यकता है, यह

यह एक भौतिक विचार है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मामले में सीमा मूल्य अभी तक एम. ई. आर. सी. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।

एम. ई. आर. सी. द्वारा सीमा को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण, एम. ई. आर. सी. के लिए एच. वी. डी. सी. परियोजना को आर. टी. एम. या टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत आवंटित करने के लिए खुला थाः

एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि 1000 मेगावाट की एच. वी. डी. सी. आरे-कुडुस परियोजना मंत्री समूह की टाटा पावर कंपनी की प्रयोज्यता के उद्देश्य से एक 'मौजूदा परियोजना' है।

वी. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

जीआर 2019। अधिनियम की धारा 125 के तहत एक वैधानिक अपील का निर्णय लेने वाला यह न्यायालय तथ्य के प्रश्न पर समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर भी, तथ्यों के एक स्वतंत्र मूल्यांकन पर भी, एचवीडीसी परियोजना है

एक मौजूदा परियोजना;

(viii) भले ही एच. वी. डी. सी. परियोजना को मंत्री समूह के जी. आर. के संदर्भ में एक 'नई परियोजना' माना जाए, लेकिन राज्य आयोग को निर्देश के रूप में धारा 108 के संदर्भ में इसे जारी नहीं किया गया है, एम. ई. आर. सी. के निर्णय को इसका पालन करने में विफल रहने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि एम. ई. आर. सी. एक परियोजना है।

शुल्क निर्धारित करने और विनियमित करने के लिए वैधानिक शक्तियों के साथ स्वतंत्र निकाय; और

(ix) एम. एस. ई. टी. सी. एल. ने मंत्री समूह के जी. आर. के संदर्भ में कार्य किया है क्योंकि उसने एच. वी. डी. सी. परियोजना को अधिकार प्राप्त समिति को भेजा है और एच. वी. डी. सी. परियोजना को टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत नहीं भेजने का निर्णय अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुरूप था। अधिकार प्राप्त समिति के पास टी. बी. सी. बी. मार्ग के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का चयन करने की शक्ति है।

जीओएम का जीआर।

129. विद्युत अधिनियम 2003 या नीतिगत ढांचा, विशेष रूप से एन. टी. पी. 2016, जिसे 4 जनवरी 2019 के जी. ओ. एम. जी. आर. के साथ पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं था।

केवल टी. बी. सी. बी. मार्ग के माध्यम से एच. वी. डी. सी. परियोजना आवंटित करने के लिए एम. ई. आर. सी. पर बाध्यकारी। ऊपर वर्णित कारणों से, धारा 62 के तहत एच. वी. डी. सी. परियोजना को अनुदान देने का नियामक आयोग का निर्णय अपनी शक्तियों के उचित प्रयोग के भीतर था।

130. इस मामले ने एस. टी. यू. के कामकाज की तदर्थ प्रकृति को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया है। एम. एस. ई. टी. सी. एल. बदल रहा है

किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एच. वी. डी. सी. प्रौद्योगिकी पर रुख। एम. एस. ई. टी. सी. एल. के असफल होने से समय और निवेश का नुकसान हुआ है जबकि बिजली क्षेत्र में मांग बढ़ रही है।

घातीय रूप से। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बिजली विनियमन, नियामक आयोगों और पारेषण से संबंधित मामलों में

उपयोगिताएँ आमतौर पर तकनीकी अनिश्चितता, भारी निवेश की आवश्यकता और रास्ते के अधिकार के मुद्दों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। पारेषण उपयोगिताओं की तदर्थ कार्यप्रणाली भी उनके कार्यों के अभ्यास का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में खामियों के कारण है। विद्युत अधिनियम 2003 को राज्यों को अंतर-राज्यीय बिजली [2022] 19 एस. सी. आर. को विनियमित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

प्रणाली और साथ ही साथ नियामक आयोगों को प्रदान किया

शुल्क निर्धारित करने की शक्ति। हालांकि केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार ने वैधानिक नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार किए हैं

बिजली क्षेत्र को विनियमित करते हुए, हमने देखा है कि विनियामक आयोगों ने अधिनियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक विनियम नहीं बनाए हैं।

131. हम सभी राज्य नियामक आयोगों को इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों पर अधिनियम की धारा 181 के तहत विनियम बनाने का निर्देश देते हैं। शुल्क निर्धारण पर इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय, उपयुक्त आयोग को धारा 61 में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें एनईपी और एन. टी. पी. भी शामिल हैं। जहां उपयुक्त आयोग (ओं) ने पहले ही विनियम तैयार कर लिए हैं, वहां उन्हें विधियों को चुनने के मानदंडों पर प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

इन विनियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके अलावा, बनाए गए विनियम बिजली अधिनियम 2003 के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए, जो बिजली नियामक क्षेत्र में निजी हितधारकों के निवेश को बढ़ाना है ताकि बिजली विनियामक क्षेत्र में निजी हितधारकों के निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। शुल्क निर्धारण की टिकाऊ और प्रभावी प्रणाली जो लागत कुशल हो ताकि इस तरह के लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँच सकें।

132. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील खारिज कर दी जाती है। 133. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

(सहायकः इराम जान, एलसीआरए)